खण्ड-295, अंक-9
सोमवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1894
(3 अप्रैल, 1972 ई0)

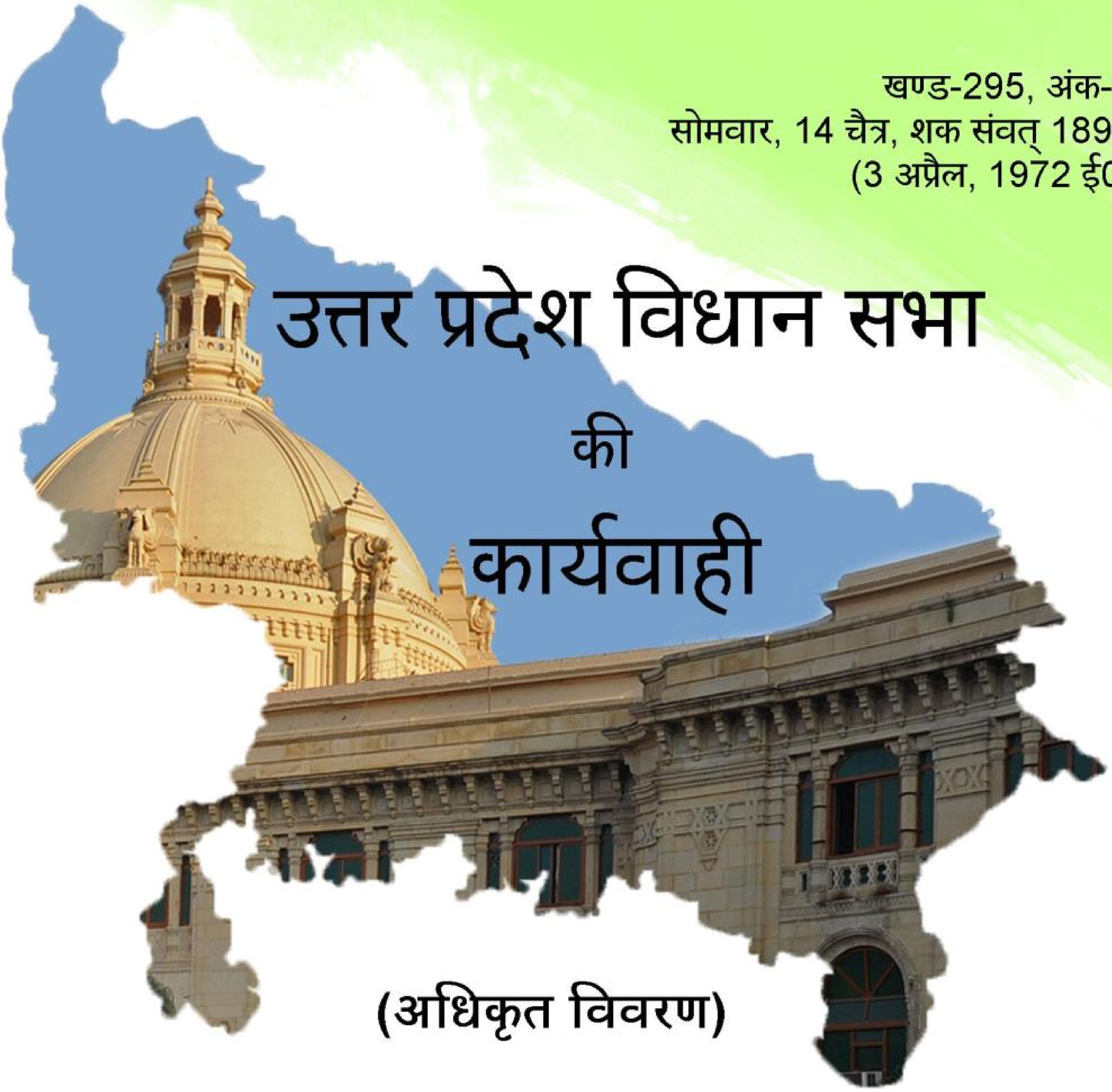

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	७५९–७६३
प्रश्नोत्तर	७६३–७९१
कतिपय समितियों के निर्वाचन के परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना ..	७९१–७९२
३ जनवरी, १९७२ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	७९२–७९३
राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों द्वारा हड़ताल के संबंध में वक्तव्य	७९३–७९७
इंजीनियरिंग सबार्डिनेट्स एसोसियेशन, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की मांगों के संबंध में वक्तव्य	७९७–८०२
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	८०२–८०६
विभागीय समीक्षा साहित्य न मिलने पर आपत्ति	८०६
सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	८०६–८१४
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२ (विचारोपरान्त पारित)	८१४–८२८
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ (पारित) ..	८२८–८४६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	८४६
विदेशी शराब की दूकानों की नीलामी के संबंध में औचित्य के प्रश्न के बारे में जानकारी	८४७–८४८
नत्थियां	८४९–८५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ अप्रैल, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईशवर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकांत अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
कशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार

उत्तर प्रदेश सभा

चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह 'जूदेव' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह,श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तजबहादुर, श्री
तजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुजन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री

बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उफ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलार मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री

अ-विजय पर्दुया सभा

रामत्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह वद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
बीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शांती चरण पिंडारा, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री

सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरासिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ अप्रैल, १९७२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जेल विभाग का कृषि फार्म

*१—श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल विभाग, उत्तर प्रदेश के पास कितने एकड़ के कृषि फार्म किस-किस जिले में हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितने जोड़े बैल, ट्रैक्टर तथा सिंचाई की सुविधायें हैं और इन फार्मों में से कितने फार्म घाटे पर चल रहे हैं तथा क्यों ?

कारागार उप-मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

प्रदेश के जेल विभाग के कृषि फार्मों तथा उनमें उपलब्ध बैलों, ट्रैक्टरों तथा सिंचाई की सुविधाओं का विवरण †संलग्न है।

कोई फार्म घाटे में नहीं है।

---

†छापा नहीं गया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो लाभ का विवरण दिया गया है आगरा जेल का, वहां जो श्रमिक लगे हुये हैं तो क्या सरकार ने यह लाभ उन श्रमिकों को भी हिसाब में लेकर बताया है?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, आगरा में दो जेल हैं-एक सेंट्रल जेल और दूसरी जिला कारागार। माननीय सदस्य किसके बारे में पूछना चाहते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

आइटम नम्बर १ पर जो लाभ लिखा हुआ है ४९,३८५ रुपये १९७० वर्ष का, मैं उसके सिलसिले में जानना चाहता हूं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इस लाभ में लेबर नहीं लगी हुई है । यह जो लाभ हुआ है वह जितने कृषि पर खर्चा हुआ और जो बाजार भाव से सब्जी बगैरा बिकी, उससे जो आमदनी हुई, वह दिखाई गई है।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय कारागार, नैनी और जिला कारागार मेरठ, की जांच सतर्कता आयोग द्वारा हो रही है? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जरा माननीय सदस्य का प्रश्न साफ करवा दें ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय कारागार, नैनी और जिला कारागार, मेरठ के विरुद्ध क्या कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और क्या उनकी जांच आप सतर्कता विभाग द्वारा करा रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, वैसे सभी को मालूम है कि मेरठ में सतर्कता विभाग से इंक्वायरी हो रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)-

आपने प्रदेश भर की तालिका दी है । क्या आपके पास कोई ऐसी भी सूचना है कि प्रदेश भर की जेलों के पास कितनी कृषि भूमि या फार्म हैं और इनमें कितना उत्पादन होता है । साथ ही उसमें कितना खर्च होता है । इस पर लगातार जेलर का ही नियंत्रण रहेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जेलों के बड़े-बड़े फार्मों में कृषि इन्सट्रक्टर्स भी हैं और जेलर ही उसके लिये जिम्मेदार है । हमारे पास पूरे सूबे की जेलों की अलग-अलग आमदनी और खर्च दिया हुआ है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैनी सेंट्रल जेल में जो फार्म है जहां पर शाक सब्जी के अलावा और भी फसलें बोई जाती हैं । जो अन्य फसलें बोई जाती हैं उसका क्या रकबा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वैसे तो कैदियों के लिये जो सब्जी है वह उसका प्रमुख उत्पादन है लेकिन जहां पर कृषि के लिये अलग और भी भूमि उपलब्ध है वहां पर गेहूं और गन्ना आदि की फसलें भी बोई जाती हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कैदियों के द्वारा जो काम लिया जाता है फार्म वगैरा में उनको किस दर से मजदूरी दी जाती है । साथ ही जो उनको लाभ हुआ है उसमें से उसको घटाया गया है अथवा नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सितारगंज में कैदियों को १ रु० मजदूरी दी जाती है। इसको लाभ या हानि में काटा नहीं गया है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)--

मान्यवर, मेरठ जेल में जो बैलों की संख्या १८ है, नलकूप २ हैं और ३ सिंचाई के लिये कुयें हैं । १०-११-७१ के पहले बैलों की वहां पर क्या संख्या थी और १०-११-७१ के बाद ही यह संख्या १८ हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मेरठ जेल में १८ बैल हैं और वहां पर ट्रैक्टर कोई नहीं है । नलकूप २ हैं और साधारण कुयें ३ हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)--

मान्यवर, हमारा प्रश्न तो यह है कि १०-११-७१ के पहले और उसके बाद बैलों की जेल में क्या संख्या थी ?

माननीय मंत्री जी ने जो बताया है उसका तो मेरे पास स्टेटमेंट है जो मुझको मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको तो उन्हें मंगाना पड़ेगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह देखते हुये कि जेलों के साथ में ६०,६० और ७०,७० एकड़ के फार्म हैं । क्या यह उचित नहीं होगा कि वहां पर ट्रैक्टर्स का प्रबन्ध किया जाय और इस तरह से उसका रिफार्म किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका सुझाव है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इस बात की कोशिश हो रही है कि जो इस प्रकार के फार्म्स हैं उनके लिये और सुधार करने का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने तो एक निश्चित सवाल किया कि क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जेलों में जहां पर ६० या ७० एकड़ भूमि कृषि योग्य है जैसे कि बरेली या मेरठ आदि में वहां

पर ४ बैल थे जो उतना अधिक काम नहीं कर सकते हैं और खेती में उतना सुधार नहीं हो सकता है । तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि ऐसे स्थानों के लिये ट्रैक्टर का प्रबन्ध किया जाय । यह तो एक निश्चत प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका सुझाव है । कोई बात हो तो बतला दीजिये ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सुझाव पर ध्यान दिया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सरकार ने सभी जेलों में लाभ दिखलाया है । तो व्यय की कौन-कौन सी मदें हैं जिनको छोड़कर सरकार ने लाभ दिखलाया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

व्यय की तफसील पूछी गई है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर १० मिनट हो चुके हैं । ऐसा होने से आगे के प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्नों के लिये समय नहीं मिलता है । कुछ कहते हैं तो आप बिठा देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मुझे मालूम नहीं था कि आप ऐसा संगत सवाल करेंगे और दूसरे जो करेंगे वह ठीक नहीं होगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

अधिक समय लेने मे ५ सवाल ही हो पाते हैं और १८ वां सवाल मेरा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने दो मिनट समय ऐसे ही ले लिया ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

आप हमारे अधिकारों पर आघात कर रहे हैं इसलिये कह रहा हूं । हमारे सवाल रह जाते हैं । इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मुझे कहना पड़ा । खड़े होने पर आप बिठा देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो बैठे नहीं हैं, खड़े हैं । आप लिखकर यह दे सकते थे । प्रश्नों में मुझे यह मालूम नहीं रहता है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह ठीक नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

मैंने प्रश्न के लिये व्यवस्था मांगी थी । आपके आदेश कायदे के खिलाफ होंगे तो कैसे मान लें । इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है । इसलिये मैंने कहा कि कृपा करके सवालों का समय ऐसा नियंत्रित करें कि ए, बी, सी कटगरी बन जायं और जल्दी-जल्दी सवाल हो जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---

तथाकथित अधिकारों को समझते हुये आदमी हत्या भी करता है। यही आप कर रहे हैं और अपना समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने यह पूछा था कि सरकार ने जो लाभ और हानि का ब्योरा दिया है उसमें व्यय की मदों में कौन-कौन मदें छोड़कर यह लाभ दिखलाया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इस समय जो फार्म्स हैं जिनमें सब्जी और कृषि होती है, उसमें बीज और खाद पर हुये व्यय को निकालते हैं और जो आलू वगैरह पैदा होता है उसका बाजार भाव से रेट निकाल कर लाभ को निकालते हैं। इसमें सभी मुख्य खर्चे दिये जाते हैं, कैदियों का लेबर नहीं दिखलाया जाता है।

श्री रामधारी शास्त्री---

आपने कहा कि जो पैदावार दिखलाई गई है उसका मूल्य व्यापारिक दृष्टि से बाजार के मूल्य पर निकालते हैं, तो जो श्रम होता है उसका भी बाजार के हिसाब से मूल्य निकाल कर देखा जाय तो क्या यह सही नहीं है कि सारे फार्म्स घाटे में चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो काल्पनिक प्रश्न है।

मेरठ कोषागार के कर्मचारी तथा उनका स्थानान्तरण

*२--श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ कोषागार में ऐसे कितने और कौन-कौन कर्मचारी हैं जो १९५८ से बराबर अंशकालिक सेवायें (पार्ट टाइम सर्विस) करके दो वेतन पा रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मेरठ कोषागार में केवल एक लिपिक श्री विजय कुमार पंडित पिछले १२ वर्षों से मेरठ स्पोर्टस क्लब नामक राजपत्रित अधिकारियों की संस्था में कार्य कर रहे हैं जिन्हें संस्था की ओर से मानदेय दिया जाता है।

*३--श्री जगन्नाथ खन्ना (अनुपस्थित)---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मन्डल के कोषागारों के जिन कर्मचारियों को शासनादेश संख्या १९८४/२-क-१९७० नियुक्ति (क) विभाग, दिनांक २३ फरवरी, १९७० के विरुद्ध अगस्त, १९७०, में असाधारण स्थानान्तरण किये गये थे क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों को पुनः वापिस स्थानान्तरण करने का कोई मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनों का तथा सब कर्मचारियों का क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अगस्त, १९७० में आयुक्त मेरठ मण्डल ने अपने मण्डल के चार कोषागार कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले को किया था जिनमें तीन का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया था और एक का सम्बन्धित कर्मचारी की स्वेच्छा से उक्त स्थानान्तरण शासनादेश सं० १९८४/२-क-१९७० दिनांक, २३ फरवरी, १९७० के विरुद्ध नहीं था। जिन तीन कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया था उनमें से

एक कर्मचारी रु० १२०–२२० के वेतन-क्रम में कार्य कर रहा था। नये जिले में उक्त वेतन क्रम में कोई पद उपलब्ध नहीं था। स्थानान्तरण के कुछ समय पश्चात उसके पहले के जिले में ही उक्त वेतन-क्रम में एक पद उपलब्ध हो गया। अतः उसका स्थानान्तरण पुनः उसके पुराने जिले में कर दिया गया। स्वेच्छा से आये हुए कर्मचारी के स्थानान्तरण का मामला भी आयुक्त के विचाराधीन है क्योंकि कथित क्रम में नये जिले में कोई पद उपलब्ध नहीं है। जिन अन्य दो कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया था वे अपने नये जिले में उसी वेतन-क्रम में वेतन पा रहे हैं जो उन्हें पुराने जिले में मिलता था। अतः उन्हें उनके पुराने जिले में स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता। कोषागार कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में मण्डल के आयुक्त द्वारा किया जाता है। किसी कोषागार कर्मचारी के स्थानान्तरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

रुहेलखण्ड डिवीजन में ईंट के भट्ठे के व्यापारी

*४—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुहेलखंड डिवीजन में कितने ऐसे ईंट के भट्ठे के व्यापारी हैं जिनकी ओर तीन साल से बिक्री-कर बकाया है और उनकी वसूली अब तक नहीं की जा सकी है। वसूलयाबी न होने के क्या-क्या कारण हैं ?

सूचना उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

रुहेलखंड डिवीजन में १७३ ईंट के भट्ठे के व्यापरियों पर तीन साल से बिक्री-कर बकाया है। वसूली मुख्यतया इस कारण सम्भव न हो सकी क्योंकि इनमें से अधिकतर व्यापारियों ने कर-निर्धारण के विरुद्ध रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये।

श्री रामसिंह खन्ना—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने न्यायालय से आदेश प्राप्त नहीं किये, वे लोग कितने हैं और उनसे वसूलयाबी के क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसमें जिलाधिकारियों को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि वे मालगुजारी की भांति वसूलयाबी करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, इसमें सवाल दीगर और जवाब दीगर है। प्रश्न है कि जिन लोगों के पास स्थगन के आदेश नहीं हैं, उनके विरुद्ध मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे और वे कितने हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसका उत्तर दिया जा चुका है कि जिलाधिकारी उसे मालगुजारी की भांति वसूल करेंगे। इसमें कुल एरियर जो था, वह १० लाख ६८ हजार रुपये का है और कोर्ट का स्टे, ९ लाख ५४ हजार रुपये का है।

श्री राम सिंह खन्ना—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे लोग कितने हैं जिन्होंने अपने स्थगन आदेश सरकार से सीधे प्राप्त किये हैं ?

श्री गुलाब सिंह--

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसमें १० लाख के करीब ऐसा है, जिसमें कोर्ट का स्टे नहीं है। तो क्या सरकार ईटों की कमी, भट्ठे वालों की मनमानी कीमत और डेवलपमेंट वर्क्स में ईटों की जरूरत, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुये, इस बात के आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि यह जो १० लाख का एरियर है, उसको अटैच करके, वसूलयाबी की जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, इस संबंध में ये आदेश दिये गये हैं कि कुल बकाये की वसूलयाबी के लिये जिलाधिकारी कार्यवाही करें। माल जब्त करने के ऊपर भी शासन विचार कर लेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

जो ३ साल का बकाया लगान की भांति वसूल करने का है, उसके आदेश किस तारीख को गये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तारीख की सूचना नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अदालत में ये लोग कब गये और स्थगन आदेश कब प्राप्त किया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सन् ७० में भट्टे के व्यापारियों ने रिट याचिका दाखिल की। अलग-अलग कोर्ट का ब्योरा नहीं है। वेकेट किये है २० दिसम्बर, १९७१ को।

[३ अप्रैल, १९७२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बिजनौर सेल्स टैक्स बार एसोसियेशन का प्रस्ताव

*१--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि बिजनौर सेल्स टैक्स बार एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से मांग की है कि उनके जिले की सेल्स टैक्स की अपीलें बुलन्दशहर या सहारनपुर के बजाय उनके जिले में ही सनी जायं ? क्या इसी प्रकार की मांग देहरादून के व्यापारियों ने भी पहले की थी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वांछित राहत दे दी गई थी ? यदि हां, तो क्या बिजनौर के व्यापारियों एवं वकीलों की यह मांग सरकार स्वीकार करेगी ?

श्री गुलाब सिंह--

जी हां, बिजनौर सेल्स टैक्स बार एसोसियेशन ने सरकार से यह मांग की है कि उनके जिले की सेल्स टैक्स की अपीलें बुलन्दशहर या सहारनपुर के बजाय बिजनौर में ही सुनी जायं।

वर्ष १९६४ में देहरादून में बिक्री-कर के अपीलीय कार्य को देखते हुये सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री-कर का एक रेन्ज खोला गया था परन्तु कार्य की कमी के कारण उसे १७ जुलाई, १९६९ को समाप्त कर दिया गया और देहरादून को सहारनपुर रेन्ज में मिला दिया गया। किन्तु देहरादून के व्यापारियों की असुविधा को

देखते हुये शासन ने यह आदेश जारी किये कि सहायक आयुक्त (न्याय) सहारनपुर देहरादून जाकर ही व्यापारियों की अपीलों की सुनवाई किया करें।

इस समय बिजनौर की अपीलें सहारनपुर में सुनी जाती हैं। बिजनौर की बिक्री-कर की अपीलों को बिजनौर में ही सुने जाने के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बार असोसियेशन का प्रस्ताव कब मिला और कब तक यह विचार पूरा हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पिछले वर्ष इनका डिपूटेशन दो बार मुझसे मिला था और अब यह आदेश दिये जा रहे हैं कि बिजनौर की बिक्री-कर की अपीलें बिजनौर में ही सुनी जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह आदेश कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह आदेश शीघ्रातिशीघ्र जारी किये जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

इन अपीलेट कोर्ट की स्थापना का आधार क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आधार यह है कि प्रति दिन ८ अपीलें और वर्ष में दो हजार से २४०० तक अपीलों का निस्तार हो।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या इस प्रकार की व्यवस्था हर जिले में करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हर जिले में नियुक्त करना सम्भव नहीं है, लेकिन यदि कहीं केसेज की संख्या बहुत बढ़ जायेगी तो वहां भी इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी।

देहरादून शहर में स्थित शराब की दुकानें

*२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतावेंगे कि उन्होंने प्रश्न कर्त्ता के पत्र दिनांक १९ जनवरी, १९७२ पर यह स्वीकृति दे दी थी कि देहरादून शहर में स्थित ५ आबकारी की (देशी शराब की) दुकानें आबादी के बाहर कर दी जायं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रामपूजन पटेल—

प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक १९ जनवरी, १९७२ में यह अनुरोध किया था कि देहरादून शहर की आबादी के अन्दर स्थित पांच आबकारी की दुकानों को नगरपालिका की सीमा से बाहर हटाया जाय। जिला अधिकारी, देहरादून को इस पत्र के संबंध में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही तथा नीलामी के समय अवश्य ध्यान रखने के आदेश दिये गये थे। जिलाधिकारी ने

सूचित किया है कि आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थित नियमावली, १९६८ के नियम के अनुसार नगर की आबादी के बाहर शहर की आबकारी दुकानों को हटाना नियमानुकूल नहीं होगा। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही संभव नहीं मालूम पड़ती। फिर भी जिलाधिकारी, देहरादून को आदेश दे दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि क्या ऐसे दूसरे स्थान उपलब्ध हैं जहां बगैर कठिनाई के ये दूकाने हटाई जा सकती हैं तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता महोदय से भी आवश्यकतानुसार सम्पर्क स्थापित कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आबकारी विभाग की स्टैंडिंग कमेटी में भी सदस्यों की यह आम राय थी कि जहां घनी आबादी हो वहां यदि पब्लिक की आम राय हो तो दूकानों को हटा देना चाहिये, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इस पर विचार हुआ था, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी विचार हुआ कि उन लोगों को जब दूसरी दूकानें मिल जायें तभी हटाया जाय, वरना यह प्रदेश के राजस्व के हित में न होगा।

श्री रियासत हुसैन--

जब मंत्री जी ने यह आदेश डी० एम० को दिये कि इन ५ दूकानदारों को हटा कर शहर से बाहर कर दिया जाय, तो डी० एम० इन आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य था, लेकिन उसने उसमें अगरचे मगरचे लगा कर कोई कार्यवाही नहीं की और मंत्री जी के आदेश की अवहेलना की। क्या सरकार डी० एम० से उसके लिये जवाब तलब करेगी और उन दूकानों को बाहर करने के लिये फिर से आदेश भेजेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सरकार की तरफ से जो आदेश गया था उसमें यह था कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय, नीलाम के समय अवश्य ध्यान रखा जाय। इस प्रकार उसमें तो सिर्फ यह था कि उनसे मिल कर नीलाम के वक्त में इसका ध्यान रखा जाये। यदि कोई नई दुकान मिलती है तो अच्छा होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि सरकार का यह निर्णय है कि उस क्षेत्र के विधायक दो तिहाई बहुमत से यह निर्णय लें कि इस दुकान को हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया जाये तो सरकार उसे हटा देगी ? इस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ? और क्या इस सम्बन्ध में यह शर्त पूरी होती थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उस निर्णय के मुताबिक यदि सदस्य कहते हैं कि यह हटा दिया जाये तो कम से कम उनका यह भी कर्त्तव्य होता है कि वे नई दुकान तय करके बतावें कि यहां रहना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को जानकारी है कि इन दुकानों को हटाने के लिए देहरादून में एक व्यापक आन्दोलन हुआ था, नीलाम के समय में पण्डाल घेर लिया गया था ? नीलाम रुक जाता यदि सरकार का यह आश्वासन न होता कि हम इसको हटवा देंगे ? तो क्या वह सदन में यह आश्वासन देंगे कि यथाशीघ्र इन दुकानों को हटवा देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। नई दुकानें खुलेंगी तो भी आन्दोलन होगा। आन्दोलन तो हर हालत में होंगे। आन्दोलन तो होते ही रहते हैं।

प्रदेश में पूर्ण मद्य-निषेध

*३—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कब तक पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

श्री राम पूजन पटेल—

इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कल्याण सिंह—

सरकार के उत्तर को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ता है कि इन्होंने महात्मा गांधी के पूर्ण मद्य-निषेध नीति को विदाई दे दी है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब भी पूर्ण मद्य-निषेध की नीति में विश्वास करती है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, राज्य सरकार इस मत की है कि मद्य-निषेध धीरे-धीरे किया जायेगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

यदि यह मद्य-निषेध की योजना लागू की जाये, तो सरकार को कितने रेवेन्यू का लास होगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी सूचना नहीं है। लेकिन अन्दाज से कहता हूं २३—२४ करोड़ का लास होगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहली गढ़वाल)—

टेहरी-गढ़वाल और पौड़ी-गढ़वाल में क्या एक अप्रैल से यह मद्य-निषेध लागू हो गया है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, वहां मद्य-निषेध का आर्डिनेन्स लागू कर दिया गया है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां मद्य-निषेध है वहां पर शराबें नहीं बनतीं, इस प्रकार की भी क्या सूचना है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो माननीय सदस्य को इल्म होगा, मुझको इस बात का कोई इल्म नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिस दल के वह मंत्री हैं, क्या उस दल ने शराब न पीने का जो उनका नियम था उसको ढीला करके सदा के लिये हटा दिया है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं पूछ सकते ।

श्री कल्याण सिंह—

सरकार की जो धीरे-धीरे मद्य-निषेध लागू करने की नीति है, उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि कितने वर्ष में पूर्ण मद्य-निषेध यह सरकार लागू कर देगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जितने सालों में होगा, उतने सालों में कर दिया जायेगा।

तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद में विषाक्त शराब

*४—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनवरी, १९७१ के दूसरे सप्ताह में जनपद मुरादाबाद की तहसील संभल में विषाक्त शराब पीने के कारण बारह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा छः व्यक्तियों की नेत्र ज्योति नष्ट हो गई । यदि हां, तो इस विषय में आवश्यक जांच कराई गई या नहीं ? यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम पूजन पटेल—

जनवरी, १९७१ के दूसरे सप्ताह में जनपद मुरादाबाद के तहसील सम्भल में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु विषाक्त शराब पीने से नहीं हुई और न ही किसी व्यक्ति की नेत्र ज्योति नष्ट हुई ।

श्री नौनिहाल सिंह—

इसमें जनवरी, १९७२ की सूचना मांगी गयी थी । इसलिये प्रश्न में जनवरी १९७२ चेंज करवाकर सूचना दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर हम आगे बढ़ेंगे । अब जो प्रश्न छप गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

इन्होंने १९७२ लिखा था सवाल में।

श्री नौनिहाल सिंह—

आपसे नियम ५१ की भी चर्चा मांगी थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सवाल को स्थगित किया जाता है इसका संशोधित करके १९७२ किया जाय ।

लेकिन अब फाइल आयी है । जो आपने लिखा है और जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं उसमें यह है "क्या यह सही है कि जनवरी, १९७१ के तीसरे सप्ताह में" इसलिये मैं स्थगित नहीं करता हूं । सवाल किया गया १९७१ के बारे में, १९७१ का जवाब है । १९७२ के बारे में सवाल करना है तो दूसरा सवाल करें । आपने १९७१ लिखा है, आपके दिमाग में है कि १९७२ का सवाल किया है लेकिन आपकी कलम से कागज पर १९७१ लिखा है ।

श्री नौनिहाल सिंह—

निवेदन है कि इसे संशोधित करके उत्तर दिला सकें तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

फिर से सवाल करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह सरकार टेक्निकल बातों पर जान छुड़ा लेती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर सवाल करना है तो कर लें, नहीं तो आगे चलूं ।

श्री राम करन सिंह---

१९७१ का १९७२ हो सकता है लेकिन स्थान दिया गया है उस स्थान पर इस प्रकार की कोई घटना हुयी है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं समझ रहा हूं । अगर वह कहें कि १९७१ तक कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी तो क्या जवाब देंगे ? अगर आप गलत सवाल करेंगे तो उसका उत्तर भी गलत आयेगा । जिस तरह से टाइप हो गया दस्तखत कर दिया । उसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी के पास जानकारी आ गयी है जिस तारीख, महीने, साल की जानकारी आ गयी तो कृपा करके जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

कहां है । होती तो न ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उनके पास आयी हो ।

श्री उपाध्यक्ष---

उनके पास जो आयी है वह हमारे सामने है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना मंगा कर सदन के सामने रखेंगे कि सम्भल जिला मुरादाबाद, के अन्दर शराब पीने से ६ मौतें हुई हैं पिछले दिनों में और ८ आदमी अंधे हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो वही सवाल है । ऐसा सवाल कर दीजियेगा । उसका जवाब दिला दिया जायगा ।

नैनीताल जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं विद्युत प्रसार की मांग

*५---श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा चलाई गई विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नैनीताल जिले में किन तहसीलों के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों का सन् १९६९-७० व सन् १९७०-७१ तथा १९७१-७२ के १ फरवरी तक विद्युतीकरण किया गया । इसी अवधि में विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत् प्रसार की कौन-कौन योजना कहां-कहां पूर्ण की गई है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा चलाई गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नैनीताल जिले में गत पहली फरवरी तक जितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है, उनकी वर्ष-वार स्थिति इस प्रकार है:---

१९६९-७०	..	.. ३३	ग्राम
१९७०-७१	..	.. ४७	ग्राम
१९७१-७२	..	.. ९२	ग्राम

इनका तहसील एवं ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क'† में दिया है ।

उक्त अवधि में विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् प्रसार के जो कार्य पूर्ण किये गये उनका †विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है ।

*६---श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९ से १ फरवरी, सन् १९७२ तक नैनीताल जिले के गोलापार चोरगलियां तथा नैनीताल खुर्पाताल व सरगाखेर, पहाड़ पानी अखोलकांड़ा तथा पदमपुरी-धानाचूली की विद्युत् प्रसार की मांग शासन को प्राप्त हुई है । यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जी हां । विद्युत् परिषद की ओर से विद्युत् प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है:---

(अ) गोलापार क्षेत्र में बिजली की लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और उसके शीघ्र पूण होने की संभावना है।

(ब) पदमपुरी के विद्युतीकरण हेतु महरागांव पदमपुरी लाइन आगे घने जंगल होने के कारण नहीं बन पा रही थी । अब वन विभाग द्वारा पेड़ों की नीलामी हो चुकी है तथा पेड़ों के कटने के बाद काय के शीघ्र पूर्ण हो जाने की आशा है ।

(स) चोरगलियां खुर्पाताल, सरगाखेत, पहाड़पानी ओखलकांडा व धानाचूली के विद्युतीकरण क लिये करीब ६८ किलो मीटर की ९९०० वोल्ट की विद्युत लाइन के निर्माण की आवश्यकता है । यह लाइन घने जंगलों और कठिन पहाड़ी क्षेत्रों से होकर निकलती है अतः उक्त कार्य के अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिस प्रकार मैदानी क्षेत्रों के लिये विद्युतीकरण की योजना सरकार ने बनाई है क्या नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये भी कोई तालिका है जिसक अनुसार वहां पर विद्युतीकरण की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो फिर उसमें देर होने का कारण क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

नैनीताल जिले के अन्तर्गत जैसा कि मैं बतला चुका हूं पहाड़ी क्षेत्र में विद्युतीकरण की योजना सरकार की है । यह क्षेत्र पहाड़ी तथा जंगलों से भरा हुआ है इस कारण कुछ देर होना अवश्यम्भावी है किन्तु उस संबंध में कार्य करन का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

जो ९०० वोल्ट की लाइन खींची जा रही है क्या ७२-७३ के वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से पूर्ण हो जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

६८ किलो मीटर की लाइन है । पूरा करने का प्रयास किया जायगा । जंगल की लकड़ी नीलाम हो गयी है और पेड़ कट रहे हैं और जैसे ही सुविधा हो जायगी उसे पूरा कराने का प्रयास किया जायगा ।

श्री इन्द्रमणि---

३३,४७ तथा ९२ ग्रामों में कितने उस क्षेत्र में पड़ते हैं जहां से वित्त मंत्री आये हैं और कितने ग्राम उस क्षेत्र में पड़ते हैं जहां से डूंगर सिंह बिष्ट आये हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

विद्युत् की आवश्यकता को विकास हेतु देखते हुए क्या माननीय मंत्री बतलायगे कि पिछड़े जिलों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो पिछड़े क्षेत्र घोषित हैं उनका विशेष ध्यान रखते हुए वहां विद्युतीकरण का कार्य जारी है ।

खाद्य नियन्त्रक के क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय, लखनऊ में नियुक्तियां

*७---श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक लखनऊ के आधीन क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय में दिनांक १ अप्रैल, १९७० से सितम्बर, १९७१ तक जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई, क्या उन्हें रोजगार दफ्तर के माध्यम से लिया गया है या डायरेक्ट लिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

१-४-७० से सितम्बर १९७१ तक की अवधि में क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कुल तीन लिपिक वर्गीय तथा तीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अस्थायी रूप से नियुक्तियां की गयीं थीं ।

उपरोक्त में से लिपिक वर्ग के दो कर्मचारियों को सेवायोजन कार्यालय माध्यम से तथा एक को सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया था परन्तु उनका नाम भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत था । चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को, जिनके नाम भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत थे, सीधी भर्ती से अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया था । चूंकि ये रिक्तियां अल्प अवधि की थीं तथा सरकारी काय को ठीक रूप से संचालित करने में बाधा हो रही थीं यह नियुक्तियां अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर की गयी थीं ।

श्री प्यारे लाल शर्मा---

मान्यवर, तीन लिपिक वर्गीय और तीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भरती की गई जिसमें २ सेवायोजन कार्यालय से और ४ सीधी भरती के द्वारा नियुक्त कर लिये गय । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सभी छहों कर्मचारियों की भरती हेतु सेवायोजन से नाम मांग लिये गये थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, नाम तो सभी पदों के लिये मांगे गये थे किन्तु जो नियुक्तियां हुई हैं वे एक-एक करके हुई हैं क्योंकि जैसे-जैसे नियुक्तियां स्थायी रूप से खाली होती गई, वैसे-वैसे भरती होती गई । पहले तो कुछ व्यक्तियों ने नाम सेवायोजन से समय पर आ गये थे किन्तु अन्य व्यक्तियों के नाम दूसरी बार समय पर न आ सके फलस्वरूप बाहर से नियुक्ति कर ली गई क्योंकि बिना नियुक्ति के कार्यसंचालन में बाधा पहुंच रही थी। जो व्यक्ति सीधी भरती से लिये गये उनमें एक हरिजन व्यक्ति का प्रार्थना पत्र भी था और जिसका कि सेवायोजन कार्यालय में नामांकन था। जो तीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इस प्रकार अन्य नियुक्त किये गये उनका भी सेवायोजन कार्यालय में नामांकन था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश होते हुये भी कि सेवायोजन से ही नाम मांगने के बाद नियुक्तियां की जाया करें चाहे वह अल्प अवधि के लिये ही क्यों न हों, किस कारण से उन नियमों का उल्लंघन किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, नाम तो अवश्य मांगे गये थे किन्तु उक्त कार्यालय में काम के ओवर लोड और सेवायोजन कार्यालय से समय पर नाम न आने के कारण तत्काल नियुक्ति करनी पड़ी ।

श्री प्यारे लाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगार पढ़े-लिखे और बपढ़े-लिखे लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और जब कोई विभाग नाम मांगता है तो जितनी जगह खाली होती हैं या जितनी जगहों के लिये भरती की आवश्यकता होती, उससे अधिक नाम यह सेवा योजन कार्यालय उस विभाग को भेजता है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि एक ही नाम वहां से आया था अथवा दो-तीन नाम आये थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो प्रश्न सामने आया और जैसा कि मेरे सहयोगी माननीय सदस्य ने बताया कि एक व्यक्ति का नाम वहां से नहीं आया और सीधी भरती कर ली गई । इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा और यदि इसमें किसी नियम का उल्लंघन हुआ हो तो ऐसे आदेश दे दिये जायेंगे कि भविष्य में कड़ाई से उनका पालन हो ।

हरदुआगंज पावर हाउस, अलीगढ़ तथा ओबरा पावर हाउस, मिर्जापुर में स्थापित ब्वाइलर

*८---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस, अलीगढ़ तृतीय चरण में दो ब्वाइलर स्थापित करने में जो विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराया गया उसमें कितना व्यय हुआ ? इतनी ही क्षमता वाले उसी स्थान पर चतुर्थ चरण के अन्तर्गत बनाये जाने वाले ब्वाइलरों के स्थापित करने में कितना व्यय आयेगा ? इन दोनों में कितने रुपये का अन्तर है । तृतीय चरण में लगे ब्वाइलरों का उत्पादन कैसा हो रहा है? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस, जिला अलीगढ़ जहां दो रूसी ब्वाइलर लगे हैं, और ओबरा पावर हाउस, जिला मिर्जापुर में जहां ५ रूसी ब्वाइलर लगे हैं उन के स्थापित करने में अलग-अलग कितनी लागत आई है और प्रति ब्वाइलर की व्यय तथा बिजली उत्पादन क्षमता जून, १९६७ से आज तक क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे प्रश्न देने की तिथि १७-२-७२ है यानी डेढ़ महीने से अधिक हो गया है, अभी तक सूचना एकत्रित की जा रही है, तो क्या इसी सत्र में इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा या उसके बाद के सत्र में....

श्री उपाध्यक्ष—

१५ दिन के बाद यह सवाल फिर आयेगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्यों को अधिकारियों के इशारे पर टालू मिक्श्चर देते रहने की परम्परा बन्द करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अब यह प्रश्न १५ दिन के बाद पुनः आयेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान उन नियमों की ओर गया है जिनमें यह प्राविधान किया गया है कि तारांकित प्रश्न की सूचना ५ दिन पहले ही दी जायेगी और सचिव, प्रश्न को स्वीकार हो जाने पर सरकार को सूचित करेंगे और १५ दिन के अन्दर निश्चित रूप से जवाब आ जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से भी ऐसे आदेश हैं कि यदि ऐसे प्रश्न प्राप्त हों तो एक हफ्ते के अन्दर सूचना सरकार के पास पहुंच जानी चाहिये। इस चीज को देखते हुये सरकार का यह उत्तर कि सूचना एकत्रित की जा रही है, वह संतुष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

संतोष न तो आपको है और न उनको है। सवाल यह है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, १५ दिन के बाद यह फिर यहां पर आयेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसीलिये यह पता चलता है कि सरकार का नियंत्रण कितना कम हो गया है अपनी नौकरशाही पर। अगर उनको संतोष नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि इन नियमों के उल्लंघन के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उल्लंघन नहीं हुआ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने इस बात की छान-बीन की है कि सूचना एकत्रित न होने के कारण क्या हैं और क्या वे स्वयं संतुष्ट हैं कि कारण पर्याप्त हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रश्न ऐसा था कि बहुत विस्तार से उस पर सूचना की आवश्यकता थी। जो उत्तर मिल रहे थे उनसे पूरी सूचना स्पष्ट नहीं होती थी, अधूरा उत्तर देना उचित नहीं समझा गया, इसलिये पूरे विस्तार से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री रामकरन सिंह—

मैं यह स्पष्ट अश्वासन चाहूंगा कि जो १५ दिन के अन्दर दूसरा उत्तर आवेगा वह तो आवेगा ही, लेकिन सूचना भी प्राप्त हो जायगी क्योंकि लाखों रुपये के घपले का मामला है। आप स्वयं तो कह रहे हैं १५ दिन के बाद उत्तर आने की बात, मंत्री जी नहीं कह रहे हैं। आप कहला दीजिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रयास तो यही किया जा रहा है और कोई कारण नहीं है कि उत्तर न आवे। यदि कोई कारण होगा तो वह भी स्पष्ट होगा। लेकिन प्रयास यही हो रहा है कि सूचनायें प्राप्त की जायं और निश्चित रूप से उत्तर दिया जाय।

*१०—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[७वें सोमवार में प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हिण्डालको, जिला मिर्जापुर में बिजली की दर

*११—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर में हिन्डालको को बिजली प्रति यूनिट किस दर पर दी जाती है और उस प्रति यूनिट की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिला मिर्जापुर में हिन्डालको को बिजली विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न दरों से दी जाती है जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

मद—१—५५ मेगावाट-अल्यूमिनियम बनाने के लिये

क—यूनिट दर

(१) ११००लाख यूनिट बिजली तिमाही में और ४३३६.२० लाख यूनिट एक वर्ष में १.९९७७१७ पैसे प्रति यूनिट।

(२) उपरोक्त यूनिटों से अधिक शक्ति व्यय करने पर १० पैसे प्रति यूनिट।

ख—डिमांड चार्ज।

(१) ५५०००किलोवाट तक कुछ नहीं।

(२) ५५००० किलोवाट से अधिक ४० रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह।

मद–२–७.५ एम०वी०ए० फैब्रिकेशन प्लांट के लिये–

(क) डिमांड चार्ज

प्रथम ५०९ के०वी०ए० १० रुपये प्रति के०वी०ए० प्रति माह ।
द्वितीय १५०० के०वी०ए०७.५० रुपये प्रति के०वी० ए० प्रति माह ।
२०००के०वी०ए० के अधिक शक्ति ५ रुपये प्रति के०वी०ए० प्रति माह ।

घन +

(ख) यूनिट दर

प्रथम १७० यूनिट प्रति के०वी० ए० प्रति माह ८ पैसे प्रति यूनिट ।
द्वितीय १७० यूनिट प्रति के०वी० ए० प्रति माह ६.५ पैसे प्रति यूनिट ।
शेष यूनिट ५.५ पैसे प्रति यूनिट ।
सप्लाई ६६ के०वी०ए० से ऊपर होने के कारण ७।। प्रतिशत रिबेट ।

घन +

कोल सरचार्ज ।

मद–३––५० मेगावाट––आपातकालीन तथा पैरेलल आपरेशन के लिये–

(क) डिमान्ड चार्ज

२.५० रुपये प्रति के० वी० ए० प्रति सप्ताह ।

धन

(ख) यूनिट दर

६.९ पैसे प्रति यूनिट जिसमें रिबेट भी सम्मिलित है ।

धन

कोल सरचार्ज ।

वर्ष १९७०–७१ में बिजली की औसत प्रति यूनिट कास्ट आफ प्रोडक्शन लगभग ७.५० पैसे ६५ प्रतिशत लोड फैक्टर पर रही ।

*१२––श्री शिवानन्द नौटियाल––

क्या वित्त मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि मई तथा जून १९७१ में जब सारे उत्तर प्रदेश में बिजली की २५ प्रतिशत कटौती की गई और बिजली की कमी को पूरा करने के लिय डी० वी० सी० तथा मध्य प्रदेश से बिजली ली गई तो इन दोनों स्थानों से प्रति यूनिट किस दर से बिजली ली गई और उसमें हिन्डालको को प्रति यूनिट किस दर पर दी गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण––

डी० वी० सी० बिहार से ली गई बिजली की दर इस प्रकार थी:––

(१) १६.०० बजे से २२.०० बजे तक ली गई बिजली ७ पैसे प्रति यूनिट ।

(२) बाकी समय में ली गई बिजली ४.५ पैसे प्रति यूनिट । मध्य प्रदेश से ली गई बिजली की दर अन्तिम रूप से अभी तक तय नहीं हुई है । उन्हें ११ पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया गया है ।

राज्य विद्युत परिषद का इन्ट्रीगेटेड सिस्टम होने के नाते यह नहीं निकाला जा सकता है कि डी० वी० सी० बिहार तथा मध्य प्रदेश से ली गई बिजली में से कितनी बिजली हिन्डालको को दी गई । उन्हें जो भी बिजली दी गई उसकी दर वही थी जो प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में बताई गई है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जसा कि उन्होंने हिन्डालको को विभिन्न दरों पर बिजली दी है, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्या औचित्य है इसका कि हम प्रदेश से अधिक मूल्य पर बिजली उनको लगातार दिये जा रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

श्रीमन्, जो बिजली उनको दी गई है वह एग्रीमेंट के आधार पर अवधि के अन्दर दी जा रही है। उसमें परिवर्तन करने के लिये प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक निश्चित रूप से अंतिम स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या यह सही है कि बिड़ला जी को सस्ते दर पर बिजली दी जा रही है जिससे विद्युत् परिषद् को ५० करोड़ का घाटा हुआ है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस संबंध में कई बार सरकार की नीति स्पष्ट की जा चुकी है कि जो बिजली दर रखी गई है यह इस सरकार ने तय नहीं की है। यह एग्रीमेंट १९५९ में हुआ था जिसके मुताबिक बिजली की दर नियत हुई है। लेकिन वर्तमान सरकार की नीति कास्ट आफ जनरेशन से कम पर देने की नहीं है।

श्री चन्द्रप्रतापनारायण सिंह--

हमारे यहां ७.५ परसेंट बिजली की कास्ट आफ प्रोडक्शन है और भारत सरकार की कास्ट आफ प्रोडक्शन ४-५ पैसा से ज्यादा नहीं है तो क्या मंत्री की जांच करायेंगे कि इससे ज्यादा कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा न हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

हमारे यहां कास्ट आफ प्रोडक्शन इसलिये ज्यादा है कि बिजली का उत्पादन थर्मल से होता है अगर इसमें बिजली ज्यादा महंगी पड़ती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विभिन्न दरों पर बिजली देने से सरकार को प्रति वर्ष कितना घाटा होता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवराज सिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस एग्रीमेंट की कितनी अवधि शेष है अगर यह सेंट्रल ऐक्ट के मातहत हुआ है या स्टेट ऐक्ट के मातहत हुआ है और इस एग्रीमेंट के बदलने की सम्भावना है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

१९५९ में २५ वर्ष के लिये यह एग्रीमेंट हुआ अगर अभी १२-१३ साल बाकी है। इसमें हेर फेर हो सकता है या नहीं इसकी जांच कराई जा रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब आगे हिन्डालको को बिजली देने की बात आयेगी तो इसका ध्यान रखेंगे कि जो किसानों को तथा छोटे उद्योग-धंधों को बिजली दी जायेगी उनकी दर इनसे ऊंची नहीं होगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सारे संसार में हमारे देश और प्रदेश में अलग-अलग प्रकार के उद्योग धंधों को अलग-अलग दर पर बिजली दी जाती है और उसमें लोड फैक्टर तय होता है। जो सिद्धान्त सर्व-मान्य है उसके ही अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, मैं जानकारी हासिल करना चाहूंगा कि क्या इस एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है ? क्या यह भी सही है कि इस मंत्रि-मंडल के सदस्यों की यही राय मालूम होती है कि और बिजली दे दी जाय हिंडालको को ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस संबंध में सरकार की जो नीति है उसमें कोई मतभेद नहीं है। इसका प्रश्न उठता नहीं है। कास्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर ही आगे बिजली दी जायेगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अभी मंत्री जी ने बताया कि १.९७ पैसे अर्थात् २ पैसे पर बिजली अल्यूमिनियम की फैक्टरी को दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट इस फैक्टरी से हुआ है उसको किसी विशेष ऐक्ट के अन्तर्गत समाप्त करने की कोशिश करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने उत्तर दिया है कि विधिक जांच की जा रही है कि क्या उस एग्रीमेंट में हेर-फेर हो सकता है या नहीं ?

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

१९५९ का जो एग्रीमेंट है उसमें यह कंडीशन है कि अगर बिजली का दाम बकाया होगा तो बिजली का कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिया जायेगा। इस फैक्टरी पर बीसों लाख रुपया बकाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में सन् १९६७ से इस फैक्टरी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

डिस्कनेक्शन के आदेश जारी कर दिये गये थे, मगर उसके बाद फक्टरी वाले हाई कोट में चले गये और वहां से स्टे आर्डर ले आये। इसलिए डिस्कनेक्शन नहीं हो सका।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

पिछले वर्षों में तमाम सामाजिक मान्यताएं और आस्थाएं बदली हैं। इसके बावजूद भी व्यापारियों को सस्ते रेट पर बिजली दी जाती है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र इस एग्रीमेंट को बदलने के लिये पुनर्विचार करने को तैयार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो हमारी सामान्य नीति है उसको मैंने निवेदन किया । सामाजिक नीति के अनुरूप ही हम विचार कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में हेरफेर करने की सम्भावना है या नहीं । इसके लिए विधिक राय लेनी आवश्यक है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि पहले दो बार स्टे आर्डर ले चुके हैं, फिर न स्टे आर्डर ले लें ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने वित्त विभाग की निश्चित राय ले ली है और अगर ले ली है तो वह राय क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्त विभाग से पहले विधि विभाग की राय ली जाती है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी ने इस एग्रीमेंट के बारे में एडवोकेट जनरल तथा लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय मांगी है ? यदि हां, तो उनकी राय क्या आई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा कि मैंने पहले ही सूचित कर दिया है पहले यह राय थी कि इस एग्रीमेन्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है । हमने एडवोकेट जनरल और लीगल रिमेम्ब्रेंसर की राय मांगी है कि क्या विधिक तरीके से इस एग्रीमेन्ट को समाप्त किया जा सकता है । अभी उनकी राय नहीं आई है ।

श्री राम कुमार शास्त्री—

अभी मंत्री जी ने एग्रीमेन्ट का हवाला दिया चाहे वह २५ वर्ष का हो या २० वर्ष का । जन कल्याण की भावना से बहुत सी रद्दोबदल होती चली जा रही हैं । विधान में भी, जिसमें कि हमारा एग्रीमेंट जनता से हुआ है, हम चेंज करते जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस एग्रीमेन्ट को तोड़ने में सरकार को क्या परेशानी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उसी दृष्टि कोण के कारण, जोकि माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया, पुनर्विचार करने की और विधिक जांच की बात आई है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इस सदन को आश्वस्त करने के लिए क्या मंत्री जी एडवोकेट जनरल तथा लीगल रिमेंम्ब्रेंसर की राय, जब भी प्राप्त हो जाये, सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिस समय उनकी राय आ जायेगी अवश्य प्रस्तुत की जायेगी अगर प्रस्तुत करने लायक होगी ।

श्री शिव राज सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान पी० ए० सी० की सन ६९–७० की रिपोर्ट की ओर गया है कि इसके कार्यान्वयन में उदारता बरती जा रही है और कैन्टीन और आफिस में प्रयोग की जाने वाली बिजली भी उसी दर पर दी जाती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्तमान शासन किसी प्रकार की भी उदारता जो कि एग्रीमेंट के बाहर है नहीं बरत रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय खत्म हुआ ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है । इस पर आगे घंटे की चर्चा करवा दें ।

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा ---

विधि वक्ता की भी राय है कि यह एग्रीमेंट तोड़ा जा सकता है । इसका कोई जवाब नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । अब जवाब कौन देगा ?

*१३---श्री जगन्नाथ खन्ना---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेश में बिक्रीकर का बकाया

*१४---श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर का कितना रुपया २० जनवरी, १९७२ को बकाया था एवं ५ लाख से ऊपर किन-किन लोगों पर एवं कब से बकाया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

३१ जनवरी १९७२ को प्रदेश में बिक्रीकर का कुल बकाया ३२.५६ करोड़ रुपया था । ५ लाख से अधिक के बकाया-दारों से संबंधित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४९ पर)

*१५---श्री शिव महेन्द्र सिंह---

[केन्द्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण निरस्त]

विद्युत अनुरक्षण खण्ड, बुलन्दशहर के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

*१६---श्री कल्याण सिंह---

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जून, १९७१ में वर्कचार्ज में विद्युत अनुरक्षण खंड की (दक्षिण) बुलन्दशहर में किस-किस कर्मचारी की सेवायें किन कारणों से समाप्त कर दी गई हैं? क्या यह सच है कि कुछ ऐसे भी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी है जो सेवाकाल की दृष्टि से अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा सीनियर थे ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८५१ पर)

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सिंचाई हेतु निजी नलकूप

*१७—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई कार्य हेतु लगाये गये निजी नलकूपों से मिनिमम गारेन्टी समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसी दुर्व्यवस्था के कारण पहले जो कनक्शन काट दिये गये थे, उनके बारे में पुनर्विचार कर फिर कनेक्शन देने का आदेश दिया जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। १, जनवरी १९७३ से सिंचाई कार्य हेतु लगाये गये निजी नलकूपों से मिनिमम गारेन्टी समाप्त कर दी गई है। परन्तु इसके पूर्व यानी ३१-१२-७१ की अवधि तक की मिनिमम गारन्टी उपभोक्ता द्वारा देय है। वे कनेक्शन जो मिनिमम गारन्टी के भुगतान न करने कारण कट गये हैं, उनके भुगतान करने के बाद ही चालू किये जा सकेंगे।

देवरिया का रजिस्ट्रेशन आफिस

*१८—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रजिस्ट्रेशन आफिस देवरिया जिला जज के अधीन करने का निर्णय शासन ने कर दिया है ? यदि हां, तो इसके आदेश प्रसारित करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

सुकाबाद, जिला मैनपुरी के अंग्रेजी शराब विक्रेता के विरुद्ध शिकायत

*१९—श्री मुन्शीलाल चमार (जिला मैनपुरी)

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७१-७२ में अंग्रेजी शराब के विक्रेता भीमसेन हमीर सिंह के भाई को जिला मैनपुरी के अन्तर्गत सुकाबाद कस्बे में चल रही दुकान के खिलाफ दो विधायकों ने शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था ? उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, उक्त शिकायती पत्र को जिलाधीश मैनपुरी को जांच करने के लिये भेजा गया है। अंतिम जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*२०—श्री इन्द्र लाल—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न सं० ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिशासी अभियन्ता, हाईडिल, बदायूं की सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना

*२१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता हाईडिल बदायूं ने हाल में कोई योजना ऐसी बना कर सरकार को दी है कि जिसके जरिये ग्राम बिनावर से आगे नसनी इलाकों में बिजली पहुंचाने के सब-स्टेशन कायम किये जाएं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पूर्ण सूचना राज्य विद्युत परिषद् से एकत्रित की जा रही है ।

जेल के कैदियों के भोजन में वृद्धि

*२२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के जेल के प्रत्येक कैदी को भोजन में दोनों वक्त दाल तथा अन्य खाद्यान्न की मात्रा को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं ।

भोजन की निर्धारित मात्रा में परिवर्तन आवश्यक नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी का सोलहवां ड्रा

*२३—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी के १६ वें ड्रा का एक द्वितीय पुरस्कार ७५ हजार रुपये का श्रीमती पार्वती देवी, १८, आर्य समाज मन्दिर रोड, गणेशगंज, लखनऊ को मिला और उन्हें यह पुरस्कार इसलिये नहीं दिया गया कि उन्होंने अपना क्लेम ३० दिन के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

सर्वश्री डालमिया ब्रदर्स, आजमगढ़ के ऊपर बिक्री-कर का बकाया

*२४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बनवारी डालमिया ब्रदर्स और को० डेल्को जनपद आजमगढ़ जो टायर और ट्यूब का उत्पादन करता है पर वित्तीय वर्ष १९७१-७२ तक कितना रुपया बिक्रीकर से बकाया है और क्या सरकार ने उसके बिक्री-कर को माफ भी किया है ? यदि हां तो कब और कितना ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

को० डेल्को ब्राण्ड टायर तथा ट्यूब के निर्माता सर्वश्री डालमिया ब्रदर्स, आजमगढ़ को शासन ने उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा "४-क" के अधीन अन्य नई औद्योगिक इकाइयों की भांति २२-९-७० से ३ वर्ष की अवधि के लिये कर-मुक्ति प्रदान की थी । इससे पूर्व उत्पादन आरम्भ होने की तिथि (१९-१०-६८) से २१-९-७० तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई बिक्री पर कुल रु० १,९ ,९९८.५४ कर निर्धारित किया गया था । इसके भुगतान के लिये उन्हें २० समान मासिक किश्तों की सुविधा दी गई है ।

नरौरा, जिला बुलन्दशहर में परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना

*२५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नरौरा (जिला बुलन्दशहर) में परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना होने जा रही है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

भारत सरकार द्वारा गठित स्थान चयन समिति ने परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना के लिये नरौरा व माताटीला स्थलों का विस्तृत प्राविधिक अध्ययन किया है। परन्तु उनका अन्तिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

तहसील डेरापुर, जिला कानपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

*२६—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के कहिजरी, मंगलपुर, कचौसी, बाजार, सिठमरा, गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही।

*२७—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपर जिले की डेरापुर तहसील में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और किन-किन गांवों के विद्युतीकरण की इस समय योजना है ?

श्री नाराण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

रिहन्द जल विद्युत् योजना से सस्ती बिजली देने के सम्बन्ध में समझौता

*२८—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिहन्द जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली देने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन तथा हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन लि० में हुये समझौते की धारा १४ (ब) के अनुसार गत तीन युद्धों के समय विद्युत दर बढ़ाया गया ? यदि हां, तो कितना यदि नहीं तो क्यो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) गत तीन युद्धों (१९६२, १९६५, १९७१) के कारण रिहन्द से उत्पन्न बिजली की लागत दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन से किये गये अनुबन्ध की धारा १५ (बी) के अनुसार इन युद्धों के बीच दरों में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी।

विद्युत परिषद् के कर्मचारियों का नया वेतनमान

*२९—श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के नये वेतन मान निर्धारण करने व वर्कचार्ज के कर्मचारियों के रेगुलर बनाये जाने के सम्बन्ध में शासन या विद्युत् परिषद् ने कब आदेश पारित किये थे और क्या यह सही है कि अभी तक उन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों के नये वेतन-मान के आदेश २५ जून, १९७१ को प्रसारित किये गये थे। वर्कचार्ज को रेगुलर करने के सम्बन्ध में परिषद के आदेश १२ अक्तूबर १९७१ को प्रसारित किये गये थे। आदेशों का पालन किया जा रहा है।

विद्युत् परिषद् के कर्मचारी संघ का ज्ञापन

*३०—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या वित्तमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ जनवरी, १९७२ को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारी संघ की ओर से कोई ज्ञापन विद्युत बोर्ड के चेयरमैन को दिया गया ? यदि हां, तो वह ज्ञापन क्या है एवं उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। ज्ञापन में विभिन्न प्रकार की मांगों का उल्लेख था। कुछ पर कार्यवाही की जा चुकी है। बाकी पर शेष है।

अतारांकित प्रश्न

जिला जेल, सुल्तानपुर का निरीक्षण

१—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या माह जुलाई, १९७१ में जेल मन्त्री ने जिला सुल्तानपुर का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उन्होंने वहां पर क्या-क्या अनियमिततायें पाईं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। पाई गयी अनियमितताओं तथा उस पर की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८५२ पर)

विद्युत् अनुरक्षण एवं ग्राम्य विद्युतीकरण सर्किल अलीगढ़ के राजपत्रित अधिकारी

२—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत् अनुरक्षण एवं ग्राम्य विद्युतीकरण सर्किल अलीगढ़ में कौन कौन राजपत्रित अधिकारी ३ वर्ष, अथवा उससे अधिक कालावधि से उक्त सर्किल में कार्य कर रहे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, अलीगढ़, में इस समय ९ अभियन्ता अधिकारी ३ वर्ष अथवा उससे अधिक समय से कार्यरत हैं।

जिला अस्पताल, बदायूं को दिया गया लाटरी का धन

३—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक बदायूं जिले के जिला अस्पताल को लाटरी योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बदायूं जिले के जिला अस्पताल को ५७,१९० रु० की धनराशि दी गई है।

सितारगंज, जिला नैनीताल का जेल कृषि फार्म

४—श्री सुखपाल पांडेय, तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल कृषि फार्म सितारगंज, जिला नैनीताल कुल कितना एकड़ में है और फार्म पर कृषि कार्य तथा अन्य व्यवस्था के लिये

कौन-कौन से साधन हैं १९६७–६८, १९६८–६९ १९६९–७०, १९७०–७१, १९७१–७२ प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग कितना रुपया खर्चा किया गया है और उक्त वर्षों में जेल कृषि फार्म में प्रति वर्ष में कितने-कितने रुपये की आमदनी हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

५,७३० एकड़ ।

कृषि व्यवस्था के लिये निम्न साधन है

१—ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर चालित उपकरण

२—बैल तथा चालित उपकरण

३—डीजल द्वारा चालित पंपिंग सेट

४—नलकूप तथा आर्टिजन कुयें

५—थ्रेशर

कृषि वर्ष	व्यय रुपयों में
१९६७–६८	२८,४९,६८८
१९६८–६९	३५,८५,७५९
१९६९–७०	४०,९८,३२२
१९७०–७१	३९,९६,४३८
१९७१–७२	यह कृषि वर्ष ३१–५–७२ को समाप्त होगा।

कृषि वर्ष	आमदनी रुपयों में
१९६७–६८	४२,४७,३९२
१९६८–६९	४५,०७,०६२
१९६९–७०	४९,३४,०५७
१९७०–७१	४८,०७,५६१
	यह कृषि वर्ष ३१–५–७२ को समाप्त होगा ।

सम्भावली हापुड़, जिला मेरठ का निरीक्षण

५—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की की कृपा करेंगे कि ७ जनवरी, १९७२ के संभावली हापुड़ जिला मेरठ में अचानक निरीक्षण माननीय मंत्री ने किया है यदि हां, तो किन-किन शराब के दुकानों एवं कारखानों में कौन-कौन सी अनियमिततायें पायी गईं और उनके विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही अब तक की गई?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, आबकारी मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ सिम्भौली डिस्टिलरी, जिला मेरठ तथा उसके एफ० एस० ३ अनुभाग का ७ जनवरी, १९७२ को आकस्मिक निरीक्षण किया था । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं की सूची संलग्न है । डिस्टिलरी के अनुज्ञापी तथा सभी संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । इसके अलावा डिस्टिलरी के पी०डी । अनुज्ञापी को कारण बताओ नोटिस दी गई है और दो संबंधित आबकारी निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८५३ पर)

प्रदेश में बिजली का उत्पादन

६—श्री मोहम्मद असरार अहमद, तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में वित्तीय वर्ष १९६९–७० १९७०–७१ और १९७१–७२ में कितनी बिजली वर्षवार पैदा हुई और इन पर कितना व्यय वर्षवार हुआ और जनता की मांगें बिजली की इन विभिन्न वर्षों में क्या रही ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश में बिजली का उत्पादन राज्य विद्युत परिषद् तथा प्राइवेट बिजली कम्पनियों द्वारा किया जाता है । राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् गृहों द्वारा वर्ष १९६९–७०, ७०–७१ व १९७१–७२ में उत्पादित बिजली का विवरण इस प्रकार है

		हजार यूनिटों में
१९६९-७०	..	५०१०.१९६
१९७०–७१	..	५५२९.०१३
१९७१–७२	..	५९४१.०००

उपरोक्त उत्पादन के समक्ष बिजली की वर्षवार मांग इस प्रकार थी

१९६९–७०	..	१२०२ मेगावाट
१९७०–७१	..	१४०० ,,
१९७१–७२	..	१५८७ ,,

विद्युत् उत्पादन का खर्चा इस प्रकार था

१९६९–७०	..	३८१३.०१ लाख
१९७०–७१	..	४२०९.१० ,,
१९७१–७२	..	३९५०.००,, (संभावित)

७—श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त वर्षों में बिजली का उत्पादन मांग से कम हुआ है यदि हां, तो इसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, मांग उत्पादन से अधिक रही । बिजली की कमी को पूरा करने के लिये परिषद् निम्नलिखित जल विद्युत् व बाष्प प्रायोजनाओं को शीघ्रतिशीघ्र पूरा करने के लिये प्रयत्नशील है :—

जल विद्युत् प्रायोजनायें	क्षमता मेगावाट
१—यमुना द्वितीय चरण	३६०
२—मनेरी भाली प्रथम चरण	९०
३—रामगंगा	१८०
४—यमुना चतुर्थ चरण	३०

वाष्प विद्युत् प्रायोजनायें	क्षमता मेगावाट
१—गोबरा थर्मल पंचम यूनिट	५०
२—ओबरा थर्मल विस्तार प्रथम चरण	३००
३—हरदुआगंज थर्मल चतुर्थ चरण	११०
४—हरदुआगंज थर्मल पंचम चरण	११०
५—पनकी थर्मल विस्तार	२२०

इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों से निम्न प्रकार विद्युत् का आयात भी किया जा रहा है और इनसे विस्तार करने के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है :—

१—बिहार डी०बी०सी०	१५० मिलियन यूनिट प्रति वर्ष
२—दिल्ली	५० ,,
३—मध्य प्रदेश	३०० ,,

इसके अतिरिक्त कमी को पूरा करने के लिये अन्य विद्युत् प्रायोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है तथा प्रदेश में अणु विद्युत् गृह की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है।

बरेली जिले के नलकूपों को दिये गये बिजली के कनेक्शन

८—श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में १९७१ में कितने सरकारी नलकूपों को बिजली के कनेक्शन दिये गये कितने प्रार्थना-पत्र अभी बिजली के कनेक्शन के शेष पड़े हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बरेली जिले में वर्ष १९७१ में ५ राजकीय नलकूपों को बिजली प्रदान की गई है और ७ अभी शेष हैं।

९—श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे कनेक्शन अभी पेंडिंग में हैं जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बरेली जिले में ऐसा कोई राजकीय नलकूप पेंडिंग नहीं है।

कतिपय समितियों के निर्वाचन के परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष १९७२-७३ के लिए लोक लेखा समिति के २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य, २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

१—नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय
११-४-७२ के ३ बजे तक

२—सूक्ष्म परीक्षा (सचिव विधान सभा के कमरे में)
१२-४-७२ को ५ बजे

३—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय

१५-४-७२ को ३ बजे तक

४—मतदान यदि, आवश्यक हुआ तो—

(क) प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति

१८-४-७२ को विधान वाचनालय में १२ से ५ बजे तक

(ख) २५ स्थायी समितियों के लिए उक्त स्थान पर १९-४-७२ को होगा।

३ जनवरी, १९७२ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, यह सभी के पास पहुंच गया है। यह लम्बा वक्तव्य है। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक प्रश्न पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष—

शोधन वक्तव्य पर प्रश्न नहीं होते।

[सूचना उप मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

श्री उपाध्यक्ष महोदय,

दिनांक ३ जनवरी, १९७२ को श्री शिवानन्द नोटियाल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध म श्री दीप नारायण मणि न अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि लिबलाइज्ड पशन स्कीम १९६१ से १९६४ के लिय स्वीकृत हुई थी, तो पिछला समय जो बीत गया है, उस समय का भी भत्ता (सुविधा) सरकार उन्हें देने पर विचार करेगी ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था—यह कोई ऐसाप्रश्न नहीं है कि भारत सरकार ने बहुत पहल ही कर दिया है और हम विलम्ब कर रहे हैं। जैसे-जैसे भारत सरकार पशन के प्रश्न को समाजिक सुरक्षा का विषय समझकर उसमें समय-समय पर संशोधन कर रही है, वसे-वैसे हम भी उसमें संशोधन कर रहे हैं। भारत सरकार ने पहले जो दो संशोधन किये हैं उनमें एक यह था कि यदि किसी कमचारी ने एक साल तक राजकीय सेवा कर ली है तो उसकी विधवा पत्नी को आजीवन पशन मिलगी। हमन उसमें और आगे बढ़कर यह भी कर दिया है कि अवस्थक पुत्र को बालिग होने तक और पुत्री विवाह होने तक हम उन्हें पेंशन देंग। अब केवल उनका प्रश्न है जो जनवरी, १९६४ से पहले पेंशन पा रहे थे या जिनके परिवार कम पेंशन पा रहे थे, उनको बढ़ाकर नई दर में पेंशन देने का सवाल है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—यह कोई एसा प्रश्न नहीं है कि भारत सरकार ने बहुत पहल ही कर दिया है और हम विलम्ब

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

कर रहे हैं। जैसे-जैसे भारत सरकार ने पेंशन के प्रश्न को सामाजिक सुरक्षा का विषय समझ कर उसमें समय-समय पर संशोधन कर रही है, वैसे-वैसे हम भी उसमें संशोधन कर रहे हैं। भारत सरकार ने पहले जो दो संशोधन किये हैं उनमें से एक यह था कि यदि किसी कर्मचारी ने एक साल तक पेंशन योग्य अधिष्ठान में राजकीय सेवा कर ली है तो उसकी विधवा पत्नी को आजीवन या पुनर्विवाह तक तथा उसके अभाव में अवयस्क पुत्र को बालिग होने तक अथवा पुत्री को विवाह या २१ वर्ष की आयु तक फैमिली पेंशन मिलेगी। हम भी ऐसा कर चुके हैं। भारत सरकार द्वारा किया हुआ दूसरा संशोधन यह है कि इस नयी व्यवस्था के प्रवर्तन से ठीक पहले जिन मामलों में पुरानी व्यवस्था के अधीन फैमिली पेंशन मिल रही थी (जिसमें पेंशन का हक एक सीमित समय के लिये ही होता था) उनमें भी उक्त हक को सीमित समयावधि के उपरान्त विधवा को आजीवन या पुनर्विवाह तक अथवा उसके अभाव में अवयस्क पुत्र को १८ वर्ष की आयु पर्यन्त या अविवाहित पुत्री को २१ वर्ष की आयु या विवाह पर्यन्त जो भी पहले हो निर्धारित विशिष्ट दरों पर फैमिली पेंशन देय होगी। अब प्रश्न इसे भी राज्य सरकार द्वारा अपनाने का है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्न है।

प्रश्न	उत्तर
१--क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १-४-१९६४ से ३१-३-१९६५ तक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के परिवारों को उत्तर प्रदेश लिबराइज्ड पेंशन रूल्स, १९६१ के अधीन जिन्हें पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हुयी थी उसे १० वर्ष से बढ़ाकर आजीवन पेंशन करने का विषय सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायगा ?	भारत सरकार द्वारा अपनी नई फैमिली पेंशन योजना में किये गये इस प्रकार के संशोधन के सन्दर्भ में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि उसका अनुकरण यहां किया जाय या नहीं। अन्तिम निर्णय यथासम्भव शीघ्र हो जायगा।]

राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि वक्तव्य की प्रतियां पहले ही दी जाती रही हैं। अभी तक हमें नहीं मिली है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

वक्तव्य की कापी हमें भी नहीं मिली है। वह दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको कई बार अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है। वह कह दिया है।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन)--

मान्यवर,

राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ, के विद्यार्थियों ने १७ फरवरी, १९७२ से हड़ताल शुरू की थी। २ मार्च से इन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल और २३ मार्च से दो छात्रों ने अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल शुरू की। २८-२९ मार्च के बीच की

[श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन]

रात को इन दो छात्रों को पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया और सुबह को राज्य सांस्कृतिक कार्य मन्त्री उनको अस्पताल में देखने गये। उनके समझाने पर दोनों छात्रों ने अनिश्चित अनशन समाप्त कर दिया। उसके बाद भी क्रमिक अनशन जारी है। विद्यालय अनिश्चित-काल के लिए बन्द है और उसकी परीक्षायें स्थगित कर दी गई हैं। वास्तुकला के डिप्लोमा की परीक्षाएं स्थगित करने के लिए राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् से प्रार्थना की गयी है और परिषद् उस पर विचार कर रही है।

छात्रों की मुख्य मांग यह रही है कि उनको राज्य स्तर का डिप्लोमा न देकर नेशनल डिप्लोमा दिया जाय या डिग्री प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

१९६४ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की एक उप समिति विद्यालय में निरीक्षण के लिये आई थी जिसने यहां के पाठ्यक्रम आदि को देख कर यह रिपोर्ट दी थी कि इस महाविद्यालय में चलने वाले कोर्सों म से निम्नलिखित तीन कोर्स किंचित सशोधन के बाद नेशनल डिप्लोमा के लिए उपयुक्त हो सकते हैं :—

१—ललित कला,

२—मूर्ति कला तथा

३—व्यापारिक कला।

समिति ने सिफारिश की थी कि विद्यालय यह संशोधन करके विद्यार्थियों को इन विषयों में नेशनल डिप्लोमा के लिए तैयार करें। उपरोक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार इनके पाठ्यक्रमों में संशोधन कर दिया गया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को तद्नुसार सूचित कर दिया गया।

१९६८ में जब छात्रों का पहला बैच यह कोर्स पूरा करके निकलने वाला था तब भारत सरकार से प्रार्थना की गयी कि वह नेशनल डिप्लोमा का प्रोफार्मा भेज दें। भारत सरकार ने इसके उत्तर में कहा कि "राष्ट्रीय डिप्लोमा प्रमाण पत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा कोई विशेष/विशिष्ट फार्म निर्धारित नहीं किया गया है।" तत्पश्चात यहां से डिप्लोमा के फार्म का आलेख्य भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया। लगातार स्मरण पत्रों के भेजे जाने के बावजूद वहां से कोई उत्तर नहीं आया। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य दो बार स्वयं दिल्ली भी गये परन्तु तब भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसी आशा में १९६८ के बाद इन तीनों पाठ्यक्रमों को पास करने वाले छात्रों को अभी तक कोई भी डिप्लोमा नहीं दिया जा सका है। भारत सरकार से उत्तर सितम्बर, १९७१ में प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल डिप्लोमा केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् स्वयं ही दे सकती है और कोई संस्था नहीं दे सकती। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ कला महाविद्यालय द्वारा दिये गये डिप्लोमा को भारत सरकार अपने नेशनल डिप्लोमा के समकक्ष ही मानती है, परन्तु महाविद्यालय को नेशनल डिप्लोमा देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी भारत सरकार से पुनर्विचार के लिए प्रार्थना की जाती रही है।

इसी बीच में छात्रों ने हड़ताल शुरू की। हड़ताल के दौरान छात्रों को आश्वासन दिया जाता रहा है कि शासन को उनकी मांग से सहानुभूति है और इस विषय पर भारत सरकार से निरन्तर पत्र-व्यवहार के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्य निदेशक ने स्वयं दिल्ली जाकर सम्बन्धित अधिकारियों से इस विषय में बातचीत की है। राज्य मन्त्री (सांस्कृतिक कार्य) ने भी भारत सरकार के राज्य शिक्षा मन्त्री, श्री नुरूल हसन को इस विषय में पत्र लिखा है

और उनसे मिल कर बात भी कर आये हैं। श्री नुरूल हसन का जो उत्तर पिछले सप्ताह आया है उसमें आशा है कि भारत सरकार से इस विषय पर शीघ्र ही अनुकूल आदेश प्राप्त होंगे। छात्रों को भी इन कार्यवाहियों से समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है।

जहां तक छात्रों को डिग्री दिये जाने का सम्बन्ध है, डिग्री केवल विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जा सकती है और इस विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति से विचार विमर्श किया गया है। विचार है कि उप कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाय जो कला महा विद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने या उसमें विलीन करने की सम्भावनाओं पर विचार करके कोई रास्ता निकाले। परन्तु ऐसी समस्याओं के सुलझने में कुछ समय की आवश्यकता होती है और अनुकूल वातावरण की भी। मेरी छात्रों से अपील है कि ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वह अपनी हड़ताल तत्काल समाप्त करें। शासन की ओर से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयत्न उठा न रखा जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या यह सही है कि जब छात्रों ने इस महाविद्यालय में प्रवेश किया था उस समय तक नहीं बताया गया कि उनको नेशनल डिप्लोमा नहीं मिलगा ?

श्री पुरूषोत्तम दास टंडन--

जब नेशनल कमेटी आई और उन्होंने कोर्स बदलने के लिए कहा तो कोर्स बदले गये और उन्होंने कहा कि नेशनल डिप्लोमा दिये जाने के विषय पर विचार किया जा रहा है और हमें यह भी बताया गया कि कौंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन यह डिप्लोमा देगी लेकिन अभी इस बात की पूर्ति नहीं हो पाई है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मन्त्री जी ने जो यह तीसरे पेज पर कहा है कि ऐसा विचार है कि उप कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाय जो कला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने या उसमें विलीन करने की सम्भावनाओं पर विचार कर के कोई रास्ता निकाले। तो क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि १०२ विधायकों ने १५ दिन पूर्व लिखित रूप में ऐसी सिफारिश की थी लेकिन १५ दिन के अन्दर सरकार कोई विचार नहीं कर सकी है और क्या यह उस की कमी का द्योतक नहीं है ? आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि वहां के प्रिंसिपल २ बार दिल्ली गये तो क्या यह सही है कि यदि वह कालेज विश्वविद्यालय में मर्ज हो जायगा तो वह इस फैकल्टी के डीन न बन सकेंगे क्योंकि उनकी योग्यता इतनी नहीं है कि वह डीन, फैकल्टी आफ फाइन आर्टस बनाये जा सकें तो क्या इस तरह से अच्छा वातावरण वहां बनना मुमकिन है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

जैसे ही यह सवाल उठा हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के उप कुलपति से बात की और हमने उन से कहा कि इस मामले पर विचार किया जाय। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक्जिक्यूटिव कौंसिल और कमेटी आफ कोर्सेज से राय लेना चाहते हैं और हम इसके लिये तैयार हैं लेकिन पहले इस सब के लिये एक अनुकूल वातावरण की जरूरत है, वह वातावरण बने तो लड़कों से बात चीत आरम्भ की जाय। हमारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का इरादा है। हम प्रतीक्षा में हैं कि अनुकूल वातावरण बने और इस पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फजाबाद)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन छात्रों ने नेशनल डिप्लोमा ले लिया है और कोर्स पढ़ लिया है उनका सर्टिफिकेट या डिग्री कब तक स्थगित रखेंगे ?

श्री पुरूषोत्तम दास टंडन--

अभी दिल्ली सरकार से पत्र आया है उससे मालूम होता है कि बहुत जल्द इस बात का फैसला हो जायगा और उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस वक्तव्य को देखने से पता लगता है कि यह तो गवर्नमेंट का खुद ही सेंशर है जब परिषद् द्वारा सुझाव स्वीकृत कर लिया गया तो फिर डिप्लोमा क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन--

जब सब कोर्सेज मान लिये गये और लिखा गया कि डिप्लोमा दिया जाय तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पेशल फाम उसके नहीं हैं, उसके बाद हमारी कारेसपांडेंस हुई और उसके बाद एक प्रोफार्मा भी भेजा गया कि इसको अप्रूव किया जाय, उसका उत्तर नहीं आया तो फिर लिखा कि हमें बड़ी कठिनाई हो रही है तब उन्होंने लिखा कि हम गौर कर रहे ह और शीघ्र फैसला लेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या मन्त्री जी अनुकूल वातावरण उपस्थित करने के लिये सदन को आश्वासन देंगे कि वह वर्तमान प्रणाली को तब तक के लिये स्थगित करेंगे जब तक कि उप कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती और उस पर विचार नहीं हो जाता ?

श्री पुरूषोतम दास टंडन--

हम इम्तिहान से तब तक नहीं लेवेंगे जब तक अनुकूल वातावरण न हो जाय। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उनका नुक्सान होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार इस मामले को वाइस चान्सलर लखनऊ यूनिवर्सिटी को, जिनको इन बातों का काफी ज्ञान है और वे अच्छे व्यक्ति भी हैं, सुपुर्द कर दे ताकि अगर वे चाहें इस विद्यालय को लखनऊ यूनिवर्सिटी में ले लें। जो बात उनकी सरकार से हुई, वह क्या है और उनकी क्या राय है ?

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

यह मामला ऐसा है जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि छात्रों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। वर्ष १९६८ में इन लोगों को डिप्लोमा डिग्री मिल जानी चाहिए थी लेकिन आज ४ साल हो गये हैं, उन्हें कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिला है। यहां के रिकार्डस देखने से पता चला कि यहां की सरकार ने १९६८-६९ और ७० में बार-बार भारत सरकार को लिखा परन्तु वहां से कोई उत्तर नहीं आया। जब यहां से कागज भेजा गया, प्रोफार्मा बनाकर तो उन्होंने कहा कि हमको डिग्री देने का अधिकार नहीं है और जो कुछ भी सार्टीफिकेट मिलेगा वह अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् से मिलेगा।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लड़कों ने परीक्षा दी लेकिन उन्हें नेशनल डिप्लोमा मिला नहीं। यह मसला हमारे सामने भी आया। इस सम्बन्ध म हमारे राज्य मन्त्री जी दिल्ली गये और मैंने उनसे कहा कि वे वहां के शिक्षा मन्त्री जी से मिलें। उन्होंने सहानुभूति से इस मसले को हल करने को कहा और यह भी कहा कि ऐसा हल करेंगे जिससे विद्यार्थियों को सन्तोष हो। अब वे मुझसे भी मिले। मैंने भी उनसे बात की। उन्होंने कहा था कि आपके प्रोफार्मा पर हम यह लिखकर मन्जूर कर देंगे कि यहां के कालेज की डिग्री को नेशनल डिप्लोमा के इक्वीलेन्ट माना जाय। इससे लड़कों को नौकरी चाकरी पान में कोई कठिनाई न होगी इनकी डिग्री को मान लिया जायगा। उनका पत्र भी ऐसा ही आया। लड़कों को इससे सन्तोष नहीं है। हमने भी बातचीत की। उनका कहना है कि हम इक्वीवेलेंट नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते ह कि हमको डिग्री मिले।

यह प्राविधिक परिषद् कोई डिग्री नहीं देता है। इसे युनिवर्सिटी ही दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है और यही वाइस चांन्सलर ने उनसे बात चीत की। हमने बातचीत की और हमारी राज्यमन्त्री जी ने भी की। उन्होंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। इस कालेज के सम्बन्ध म २ प्रश्न हैं। या तो हम इसे एफिलिएट करें या इसे यूनिवर्सिटी में मर्ज करें। हमने कहा कि आप दोनों को देख लें और शासन को बतायें कि आपका क्या सुझाव है। आप एफिलियेशन देना चाहते ह या आप मर्ज करना चाहते ह।

आपका जो सुझाव होगा उस सम्बन्ध में सरकार विचार करके अपना निर्णय लेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर मजर का विचार हो तो हम कालेज उन्हें दे देंगे। अगर अन्य एफिलिएटेड कालेजों की भांति एफिलिएट करके डिग्री दे दें तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उस पर भी विचार कर लेंगे। कोई फैसला जो उन्हें मन्जूर हो उस पर सरकार विचार करके फसला कर लगी। उन्होंने कहा कि हम यह सब तब करेंगे जब पहले आप हड़ताल खत्म करायें। हड़ताल खत्म हो जाय तभी हम विचार करेंगे। राज्य मन्त्री जी ने यह सुझाव दिया कि हड़ताल समाप्त करान के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं।

एक बच्चे ने तो भूख हड़ताल भी की। उसकी भूख हड़ताल राज्य मन्त्री जी ने तुड़वा दी है। तो हम इसके लिये एक हाई पावर कमेटी बना लें जो इस दिशा में काम करना शुरू कर दे और इस बीच में लड़कों की मांग थी कि हमारे इम्तहान ६ तारीख से होने वाल ह। हमारा निश्चय यह है कि जब तक मसला हल न हो तब तक इम्तहान न हों। राज्य मन्त्री ने घोषणा की वे कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे आन्दोलन बढ़े। हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि इस महीने के अन्दर यह मसला हल हो जाय और इम्तहान के बाद में निश्चय कर लग। उनका कहना है कि हम इम्तहान की वजह से बैठकर क्या करेंगे वह हमारी दिक्कत दूर की जाय। मैं समझता हूं कि थोड़ा समय माननीय सदन देगा तो एकआध हफ्ते के अन्दर हम इस मसले को हल कर लेंगे।

इंजीनियरिंग सबार्डिनेट्स एसोसियेशन, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई उप मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

इंजीनियरिंग सबार्डिनेट्स एसोसियेशन, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश इस प्रदेश के सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिदर्शकों का सेवा संघ है। उक्त संघ ने अपन वर्ग की उपेक्षा एवं उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष का कार्यक्रम निम्न प्रकार बना कर अपने पत्र संख्या ९८ /इ०एन०

[श्री वीर बहादुर सिंह]

सी० (परिवेदनायें) दिनांक २२ फरवरी, १९७२ द्वारा इंजीनियर इन-चीफ को प्रेषित किया है :—

प्रथम चरण	..	दिनांक ९ मार्च, १९७२ से नियमबद्ध कार्य सम्पादन।
द्वितीय चरण	..	दिनांक १४ तथा १५ मार्च, १९७२ को सामूहिक अवकाश।
तृतीय चरण	..	दिनांक २१ मार्च, १९७२ से लखनऊ में क्रमिक अनशन।
चतुर्थ चरण	..	उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के आवाहन पर निर्धारित ध्यानाकर्षण एवं सीधा संघर्ष।

माननीय सदस्य महोदय द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित १० सूत्रीय मांगों का ऐसा कोई पत्र अलग से प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि संघ द्वारा उपरोक्त ज्ञापन में ६० मांगों का उल्लेख किया गया है। संघ ने उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त दिनांक २२ मार्च, १९७२ के पत्र संख्या १६३/सी० ई० (परिवेदनायें) द्वारा दिनांक २९ मार्च, १९७२ से केवल दस बजे से शाम के पांच बजे तक कार्य करने का तथा दिनांक १ अप्रैल, १९७२ से स्टाक तथा टी० एन्ड पी० का आदान प्रदान न करने का निर्णय लिया है। जहां तक १० से ५ बजे तक कार्य करने का प्रश्न है यह समय केवल सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है न कि फील्ड स्टाफ के लिये जैसाकि सामान्य प्रशासन अनुभाग (२) के पत्र सं० ५५ जी०/१९५८, दिनांक २९ मार्च, १९७२ में स्पष्ट कर दिया गया है।

इंजीनियरिंग सबार्डिनेट एसोसियेशन के उपरोक्त ज्ञापन दिनांक २२ फरवरी, १९७२ जिसमें कि उन्होंने संघर्ष का कार्य-क्रम बनाया है में उल्लिखित प्रमुख्य मांगों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(१) स्थायीकरण .. संघ का कथन है कि अधिदर्शकों के स्थायी पद उपलब्ध होते हुए भी उनका स्थायीकरण नहीं किया जाता है फलतः वे सहायक अभियन्ताओं के पदों पर प्रोन्नति के लिये ली जाने वाली पदोन्नति परीक्षा में नहीं बैठ सके। प्रमुख अभियन्ता ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि इनके स्थायीकरण के लिये कार्यवाही की जा रही है। उनके अनुसार वर्ष १९७० तथा १९७१ में १४२ अधिदर्शकों को स्थायी किया जा चुका है।

(२) सेलेक्शन ग्रेड .. अधिदर्शकों के लिये प्रवरण श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा शासन को प्राप्त हो चुका है। इसमें वह संस्तुति की गई है कि इस संवग में २० प्रतिशत अधिदर्शकों के लिये वेतन क्रम २२५-१५-३००-१५-३६०-२०-३८०-२०-५०० रु० स्वीकार किया जाये। इस सम्बन्ध में आवश्यक संस्तुति वित्त विभाग के विचारार्थ भेजी गई थी। किन्तु उसके परामर्श के अनुसार यह मामला वेतन आयोग को भेजा जा चुका है। और उनके विचाराधीन है।

(३) पूरक वेतन . अधिदर्शकों के सेवा नियमों में उल्लिखित नियम २६ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के समस्त अधिदर्शकों को २५ रु० प्रति माह का पूरक वेतन देय था। यह पूरक वेतन उन्हें वर्ष १९६५ तक मिलता रहा। वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा समस्त इंजीनियरिंग विभागों के अधिदर्शकों के लिये एक ही वेतन-क्रम लागू करने तथा सिंचाई विभाग के अधिदर्शकों के पूरक भत्ते

को समाप्त करने के कारण इसे आगे बन्द कर दिया गया। वेतन आयोग को इस पर पुनः विचार करने के लिये लिखा जा रहा है।

(४) विशेष वेतन .. वर्ष १९५१ के पूर्व अधिदर्शकों को कोई जमानती धनराशि नहीं देनी होती थी। परन्तु वर्ष १९५१ में एक शासकीय आदेश अधिदर्शकों से रु० ५०० कैश तथा २,००० रु० फाइडिलिटी बांड के रूप में लेना प्रारम्भ किया गया। संघ का कहना है कि धरोहर धनराशि पर स्टोर कीपर, कैशियर की भांति वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग २ के मूल नियम ९ (२५) के अन्तर्गत वे भी शासकीय आदेश दिनांक १९ अप्रैल, १९६६ में दी गई राशि को विशेष वेतन के रूप में पाने के हकदार हैं। इस समय अधिदर्शकों को धरोहर के रूप में ५०० रु० नकद तथा २,००० रु० फाइडेलिटी बांड्स के रूप में प्रस्तुत करने के आदेश हैं। अतः उक्त शासनादेश के अनुरूप वह २० रु० प्रति माह पाने के हकदार हैं। अधिदर्शकों को २० रु० प्रतिमाह भंडार के रखरखाव के लिये दिया जावे अथवा अधिदर्शकों से नकद एवं प्रफाइडिलिटी बांड्स के रूप में ली जाने वाली धरोहर को समाप्त कर दिया जावे। इस मांग पर विचार किया गया था किन्तु इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। बहर हाल यह मांग ऐसी है कि इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

(५) सेवा नियम .. जहां तक इंजीनियरिंग सबार्डिनेट्स एसोसियेशन के सदस्यों के सेवा नियमों का सम्बन्ध है वे विद्यमान है। माडल एसिस्टेंट, साइन्टिफिक एसिस्टेंट, रिसर्च सुपरवाइजर एवं प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) के सेवा नियमों की जो बात उठाई गई है उनके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ये कर्मचारी इस संघ के सदस्य नहीं हैं। आलेख्य नियमावली इन सब संवर्गों के बारे में बन चुकी है और नियुक्ति विभाग द्वारा उनका परीक्षण भी किया जा चुका है। शासन की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उनको यथाशीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जाय।

(६) सेवा नियमों का उल्लंघन .. संघ का आरोप कि सेवा नियम का उल्लंघन कर ११२ अधिदर्शकों के पदों पर ५६ सहायक अभियन्ता नियुक्त किये गय हैं, भ्रामक हैं। बड़ी परियोजनाओं पर जैसे यमुना परियोजना, कार्य की विशेषता को देखते हुये सामान्य अनुपात में अधिदर्शकों की आवश्यकता नहीं होती अतः तकनीकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं पर अधिदर्शक अपेक्षाकृत कम संख्या में रखे जाते हैं। इसमें कोई नियम उल्लंघन नहीं है।

इसी प्रसंग में संघ का यह भी आरोप है कि लगभग ३० डिप्लोमा होल्डर्स के पदों पर डिग्री इंजीनियर्स की अधिदर्शक के वेतन क्रम में नियुक्ति की गई है। प्रमुख अभियन्ता ने सूचित किया है कि विभाग में केवल ३ डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी अधिदर्शक के पद पर कार्यरत हैं। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की गई है।

[श्री वीर बहादुर सिंह]

(७) कम्प्यूटर के पद पर भर्ती

वास्तव में कम्प्यूटर इस संघ के सदस्य नहीं है इस संघ के मांगों के प्रसंग में उनकी समस्या पर विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कम्प्यूटर के पदों पर भर्ती वर्तमान परिपाटी के अनुसार ड्राफ्ट्समैन को पदोन्नति दे कर की जाती है चाहे वे पूर्ण योग्यता प्राप्त हों या आई० टी० आई० पास हों या ट्रेसर से पदोन्नति प्राप्त कर ड्राफ्ट्समन हुए हों। ये सभी एक ही कार्य करते हैं और कम्प्यूटर के पदपर पदोन्नति के लिये उनमें विभेद नहीं किया जा सकता है। फिर भी इनके जो सेवा नियम निर्माण धीन है उनमें ये प्राविधान किया गया है कि पहले आई० टी० आई० पास ड्राफ्ट्समैन को पदोन्नति दे कर पूर्ण योग्यता प्राप्त ड्राफ्ट्समैन के पद पर रख दिया जायेगा और फिर केवल पूर्ण योग्यता प्राप्त ड्राफ्ट्समैनों की पदोन्नति केवल कम्प्यूटर के पद पर की जायेगी।

जहां तक योजनाओं पर काम ठप्प पड़ जाने की बात है, अधिदर्शकों के आन्दोलन से काम ठप्प हो गया हो यह सही नहीं है। छितौनी एवं कुछ अन्य कार्य स्थलों पर काम पर इस हद तक प्रभाव अवश्य पड़ा है कि ये लोग १० से ५ बजे तक ही काम पर आते हैं। अन्य पालियों में गैर हाजिर रहते हैं। किन्तु अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्य करने का उक्त समय फील्ड कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। यदि अब भी ये लोग काम पर गैर हाजिर रहेंगे तो शासन को मजबूरन अनुशासन बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी। वैसे शासन इनप्लोगों की मांगों पर समय-समय पर विचार करता आया है, और भविष्य में भी उनकी उचित मांगों पर विचार करने के लिये तैयार है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमें वक्तव्य की जो कापी मिली है उससे यह प्रतीत होता है कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि यह नियम ५६ के अन्दर वक्तव्य हो रहा है। श्रीमन्, आप कापी देखें। जब सिंचाई मन्त्री का वक्तव्य नियम ५६ के अन्तर्गत हो रहा है तो बहस इनिशिएट करने का मौका हमको दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना नियम ५६ में थी, किन्तु केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है और उसी के अनुसार वे वक्तव्य दे रहे हैं। वैसे इनको अपने वक्तव्य में नियम ५६ के लिखने की जरूरत नहीं थी।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि छितौनी एवं कुछ अन्य कार्य स्थलों पर काम में कुछ ढिलाई आई है। मैं यह जानना चाहता हूं वह कौन-कौन से स्थान हैं जहां काम में ढिलाई आई है। मान्यवर, शासन ने जो धमकी दी है कि अगर १० से ५ तक कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायगी तो क्या सरकार उनकी समस्या का समाधान न करके अनुशासन की कार्यवाही करने जा रही है?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बहुत प्राविधिक प्रश्न कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि अधिदर्शकों के स्थायी पद लगभग ५०० हैं और केवल १४२ को ही स्थायी किया गया है, तो क्या बाकी जो पद हैं उनको स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

५०० नहीं ४८९ हैं और उनके स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो १४२ पद स्थायी किये गये हैं, उन पर नियुक्ति किस समय हुई लोगों की...

श्री उपाध्यक्ष--

यह बहुत ब्योरे का सवाल है।

श्री इन्द्रमणि--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो १४२ पद स्थायी किये गये हैं, उन्हें कब स्थाई होना चाहिये था और कब हुये।

श्री वीरबहादुर सिंह--

जैसे-जैसे स्थायी पद होते जाते हैं, वैसे-वैसे उनको स्थायी करने की कार्यवाही होती जाती है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थायी करने से पहले कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही होती है जैसे पुस्तिका आदि का भरा जाना, तो क्या इन ४८९ अधिदर्शकों के पदों को स्थायी करने के लिये कितने अधिदर्शकों की सेवा-पुस्तिका, देखने का काम शुरू हो गया है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

अलग-अलग बताना सम्भव नहीं है, लेकिन जो भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये वह समय से हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि लगभग ४८९ के करीब स्थायी पद हैं और उन पर नियुक्ति नहीं हुई है, तो वह कौन सी ऐसी कठिनाईयां हैं जिनके कारण इन स्थायी पदों को अभी तक स्थायीकरण नहीं हो सका ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

इनकी सेवा नियम बन चुके हैं और जल्दी कार्यवाही हो रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जब कभी कोई सवाल पूछो तो यही सरकार की ओर से जवाब मिलता है कि कार्यवाही हो रही है। कम से कम यह तो बताया जा सकता है कि अमुक-अमुक कार्यवाही हो चुकी है और अमुक-अमुक होना बाकी है। आप इस तरह के उत्तर के लिये सरकार को रोकें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

शुक्ला कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि लगातार ५ वर्ष तक एक ही पद पर काम करते रहने पर अधिदर्शकों का पद स्थायी कर दिया जायगा। माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस अवहेलना का कारण क्या है? इस शुक्ला कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन स्थायी पदों को स्थायी न करने के कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो स्थायी बनाने के नियम हैं उन्हीं नियमों से स्थायी किया जाता है। जहांतक शुक्ला कमेटी की सिफारिशों का सम्बन्ध है उसने ऐसी ५ साल वाली कोई सिफारिश नहीं की है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मान्यवर वक्तव्य में सेवा नियमों का उल्लंघन शीर्षक के अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया है कि ११२ अधिदर्शकों के पद पर ५६ सहायक अभियन्ता नियुक्त किये गये हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा क्यों किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह जो नियुक्ति की गई है वह नेचर आफ वर्क को देखकर की गई है। कुछ कार्य-विशेष प्रकृति के थे जहां पर सहायक अभियन्ता की नियुक्ति ही आवश्यक थी, इसलिये काम को देखते हुए नियुक्ति की गई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मन्त्री जी ने पैरा २ में सेलेक्शन ग्रेड के बारे में कहा है कि इसको विभाग ने स्वीकार कर लिया लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी और कहा कि यह मामला वेतन आयोग के सामने भेजा जाय। क्या यह सही है कि आपके यहां सचिवालय में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आदि को बगैर वेतन आयोग में सौंपे ही उनका ग्रेड बढ़ा दिया जाता है लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनको वेतन आयोग में भेजने की आवश्यकता पड़ गई?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, विभाग ने स्वीकार कर लिया था और वह वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग ने कहा कि वेतन आयोग बैठा है वह इस मामले को देख लेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५६ के अन्तर्गत कुल ४ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना है श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री सईद मुर्तजा की जिसमें कहा गया है कि आजमगढ़ के ग्राम नौनारी, थाना सरायमीर कटी फसल की चोरी पर २ वर्ग के लोगों में मारपीट तथा लूट। इस पर प्रश्न कर लें।

दूसरा है श्री शम्भू नाथ चौधरी का जिसमें कहा गया है कि गोरखपुर जनपद के क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रण कार्यालय को खाद्य मन्त्री के प्रभाव से नगर से दूर जीर्ण-शीर्ण मकान में ले जाया जाना। इसको स्वीकार नहीं किया है। आप इस पर प्रश्न करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस पर प्रश्न करें।

तीसरा है श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम और श्री बंशीधर पांडेय का जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा गेहूं का भाव ७२ रु० प्रति क्विंटल करने से किसानों में असंतोष। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैंने कहा है कि मन्त्री जी के प्रभाव से नगर से दूर एक जीर्ण मकान में ले जाया गया है। यह आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें कि पहले कार्यालय कहां था, कहां ले जाया गया और क्यों ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इस शिकायत को मैंने दिया है। यह करना चाहते हैं कि इसको रेन्ट कन्ट्रोल से बरी करवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य मंत्री जी के आचरण पर दृष्टि रखना चाहते हैं। आप उपयुक्त ढंग से मंत्री जी से प्रश्न करें और प्रश्नों के द्वारा आप उनको बांधें। आप इसमें अल्प सूचित प्रश्न करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मैंने भी वक्तव्य के लिये दिया था। इसको तो आप स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष

आप अल्प सूचित प्रश्न करें।

जो प्रश्न संख्या ३ है वह श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम व श्री बंशीधर पांडेय का है जिसको मैंने पढ़ा है।

इसको भी स्वीकार नहीं किया है। आप इस पर प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, पिछले साल गेहूं का भाव ७६ रु० था। अब फिर गल्ला खरीदा जानेवाला है और उसकी खरीद के भाव को सिफारिस ७२ रु० हो गई है जब कि हर एक चीज के दाम बहुत बढ़ गये हैं। केन्द्रीय खाद्य मन्त्री गन्ने के मूल्य की तो बात करते हैं लेकिन गेहूं के बारे में नहीं कहा गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इन सभी चीजों को बजट भाषण में उठा सकते हैं। इस समय आप प्रश्न करें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, एक घटना हो गई है प्रदेश में। केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री और इस सरकार ने मिल कर किसानों को निरुत्साहित कर दिया है। मुख्य मन्त्री जी ने बयान दिया परन्तु केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने उनकी सिफारिस को नहीं माना और उसको ठुकरा दिया। इससे हमारे प्रदेश के काश्तकार निरुत्साहित हो गये हैं। अब उन्होंने केन्द्रीय कृषि मन्त्री से क्या-क्या बातें कीं यह एक अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष---

चौथा प्रश्न श्री रामधारी शास्त्री का था जिस पर सिंचाई मन्त्री का वक्तव्य हो चुका है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मुख्य मन्त्री जी के कहने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने नहीं माना। यह जबरदस्त घटना है। इससे किसानों का मनोबल घटेगा और उत्पादन भी घटेगा। उनकी आर्थिक स्थिति इससे खराब होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

सिफारिश को न माना, घटना नहीं होती है।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

केन्द्रीय खाद्य मन्त्री से बात हुई है और उसका जो तरीका है उस तरीके से उस पर विचार होगा। १३, १४ तारीख को दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस बुलाई गई है। हमेशा ऐसा होता है। गत वर्ष भी एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने गेहूं की कीमत घटा दी थी जब चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई तो मैं मौजूद था। उत्तर प्रदेश की ओर से इसका विरोध किया गया और चीफ मिनिस्टर्स ने भी इसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि उस कांफ्रेंस ने फैसला किया कि गेहूं की कीमत घटाई नहीं जायगी। इसी प्रकार वह प्रोसीजर एडाप्ट हुआ है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की रिकमन्डेशन आई है। उसके ऊपर फूड मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में विचार होता है। १३, १४ अप्रैल को मीटिंग होगी और मैं संभवतः उसमें जाऊंगा और खाद्य मन्त्री भी जायेंगे। वहां उस विषय पर विचार होगा। यहां मैंने केन्द्र के फूड मिनिस्टर से बात की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको नहीं माना है लेकिन उन्होंने कहा है कि १३, १४ को आप आ रहे हैं, वहीं इस पर विचार करेंगे, ताकि एक मुनासिब फैसला वहां लिया जा सके। उन्होंने इन्कार कर दिया है या स्वीकार कर लिया है ऐसी बात नहीं है। प्रोसीजर की बात है। उन्होंने कहा कि आप वहां आयेंगे, तो आप की बात सुनी जावेगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिफारिश मुख्य मन्त्री जी करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कैसे बतला देंगे?

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

वह तैयार हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुनासिब सिफारिश की जावेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सिफारिश की जावेगी यह बतला दी जाय । यहां के सदस्यों की राय जान कर मुख्य मन्त्री केन्द्र में जाकर राय देंगे तो अच्छा होगा । तो अगर मुख्य मन्त्री जी इस बारे में सदन में प्रस्ताव ले आवें तो ठीक होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी औचित्य के प्रश्न की बात आप कब लायेंगे । शनिवार को आपने कहा था सोमवार को.....

श्री उपाध्यक्ष—

कौन सा है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने लिख कर दिया है । मैंने निवेदन किया था कि सरकार ने बजट भाषण में कहा है कि विदेशी शराब की दुकानों के नीलाम से ५० लाख रुपये की आमदनी होगी । लेकिन कल परसों के अखबारों के अनुसार इसको छोड़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने नियम ५१ में कहा है या ५६ में कहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नियम ३०१ में कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मैंने अभी देखा नहीं । अभी तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की बात चल रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने कार्य-स्थगन के समय उठाने के लिये कहा था । यह हाउस बड़ा डल चल रहा है । आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं । सरकार ने ५० लाख के लिये कहा था और अब निकाला है कि दुकानों के नीलाम नहीं होंगे । इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है । क्या सदन के अन्दर हुए बजट भाषण को लौटा जा सकता है । यह खबर नेशनल हेराल्ड में फ्रान्ट पेज पर छपी है । तो अगर यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो और कौन व्यवस्था का प्रश्न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह के जो प्रश्न आवें उनके लिये सरकार ज्यादा बचाव कर सकती है क्योंकि आपने कुछ लिख कर नहीं दिया है । यह हमारे पास नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप कह दें कि हम कल इसको लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आप क्यों इतना बोले । यह अच्छा नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य अन्य माननीय सदस्यों से भिन्न है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हम जनता की बात कहने के लिये आते हैं, उसको सुना जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नहीं कहते ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

नहीं मान्यवर, आप सरकार की तरफदारी करते हैं । आप टाल देते हैं । यहां ऐसे काम हो रहा है, जैसे स्कूलों में होता हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई चर्चा नहीं है । यह अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कुचेष्टा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

नहीं मान्यवर, मैं इतना सब जब्त करने के बाद बोल रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं एक आवश्यक बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, श्री नित्यानन्द जी ने इस नीयत से कहा है कि विरोधी पक्ष की संख्या कम होने के कारण आपका उत्तरदायित्व दुगुना बढ़ गया कि आप विरोधी पक्ष का हित करें और नियम ५१, ५२ और ५६ के प्रश्नों को देखें और इसको पर्याप्त अवसर मिले ।

विभागीय समीक्षा साहित्य न मिलने पर आपत्ति

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

बजट पर चर्चा कल से शुरू होगी ।

पहले यह हुआ करता था कि विभागीय समीक्षा की किताब कुछ रोज पहले मिल जाया करती थी । लेकिन अब उसे पहले नहीं दिया जाता है, उसी दिन दिया जाता है । नतीजा यह होता है कि भली प्रकार से देख नहीं पाते हैं। तो यह जो समीक्षा निकलने वाली है, उसको कम से कम आज तो वितरित करवा दें, नहीं तो श्रीमन्, वे उसी दिन देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसे समय से वितरित करना तो ठीक होगा ।

सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आज जब सुबह मैं यहां आया तो यहां न कोई मंत्री था और न अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही मौजूद थे । श्रीमन्, घोषणा के अनुसार, उस दिन जब आप उठे थे तो कहा था कि ११ बजे फिर मिलेंगे । लेकिन ३/४ मिनट तक कोई सदन में नहीं था । मान्यवर नियम १२ के पहले पैरा का यदि आप अवलोकन करें तो उसमें है कि--

"यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों और सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये अधिष्ठाता मण्डल का कोई सदस्य विधित् प्राधिकृत न हो तो सभा निम्नलिखित ढंग से उस बैठक के लिये सभापति निर्वाचित करने के हेतु कार्यवाही करेगी :-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"एक सदस्य सचिव को सम्बोधित करके सदन के समक्ष उस समय उपस्थित किसी दूसरे सदस्य का नाम प्रस्तावित करेगा और यह प्रस्ताव करेगा कि उक्त सदस्य उस समय तक पीठासीन हो जब तक संविधान अथवा नियमों के अधीन पीठासीन होने के लिये सक्षम व्यक्ति न आ जाये और ऐसे प्रस्ताव का किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन हो जाने पर सचिव प्रस्ताव या प्रस्तावों को सदन का मत लेने के लिये रखेगा । इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अध्यक्षपीठ पर अध्यासीन होगा ।"

इस प्रकार, श्रीमन्, यह एक प्रस्ताव आया एक माननीय सदस्य का । लेकिन उस वक्त न आप उपस्थित थे और न सचिव महोदय उपस्थित थे । इसलिये बड़ी कठिनाई हो गयी । ३–४ मिनट तक कोई पीठासीन अधिकारी नहीं था । तो श्रीमन्, तो क्या जब आप आयगे, तभी सचिव महोदय आयेंगे । आने का समय निर्धारित अवश्य होना चाहिये । श्रीमन्, यह बजट सेशन बड़ा इम्पार्टेन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सचिव को तो उसमे बेकार घसीटते हैं । जो व्यवस्था के लिये कहा, उसमें व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है । हो सकता है कि किसी की घड़ी में कुछ अन्तर हो । जहां तक मेरे आने का सम्बन्ध है, जब घण्टी समाप्त होती है, तब म यहां आता हूं । और ११ बजे हमारे यहां जब लाल बत्ती बुझती है तब आने की व्यवस्था है । घंटी जब बजती है तो यह देखा जाता है कि कोरम है कि नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कोरम यदि नहीं है तो यहां आकर आप व्यवस्था दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम नहीं है तो रुक जाना पड़ता है । फिर २–३ मिनट का अन्तर तो घड़ी में भी हो सकता है । (व्यवधान) मैं ११ बजे यहां आता हूं । लेकिन जो घंटी की व्यवस्था है उसके अनुसार जब वह बन्द होती है तब मैं वहां से चलता हूं । मैंने कोई विलम्ब नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने एक पहलू को बिल्कुल ओमिट कर दिया । यह सरकार का कर्तव्य है कि वह कोरम पूरा करे । लेजिस्लेटिव वर्क आपके सामने है और आज स्थिति यह थी कि अव्वल वक्त में ही कोरम नहीं था । यह भी कोई तरीका है ? डेमोक्रेसी का पर काटा जा रहा है । आप नहीं आये कारण हो सकता है, मगर आपने सरकार से क्यों नहीं कहा कि उसने ११ बजे तक कोरम पूरा क्यों नहीं किया ? आज स्वायत्त शासन विभाग के मन्त्री को मालूम था कि उन पर प्रहार होगा, इसलिये वे भी गायब हो गये । हम लोगों के अधिकारों की कितनी अवहेलना यह सरकार कर रही है । आखिर इनसे पूछना चाहिये था कि इन्होंने कोरम पूरा क्यों नहीं किया ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं माधव प्रसाद जी का कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी के प्रति हमारा ध्यान दिलाया । विरोध पक्ष यदि इसी प्रकार सरकार के उत्तरदायित्व का ध्यान दिलाता रहे तो सरकार का भी कल्याण हो, विरोध पक्ष का भी कल्याण हो और प्रदेश का भी कल्याण हो । मैं मानता हूं कि यह बहुत खराब बात है कि कोरम के कारण सरकार का काम रुक जाय । भविष्य में म इसका अवश्य ध्यान रखूंगा कि कोरम बना रहे । एक बात और कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष का भी यह कर्तव्य था कि जब कोरम नहीं था तो वह उस प्रश्न को उठाता । आपने नहीं उठाया, आप कहां सोते रहे....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब यहां कोई फैसला देने वाला ही नहीं था तो किसके सामने उठाते, क्या मैस के सामने उठाते..... (व्यवधान)।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप मौजूद थे, कोरम बनाने में आपको भी सहयोग करना चाहिये। अगर नहीं था कोरम, तो आपको प्रश्न उठाना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमें उठाना चाहिये और आप को पूरा नहीं करना चाहिये। आप श्रीमन् व्यवस्था दें।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय मुख्य मन्त्री के भाषण को सुनकर, क्योंकि वह तो बहुत पुराने.....

(श्री रामकुमार शास्त्री के बोलने का प्रयास करने पर)

आप बतावें यह व्यवस्था है या अव्यवस्था? आपने मुझ को बुलाया है समय दिया है और वह बोल रहे हैं।

वह तो बहुत पुराने पार्लियामेन्टेरियन हैं। कोरम का प्रश्न उठाने के बाद, उस पर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है और जब वे होते नहीं हैं तो हम किसके सामने इसे उठावें। तो फिर भी अपनी आज्ञा को हमारे ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं हो सकती है, यह पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यहां पर यह मामला सिर्फ कोरम का नहीं है। उससे भी गम्भीर मामला यह है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दूसरे सदस्यगण को इस माननीय सदन की कोई चिंता नहीं रह गई है और वे समझने लगे हैं कि जब चाहे यहां आवें। उन पर कोई बन्धन नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इसे उठाने की मैं इजाजत नहीं देता हूं, आप इसे इस तरह से नहीं कह सकते हैं। यह एक लांछन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लगता है यदि सही बात कड़ुई है तो आप को अच्छी नहीं लगती है। यह सदन यह जानना चाहेगा कि वह कौन सी वजह है कि आप यहां पर ११ बजे नहीं आए। आपका यह कर्तव्य था, फर्ज था कि आप यहां ठीक समय पर आते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरी बात है। प्रश्न यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपकी सरकार को इस सदन की कोई परवाह नहीं रह गई है। आप के लिये कोई आदर नहीं रह गया है सदन को।

(व्यवधान)

आप एक उदाहरण दे दीजिये, जिसमें स्पीकर समय पर न आए हों अपने इस सदन के भीतर। आपको इसके लिये क्षमा मांगनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैंने देखा रामधारी जी से और वित्त मन्त्री जी से आपस में बातचीत हो रही थी। संयोग से कोरम का प्रश्न कतई नहीं था। लेकिन इत्तिफाक से श्रीमन्, पीठासीन नहीं हो सके। २–१ मिनट की देर को मान लेने में क्या हर्ज है आपको। कभी-कभी इस घड़ी और उस घड़ी में अन्तर होता है। इसको साफ कह देना चाहिये। मैं कह रहा था कि बिना पीठासीन अधिकारी के कोई कार्यवाही कैसे हो रही है। इसको मान लेना चाहिये श्रीमन् जी को कि वह आज दो एक मिनट देर से आए।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि यही एक मात्र प्रश्न होता तो आसान था। लेकिन आप ने अभी नहीं समझा है जिस चीज को उठाया गया है,। यदि मैं न रहूं, अध्यक्ष भी न रहें—इसका प्रश्न था। लेकिन प्रश्न दूसरा उठाया गया और जो जायसवाल जी कह रहे हैं, उस प्रश्न को ओझल कर रहे है। प्रश्न बुनियादी यह उठाया गया कि जब सदन के लिये समय निश्चित किया गया है, सदन एकत्र है अध्यक्ष नहीं है उपाध्यक्ष नहीं ह और उस वक्त हमारे अधिष्ठाता मण्डल का कोई सदस्य उपस्थित न हो तो स्थिति नियम की यह है कि इस सदन का कार्य चलाने के लिय किसी का नया चुनाव करके कार्य चलाना चाहिये। अब कोई कहे सदन की इसमें उपेक्षा हुई है तो यह उपक्षा की बात नहीं है। कोई भी विलम्ब से आ सकता है—एक सदस्य भी और अध्यक्ष भी। लेकिन अधिष्ठाता पीठासीन हो सकता है, उसके लिये कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर अधिष्ठाता भी न हो तब किसी को आप चुन सकते हैं। यह नियम की स्थिति है। अगर किसी ने, नियम के अन्तगत जो कर्तव्य आप पर ह, उसको आपने पूरा नहीं किया तो.....

(इस समय १ बजे अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं आये थे, मने प्रस्ताव किया, रामधारी जी का नाम लिया, तो संसदीय कार्य मन्त्री जी ने रोका और यह कहा कि यह कार्यवाही रेकार्ड ही नहीं होगी इस लिये प्रस्ताव भी नहीं हो सकता है। इसलिये उस कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। तो इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अगर दो, चार, दस मिनट आप या उपाध्यक्ष जी विलम्ब से आएं तो क्या किसी भी माननीय सदस्य या अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य को पीठासीन कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

जैसी परिस्थिति आ जाय, आवश्यकता पड़े तो आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं। सदन को सब आधिकार है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

बार–बार मेरा नाम लिया गया है। यह हुआ कि जब ११ बजे घंटी बन्द हुई तो किसी कारणवश तो थोड़ी देर जसे किवाड़ नहीं खुले, माननीय उपाध्यक्ष, या आप नहीं आये, अधिष्ठाता भी नहीं आये। मेरा निवेदन यह था कि जब तक इस आदरणीय कुर्सी पर आप या सम्मानित अधिकार का अधिष्ठाता न हो, तब तक सदन चलता नहीं है। इस लिये जो कुछ वह पेश कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही नहीं है। सदन समवेत नहीं हुआ है। जब कोई वहां बैठेगा तब सदन की कार्यवाही होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो नियम में है उससे अलग जा कर भाष्य हो सकता है क्या ?

श्री अध्यक्ष—

नियम में यह है—"सदन का उपवेशन तभी विधिवत् गठित होगा जब कि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन के उपवेशन में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो।"

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हमें रोका गया। यही निवेदन कर रहा हूं। संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा कि वहां कोई बैठ नहीं सकता। प्रोसीडिंग्ज लिखी नहीं जायगी। कार्यवाही हो नहीं सकती। यह नहीं कहा गया।

श्री अध्यक्ष—

यह वाकया क्या हुआ ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यहां पर तीन मिनट का विलम्ब हो गया। माननीय उपाध्यक्ष जी को आने में। मैंने शास्त्री जी से कहा कि आप वहां जा कर बैठिये। मैं आपके नाम का प्रस्ताव करता हूं। वैसे वह अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य हैं। हम लोग बात कर रहे थे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सुन लिया। उन्होंने कहा कि तब तक कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि कार्यवाही अधिकृत होगी नहीं, अभी सदन प्रारम्भ नहीं हुआ, इस लिये प्रस्ताव भी नहीं हो सकता है। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, क्या उनको अधिकार था कि वह इस तरह से रोकें ?

श्री अध्यक्ष—

जो अधिष्ठाता हैं वह बैठ सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

नियम ११ में बिलकुल साफ लिखा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर न हों और कोरम हो गया हो, तो अधिष्ठाता मण्डल के कोई सदस्य स्वयं बैठ सकते हैं। प्रस्ताव की जरूरत नहीं पड़ती है। माननीय रामधारी शास्त्री खुद अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य हैं वह बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह चीज गुजर गयी। गुजरी हुई बात को कह रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

ऐतराज यह उठाया जा रहा है कि मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स ने किसी आदमी को बैठने नहीं दिया तीन मिनट तक, यह प्रश्न अपोजीशन की तरफ से उठाया जा रहा है। मेरा कहना है कि मिनिस्टर आफ पार्लियामन्टरी अफेअर्स इस बीच में आते नहीं हैं। साफ लिखा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर न आ सके हों और कोरम पूरा हो गया हो तो अधिष्ठाता मण्डल के कोई भी सदस्य जो मौजूद हों, स्वयं बैठ कर वहां कार्यवाही चला सकते हैं। प्रस्ताव अथवा रिजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अगर उन्होंने गलत बहस की थी तो वह समय निकल गया और उसके बाद उपाध्यक्ष आ कर बैठ ही गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यदि ५, ६ सदस्य अधिष्ठाता मण्डल के सदन में बैठे हों तो उनमें से कौन बैठेगा इसलिये अधिकृत करने की प्रणाली होती है। दो तीन अधिष्ठाता एक साथ नहीं बैठ सकते।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ११ देखें। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता मण्डल की अनुपस्थिति में सभापति का निर्वाचन यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों और सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये अधिष्ठाता मण्डल के कोई सदस्य विधिवत् प्राधिकृत न हों तो गणपूर्ति होने की दशा में निम्नलिखित ढंग से उस बैठक के लिये सभापति निर्वाचित करने के हेतु कार्यवाही की जायगी :

"एक सदस्य सचिव को सम्बोधित करके सदन के समक्ष उस समय उपस्थित किसी दूसरे सदस्य का नाम प्रस्तावित करेंगे और यह प्रस्ताव करेंगे कि उक्त सदस्य उस समय तक पीठासीन हों जब तक संविधान अथवा नियमों के अधीन पीठासीन होने के लिये सक्षम व्यक्ति न आ जाय और ऐसे प्रस्ताव का किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन हो जाने पर सचिव प्रस्ताव या प्रस्तावों को सदन का मत लेने के लिये रखेंगे। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष पीठ पर अध्यासीन होंगे।"

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इसमें तो मामला और फंस गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं थे। नियमों में है कि अधिष्ठाता मण्डल का कोई सदस्य हो वह बैठ कर सदन की कार्यवाही चलावे, सचिव की कोई जरूरत नहीं है। अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य मौजूद थे तो सचिव की अनुपस्थिति मैटीरियली इफेक्ट नहीं करती। संसदीय कार्य मन्त्री ने यह बात स्वीकार कर ली कि अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य थे। उनका कहना है कि ५, ६ अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य होंगे तो उनमें से कौन बैठेगा। मेरा कहना है कि जो भी जाकर बैठ जायगा वह सदन की कार्यवाही चलायेगा सदन के एक अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य जा कर बैठने वाले थे लेकिन माननीय मन्त्री ने उनकी कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई न हो तो नियम ११ लागू होगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य श्री रामधारी शास्त्री उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष—

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य को भी कहना पड़ता है जैसा कि नियम में दिया हुआ है।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों में एक नहीं हो तो फिर उनके द्वारा मेसेज भेजने का सवाल कहां पैदा होता है। अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य को कहलाना पड़ता है यह आपने कहा लेकिन मान लीजिये कि आपका मेसेज इस सदन में न पहुंच पाये, उपाध्यक्ष लेट हो गये तब होगा यही कि अधिष्ठाता मण्डल का सदस्य जाकर बैठ जायगा और वह सदन का कार्य चलायेगा चूंकि सदन विधिवत् बैठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

अगर दोनों न हों तो सचिव उस हालत में अधिष्ठाता मण्डल के किसी सदस्य को कहेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरा कहना है कि संसदीय कार्य मन्त्री पार्लियामेन्टरी पद्धति के ज्ञाता होते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल दिया और ३ मिनट तक सदन की कार्यवाही नहीं हुई तो यह अवैधानिकता संसदीय कार्य मन्त्री के कारण हो गई। इसके लिये अब क्या सजा होगी ?

श्री अध्यक्ष—

अवैधानिक कोई चीज नहीं हुई। मान लीजिये गलत तरीके से किसी नियम का इन्टरप्रिटेशन किया जाय तो यह कहा जायगा कि अवैधानिक कार्य हुआ है।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो गलत कार्य का इन्टरप्रिटेशन है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त यह करना चाहिये था कि किसी सदस्य का नाम लेकर उनको यहां पर बैठा दिया जाना चाहिये था·····

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रस्ताव तो किया गया था···

श्री अध्यक्ष—

वह तो ठीक ही हुआ। उसे सचिव के पास भेज दिया जाना चाहिये था....

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, यदि इस प्रश्न पर साफ तरीके से व्यवस्था हो जाय तो आगे के लिये कोई अड़चन नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

नियम ११ में दिया हुआ है "एक सदस्य सचिव को संबोधित करके सदन के समक्ष उस समय उपस्थित किसी दूसरे सदस्य का नाम प्रस्तावित करेंगे और यह प्रस्ताव करेंगे कि उक्त सदस्य उस समय तक पीठासीन हो जब तक संविधान अथवा नियमों के अधीन पीठासीन होने के लिये सक्षम व्यक्ति न आ जाये और ऐसे प्रस्ताव का किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन हो जाने पर सचिव प्रस्ताव या प्रस्तावों को सदन का मत लेने के लिये रखेंगे। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष-पीठ पर अध्यासीन होंगे।" तो यह कोई चीज नहीं हुई। एक बात यह हुई नित्यानन्द जी ने प्रस्ताव रखा।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, मैं निश्चित तौर पर आप की इस पर व्यवस्था चाहूंगा। आपने कहा कि सचिव को लिखे। तो इसमें हमारा क्या दोष है। सदन तो इकट्ठा हो गया, प्रस्ताव भी हो गया किन्तु न अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष और न ही सचिव ही हों तो उस वक्त सदन क्या करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं आपको कल अपनी व्यवस्था दूंगा। क्योंकि मुझे अभी मालूम हुआ है कि सचिव भी नहीं थे।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर मामला है। सदन विधिवत् बैठा चुका था....

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि इस पर मैं व्यवस्था कल दूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि घटना तो इस प्रकार से हुई कि दो या तीन मिनट तक न तो अध्यक्ष महोदय, न उपाध्यक्ष जी और न ही सचिव साहब ही सदन में थे। उधर से किसी सज्जन का नाम लिया गया कि अमुक सदस्य बैठ जाय। श्रीमन्, रूल ११ जो है उसकी स्थिति दूसरी ही है। उसमें यह है कि यदि अध्यक्ष भी न हों और उपाध्यक्ष भी न हों तो अधिकृत अधिष्ठाता मण्डल का कोई सदस्य बैठ जाय। मान्यवर, अंग्रेजी की जो नियमावली है उसमें "अथोराइज" शब्द लिखा हुआ है और आपके पास जो हिन्दी की नियमावली है उसमें "अधिकृत" लिखा है। अधिकृत में यह है कि जिसको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अधिकृत करे या निर्दिष्ट करे। यहां पर यह हुआ कि अधिष्ठाता मण्डल का सदस्य होते हुए भी उनको अधिकृत नहीं किया गया इसलिये वे बैठ नहीं सकते थे। अधिक से अधिक यह हो सकता था कि सचिव नाम प्रस्तावित करते किन्तु सचिव भी नहीं थे। इसलिये ऐसी परिस्थितियों में यह होना चाहिये कि ऐसे समय में सदन एक-दो मिनट तक प्रतीक्षा करे।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो आप केवल इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं। नियमों में कहां पर यह लिखा हुआ है। सदन की क्या गल्ती है वह तो विधिवत् बैठा हुआ था किन्तु न अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष और न ही सचिव थे।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें बहस नहीं होगी मैं कल इस सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगा।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

लक्ष्मीरमण जी ने मामला पेचीदा कर दिया है। उनका कहना है कि हमको इन्तजार करना चाहिये था। आप न हों, उपाध्यक्ष न हों, अधिष्ठाता मण्डल का कोई आदमी न हो...

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसी स्थिति में जबकि नियमों के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं हो सकता तो क्या होगा मुझे बताया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री—

मामला उलझता चला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कल डिसीजन दूंगा इसके ऊपर। यह नयी परिस्थिति है, उसके ऊपर विचार करना होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि मेरे यहां बल्ब जलता है और घंटी बजती है, कुछ घड़ियों में फर्क हो सकता है। जैसे ही बल्ब बुझा वे चल दिये .....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस प्रश्न को उठाकर हम मौलिक प्रश्न से हट रहे हैं। आप स्वयं जान सकते हैं कि नियमों में स्थिति क्या है, बहस की आवश्यकता ही नहीं है, न व्यवस्था की आवश्यकता है।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

सवाल सीधा सादा जो मूल प्रश्न है वह यह है कि इस सभा की पिछली बैठक जो स्थगित की गयी थी वह आज ११ बजे तक के लिये स्थगित थी। वैसे तो ११ बजे ठीक बैठक शुरू होती रही, शायद विधान सभा की पूरी जिन्दगी में कभी ऐसा मौका न आया हो कि न आप रहे हों, न उपाध्यक्ष हों, न सचिव जी रहे हों। यह पहला इत्तफाक रहा है कि आप भी नहीं हैं, उपाध्यक्ष भी नहीं हैं। सचिव जी भी नहीं हैं। तो इससे सीधा सादा यह प्रश्न जरूर उठता है कि इस सभा को जो सम्मान मिलना चाहिये, जो आदर है वह इसके अधिकारियों की निगाह में घट रहा है—सरकार की निगाह में तो घट ही रहा है—और मैं समझता हूं। आपको तो दोष दिया नहीं जा सकता। क्योंकि कुछ कारण हैं, आप आते ही नहीं हैं। लेकिन उपाध्यक्ष जी निश्चित रूप से और सचिव जी निश्चित रूप से आते हैं। जब सचिव जी और उपाध्यक्ष दोनों गायब हो जाते हैं, इसलिये आगे कार्यवाही तो हो ही नहीं सकती थी। इससे स्पष्ट है कि इस सदन को इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिये थी और इसका अवमान किया गया है—सीधा सादा मामला है। यह मामला आसानी से खत्म हो जाता अगर उसके लिये खेद प्रकाश हो जाता, क्षमा-याचना की गयी होती- चाहे कोई भी बड़ा आदमी कुर्सी पर बैठा होता तब भी क्षमा-याचना तो होनी ही चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

मैं खुद खेद प्रकाशन किये देता हूं, उनकी तरफ से भी करता हूं। मैं खेद प्रदर्शित करता हूं अपनी और उनकी ओर से भी-दोषी हों या न हों। मैं सबकी तरफ से खेद प्रकट कर सकता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह बड़ा भयंकर हो गया है। साधारण-सा मामला है, उसको और उलझाया जा रहा है। आपके उपाध्यक्ष महोदय स्वयं तो दो तीन मिनट देर से आये और इलजाम यह लगा दिया गया कि कोरम ही नहीं हुआ था। मैं उस समय खुद मौजूद था, दो तीन प्रश्न उठे, मेरे मित्र भी थे, सब ने कहा। हो सकता है घड़ियों में दो तीन मिनट का फर्क हो जाय। जब घड़ियों पर भरोसा नहीं है तो साफ बात यह थी कि कह देते कि गलती हो गयी। कितनी खेदजनक बात है कि जब कि उनको गलती महसूस करनी चाहिये थी आपने, कोरम के लिये इलजाम लगा दिया। मैं मौजूद था, बिल्कुल कोरम था। लेकिन तीन आदमियों में डायलाग हो रहा था। उनके लिये "उजलत" शब्द तो कहूंगा नहीं, पता नहीं कहना चाहिये या नहीं लेकिन ऐसा करने का औचित्य नहीं था। खेद प्रकट कर देते तो सदन का समय बरबाद न होता। सीधे-सीधे कहना चाहिये था कि इत्तफाक से दो मिनट की देर हो गयी है और इधर विषयान्तर में जाने से कोई लाभ नहीं हुआ मामला बहुत सरल है। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। उनको सीधी सादी जो बात आप कह रहे हैं, तस्लीम कर लेनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आगे चलता हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप बिना माइक के बोलिये।

---

†२९ मार्च, १९७२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी आवाज माइक नहीं पकड़ता है क्योंकि वह बारीक है।

श्री काजी जलील अब्बासी—

१९७२ में इसकी मियाद खत्म हुई तो शिया सुन्नी बोर्ड के गठन करने के लिये मामला उच्च न्यायालय में चला गया और उसका गठन नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि कंट्रोलर की नियुक्ति कर दी गई ताकि काम चलता रहे। इसमें तीन साल लग गये। कंट्रोलर काम कर रहे हैं। १९ मुस्लिम मेम्बरों ने मेमोरेंडम दिया कि कंट्रोलर को समाप्त कर दिया जाय और मेम्बरों की तादाद बढ़ा दी जाय और एसा परिवर्तन किया जाय जिससे चुनाव हो सकें। इसलिये जल्दी चुनाव कराने के लिये और कंट्रोलर को खत्म करने के लिये थोड़ा परिवर्तन करके एक अध्यादेश निकाला गया। उसी को विधेयक के रूप में लाये हैं।

पहले ५ मेम्बर थे और उनकी तादाद बढ़ाने के लिये मेम्बरों ने ८ की मांग की थी। हमने ६ कर दिये हैं। इसमें एक मेम्बर विधान परिषद् का अवश्य होगा, बाकी ५ मेम्बर यहां के होंगे। पहले यह था कि बाहर के आदमी को ले सकते थे। लेकिन बाहर से लेने में दिक्कत होती थी इसलिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि अपने में से चुनेंगे।

शिया बोर्ड में ४ मेम्बर हैं विधान सभा और विधान परिषद् को मिला करके इसलिये समस्त मेम्बर्स ओटोमेटीकली मेम्बर हो जायेंगे। सुन्नी बोर्ड में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट होता था और दूसरा अवध बार एसोसियेशन से चुना जाता था। लेकिन यह गलत था क्योंकि सब एडवोकेट्स को अवसर नहीं मिलता था। इसलिये जितने ऐडवोकेट हैं उनमें दो चुन कर आयेंगे। इतना ही परिवर्तन किया गया है। हमें आशा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं करेगा। इसलिये मैं इसको विचार के लिये रखता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर दे दे। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है वैसा नहीं है। हमें सबसे बड़ा खेद यह है कि जो इससे संबंधित मन्त्री हैं वे पता नहीं हिन्दी पढ़ने से क्यों गरेज करते हैं या उनको हिन्दी से घृणा है कि जिस दिन यह विधेयक पुरः स्थापित हुआ था, वह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसको पुरः स्थापित नहीं किया। यह बड़ी गलत परम्परा है कि सम्बन्धित मन्त्री के रहते हुए वे उसको पुरः स्थापित नहीं करते हैं। क्या हिन्दी पढ़ने से उनको इतनी घृणा है कि वे खुद उसको पुरःस्थापित नहीं कर सके। और कोई कारण नहीं था। वैसे दूसरा मन्त्री पुरःस्थापित कर सकता है। लेकिन इस तरह से यह गलत परम्परा पड़ रही है।

श्री काजी जलील अब्बासी—

मैं वक्फ का भी स्टेट मिनिस्टर हूं। शायद तिवारी जी जानते नहीं हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

यह जो ज्ञापन है इसमें श्री महमूद अली खां साहब का ही नाम है। अब जहां तक संशोधन का विषय है आपने कहा कि यह हाई कोर्ट के पास रहा। इसके बाद कंट्रोलर मुकर्रर हुए। कौन सी ऐसी बाधा आ गई कि पुराना विधेयक बना हुआ था उसमें समिति का गठन नहीं हो सकता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि नाथ तिवारी]

इसमें भी संगठन के लिये नियम बने हुए हैं। उन नियमों में समिति का पूर्ण रूपेण संगठन हो सकता था। क्या कारण है कि ५-६ बनाये जा रहे हैं? आपने कोई बात नहीं बताई।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री महमूद अली खां)—

हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इसलिए जरूरत पड़ी।

श्री हरिनाथ तिवारी—

आपने स्वयं लिखा है कि कन्ट्रोलर की समाप्ति से संगठन नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि जो पहला ऐक्ट बना हुआ था क्या उसमें अवधि नहीं दी गई थी। आप अपनी समिति अच्छी तरह गठित कर सकते थे परन्तु आपने अपना अध्यादेश जारी कर दिया। इसके जारी करने का कोई कारण नहीं था और वह भी चार-पांच रोज पहले। जो पुराना विधेयक बना था उसके पूरे नियम बने हुये थे। समिति का संगठन कर सकते थे। आपने परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं बताया। जहां ५ सदस्य थे वहां पांच सदस्य रख सकते थे। आप कहते हैं कि एक और जोड़ दिया जाय। आपको कोई अनुभव नहीं है कि ५ से काम चलता है या नहीं। आपने कहा कि ६ सदस्यों में से १ सदस्य विधान परिषद् का होगा। अगर राज्य विधान परिषद् में कोई सदस्य नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे?

यही नहीं, शिया और सुन्नियों में द्वेष की भावना की जा रही है। एक जगह तो आपने ६ कर दिये और दूसरी जगह यह दिया कि सब सदस्य दे सकते हैं। आप ५ या ६ करने जा रहे हैं। आपने संकुचित रूप धारण कर लिया है।

खण्ड २ में लिखा है:—

"दो सदस्य जिनका निर्वाचन हाई कोर्ट बार एशोसिएशन इलाहाबाद तथा अवध बार एसोसियशन, लखनऊ के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे,"

आपने कर दिया कि केवल एडवोकेट्स में से ही होंगे। तो केवल एडवोकेट्स ही होंगे और वकील नहीं होंगे। श्री जलील अब्बासी साहब सोचेंगे कि अगर कोई वकील हुआ तो क्या करेंगे। जब ऐसा होगा तो वे फिर सोचेंगे कि क्या किया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समस्त उत्तर प्रदेश के वकीलों में से कोई ऐसा वकील नहीं है जो कि क्षमता न रखता हो? आपने वकीलों को क्यों छोड़ दिया? बाद में आप फिर इसमें तरमीम करेंगे। यह हो सकता है कि कोई वकील इस बोर्ड में आने की चेष्टा न कर रहा हो परन्तु जब चेष्टा होगी तब क्या होगा? यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों किया?

जहां तक ऐक्ट बना है उसको तो आपने लावारिस कर दिया है। मन्त्री जी उसको लावारिस सन्तान की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मालूम ऐसा होता है कि मन्त्री जी ने स्वयं इसको देखा नहीं है। जो कन्पयूजन वर्स फाउन्डेड है वहां आप देखेंगे कि धारा ११ में उपधारा १ में, क, ख, ग, घ जोड़ दिये हैं। शुरू में कहा है कि धारा ११ की उपधारा (१) में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उसमें भी क, ख, ग, घ जोड़ दिये हैं। इसी प्रकार खण्ड ३ में है। आप किसी एक में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सब उपधाराओं में परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें आपको फिर संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। पिछले सत्र में भी आप इसको लाये थे और फिर अब ले आये हैं। इसीलिये हमने कहा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दें जो कि विचार करके अच्छी तरह से इसको लायें। अगर आप इसको इसी तरह से लाते रहेंगे तो पब्लिक मनी वेस्ट होगा। अगर कमियां रहेंगी तो आप आर्डिनेंस लावेंगे, फिर अधिनियम लावेंगे और अधिनियम में भी कमियां रहती हैं। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस वक्त जो सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में है उसमें संशोधन के लिए दो तीन बातें माननीय मन्त्री जी ने रखी है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इस सदन में सात-आठ साल से लगातार इस बात की बराबर मांग होती आई कि सन् ६० का जो मुस्लिम वक्फ ऐक्ट है, उसका जो कांस्टीट्यूशन है कि उसके कौन मेम्बर हों, उसके अन्दर कुछ परिवर्तन होने चाहिए जिससे कि वह ज्यादा अच्छी बाडी हो सके। एक बड़ी दिक्कत यह थी कि इस वक्फ बोर्ड के अन्दर कई करोड़ की प्रापर्टी वक्फ की लगी हुई है और एक बोर्ड उसका संचालन करता है। लेकिन उसके अन्दर बड़ी गड़बड़ी है और एक पर्टीकुलर क्लास के कुछ लोगों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि उसके ऊपर उनका कन्ट्रोल रहे और अगर उनको उस कन्ट्रोल से निकालने की कोशिश करे तो वे उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं और इसके लिए उनको हाई कोर्ट से या दूसरी किसी अदालत से स्टे आर्डर लाने में भी कोई गुरेज नहीं, भले ही बोर्ड की हालत खराब होती जाय।

मैंने खुद इस सदन के अन्दर बार-बार प्रश्न किये और जवाब यह आया कि इस तरह का बोर्ड इंडिपेंडेंट बाडी है और सरकार से इसका ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। चाहे उस बोर्ड में कितना ही गोलमाल हो, करप्शन हो, खराबी हो लेकिन मन्त्री जी सदन में कोई जवाब नहीं दे सके उन रूल्स और कायदों की वजह से। इसलिए यह जरूरी था कि उसके लिए कुछ ऐसी चीज लाई जाती। एक चीज और अर्ज कर दूं। इलेक्टोरल कालेज यानी वोट देने वाले तो इस सदन के मेम्बर और एम० एल० सी० थे। लेकिन यह नहीं था कि जो पांच आदमी हमारे वोट से चुने जायेंगे वे हम लोगों में से ही होंगे। उत्तर प्रदेश का कोई आदमी चाहे किसी कोने का रहने वाला हो उसको खड़े होने का हक था। वोट हम देते थे। नतीजा यह था कि उस बोर्ड का जो कांस्टीट्यूशन है धारा ११ के अन्तर्गत उसमें एक तरफ तो वकीलों की नुमायन्दगी थी और मुजाबिरीन भी औकाफ में मुजाबिर होने के नाते आते थे। लेकिन हमारा जो इलेक्टोरोल कालेज है, जब भी चुनाव होते हैं तो जगह-जगह से हम लोगों पर दबाव डाले जाते हैं कि आप लोग तो असेम्बली और कौंसिल में हो ही, इस बोर्ड में तो हम लोगों को ही रहने दो। नतीजा यह होता है कि इस बोर्ड के सारे कार्यकलाप के बारे में, भले ही यहां के मेम्बरान उनको चुनते हों लेकिन उनका कोई बात कहने का हक नहीं होता। और वे वहां पर जो एफिशियेन्ट रोल प्ले करना चाहिये, वह भी नहीं कर पाते हैं। इसलिये यह मांग बहुत दिनों से चली आती थी कि यहां से एम०एल० ए० और एम० एल० सी० ही चुने जायं। सब लोगों का चुनाव अलग-अलग हो। इसलिये यह तय किया गया कि असेम्बली से ५ और कौंसिल से एक सदस्य का चुनाव हो ताकि यहां से ६ आदमी जाकर बोड में अपना एफीशियेंट रोल प्ले कर सकें। यह अमेंडमेंट मन्त्री जी लाये हैं, उसके लिये हम शुक्रगुजार हैं।

इसके अलावा वकीलों और ऐडवोकेट की बात भी कही गई। अब तक जो एडवोकेट्स का रेजिस्ट्रेशन होता था वह इलाहाबाद और लखनऊ के बार एसोसियेशन से ही होता था और वे ही पूरे उत्तर प्रदेश के औकाफ बोर्ड को कन्ट्रोल करते थे। अब तक जो लीगल ओपीनियन मिलती थी वह सिर्फ इलाहाबाद और लखनऊ बार के ही एडवोकेट्स को मिलती थी। लेकिन अब इसको और वसीअ कर दिया गया है। अब वह पूरे उत्तर प्रदेश में से कहीं का भी एडवोकेट हो सकता है। अब उसके परव्यू को पूरे उत्तर प्रदेश का कर दिया गया है। इसलिये यह भी जो चेंज किया गया है वह बहुत ही अच्छा किया गया है।

इसके बाद शिक्षा बोर्ड के बारे में यह कर दिया गया है कि इस हाउस के जितने भी मेम्बर शिया होंगे वे सब उस बोर्ड के मेम्बर हो जायेंगे। इस वक्त सिर्फ ५ मेम्बर हो सकते थे लेकिन देखा यह गया था कि कभी भी उसकी वह तादाद पूरी नहीं हो पाती थी और इसकी वजह यह रही है कि ५ से ज्यादा या ५ मेम्बर शिया इस असेम्बली के नहीं हो पाय। लिहाजा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

यह कर दिया गया कि जितने भी शिया मेम्बर हाउस के होंगे वे उसके मेम्बर हो जायेंगे। शिया लोगों की भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्रापर्टी है। इससे भी इस ऐक्ट पर परव्यू बढ़ाया ही गया है।

जो हालात है, उनको देखते हुये जो भी तब्दीलियां इस बिल के जरिये से लाई गई हैं, वे बहुत ही अच्छी हैं।

तिवारी जी ने एक ऐतराज और किया बिल तो मन्त्री जी के नाम है लेकिन उन्होंने स्वयं उसको प्रस्तुत नहीं किया। यह सभी जानते हैं कि कैबिनेट का कोई भी मेम्बर उसको पेश कर सकता है, लेकिन दस्तखत तो मिनिस्टर के ही होंगे।

सारी चीजों को देखते हुये और जो शिया व सुन्नी औकाफ सूबे में हैं उनकी जरूरत को देखते हुये और सदन के मेम्बरान की मांग को देखते हुए कि बोर्ड के कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन होना चाहिये। उसी दिशा में यह पहला कदम उठाया गया है और इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष जी, अभी हमारे मित्र श्री रियासत हुसैन ने बड़े अच्छे शब्दों में लेकिन बड़ा घुमाकर यह प्रभाव डालने की चेष्टा की कि यह विधेयक बहुत अच्छा है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिये जो यह संशोधित बिल आया है मैं भी समझता हूं कि इसके आने की बहुत आवश्यकता थी ही नहीं। बोर्ड के निर्माण के लिये पहले जो नियम थे बहुत अच्छे थे और बहुत स्पष्ट थे। चाहे शिया सदस्य हों या सुन्नी सदस्य हों उनको सरकार ने एक ही दृष्टि से देखा था, वे ५ सदस्य चुनते थे उसमें विधान सभा के भी सदस्य हो सकते थे और बाहर के भी हो सकते थे।

पहली बात तो यह है कि वर्तमान सरकार ने उसमें दो दृष्टि कर दीं। एक तो बड़ी अच्छी है कि उन्होंने सुन्नी सदस्यों की संख्या ५ से बढ़ाकर ६ कर दी। हो सकता है कि उनकी मांग आगे भविष्य में ८ और १० की भी हो लेकिन उन्होंने ६ की सदस्यता स्वीकार की है। साथ में जो वकील आते थे उनकी परिधि बढ़ा दी और उनको बोर्ड के लिये ८ सदस्य का चयन करने की व्यवस्था इस बिल में कर दी। लेकिन शियाओं के बारे में उन्होंने वह दृष्टि नहीं अपनायी। उनकी तरफ से विधान मंडल के सभी सदस्य चले जायेंगे। वर्तमान समय में उनकी सदस्य संख्या ४ है और जहां वे सुन्नी बोर्ड में ८ जायेंगे वहां शिया बोर्ड में केवल ४ ही जायेंगे। हमारे मित्र ने एक और तर्क प्रस्तुत किया कि शिया बोर्ड में बहुत बड़ी जायदाद बड़ी सम्पत्ति और धनराशि है और वहां बड़ा घोटाला और शिथिलता है और लापरवाही है यह विधान मण्डल के लोग जाकर ठीक कर देंगे।

मैं बड़े आदर के साथ कहूंगा कि हम यहां विधान मण्डल में रह कर सब लोग प्रदेश के घोटाले को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और वहां जाने से सब ठीक हो जायगा यह मैं नहीं मानता लेकिन यह जरूर होगा कि आप की राजनीति वहां जरूर निखरेगी। अपना राजनैतिक प्रभाव डालने के लिए आप यहां के सदस्यों को इस तरह से वहां भेजने का फैसला लिया। शिया व सुन्नी बोर्ड में अपने प्रतिनिधित्व द्वारा यह अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है और आप राजनीतक दल विशेष को इस तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं। यह धार्मिक संस्थाओं के द्वारा एक प्रकार से आप अपने राजनैतिक पंजे से उनको जकड़ना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब बाहर के सदस्य इसमें चुने जाते थे, आप को वोट देकर चुनने का अधिकार जरूर था लेकिन बाद में वह राजनीति में भाग लेंगे, ऐसी धांधली अभी तक नहीं थी लेकिन अब तो मजबूरी है रियासत हुसैन साहब को भी मोहन के कोटे में डाल दिया गया और इच्छा न रहते हुए भी उनको वोट देने के लिये, एक शराब के निर्माण को वोट देने की बात हालांकि उनको कचोटती थी लेकिन उन्होंने एक आश्वासन के कारण उनको मजबूरन वोट दिया।

आप जिसके कोटे में थे, आपने उसी के जिताने का प्रयत्न किया क्योंकि आपकी पार्टी ने आपको खींच दिया। उसी प्रकार से और आप चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। तो इससे राजनीतिक क्षेत्र में फायदा उठाने की कोशिश की है। इसके पहले की जो विधेयक में व्यवस्था थी वह इससे अच्छी थी जिसमें यह था कि बाहर के और विधान मण्डल के सदस्य भी जा सकते थे। इसमें शियाओं के साथ में भी अन्याय किया है। आज उनके ४ सदस्य हैं। कल हो सकता है कि एक भी सदस्य न हों तो ऐसी स्थिति में विधान मण्डल से एक भी सदस्य नहीं जायेगा। यदि आपकी मंशा यही हो कि विधान सभा के सदस्य ही जायेंगे तो अगर उनकी संख्या कम होगी तो बाहर से चुनने का अधिकार होगा। आप राजनीतिक प्रभाव डालना चाहते हैं। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को राजनीतिक पंजे में जकड़ने की आप इस संशोधन के जरिये से ला रहे हैं।

मैं माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव से सहमत हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर दे दे। इस अध्यादेश और विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रीमन्, पुनः आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे वे अपना विचार १ महीने के अन्दर व्यक्त कर सकें।

*श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने जो तरमीम पेश की है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

रियासत साहब ने आज आपके सामने यह भी बताया है कि वक्फ बोर्ड के कब्जे में जो सम्पत्ति आई है, एक खास वर्ग के लोग उसे लूटते रहे हैं और शायद आज भी अगर उसमें कुछ काम होने जा रहा है तो रियासत हुसैन भाई खुद लूटने में मदद करना चाहते हैं, उस वर्ग की। ६, ७ और ८ की जो बढ़ाने की बात है सचमुच वह इनके मनसूबे की चाल है। ५ अगर करेंगे तो ४ ही चुने जायेंगे रूलिंग पार्टी से लेकिन अगर ६ चुने जायेंगे तो भी उनके ५ चुन जायेंगे और अपोजीशन का एक ही चुना हुआ आयगा। आज देश में प्रजातन्त्र की आवाज है और रियासत भाई भी यहां पर रोजाना कहते रहते हैं लेकिन किसी और वजह से उन्हें मजबूर किया जा रहा है। उनके दल में इस समय ३१ विधायक हैं और अपोजीशन में केवल ४। ये हमारे हक पर कुठाराघात कर रहे हैं, मुझ जैसे साथी के साथ ये अन्याय करने जा रहे हैं।

प्रिएम्बिल में यह नहीं दिखाया गया है कि यह क्यों लाया गया है कहा गया कि न्यायालय में कुछ चीजें तैयार हैं। हाई कोर्ट में जितने भी मुकदमे चल रहे हैं कन्ट्रोलर के खिलाफ उसके लिये कहा जाय कि करो। लेकिन पिछले ऐक्ट के अनुसार जो चुना गया था बोर्ड उसको जानबूझकर निरस्त करने के लिये कार्यवाही की गई है क्योंकि उसमें विरोध पक्ष के लोग शामिल हैं। उन विरोध पक्ष को दूर करने के लिये कार्यवाही शुरू की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष, मुझे मंत्रिगण माफ करेंगे कि इसके जरिये से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। क्या मन्त्रियों को यह हक है कि अपने रिश्तेदारों को जो रिटायर हो गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद असरार अहमद]

हैं नगरपालिकाओं में, जिसके सम्बन्ध में मैंने मुख्य मन्त्री को लिखा है, उनको वक्फ बोर्ड में सुपरिंटेंडेंट की जगह नियुक्त करेंगे। क्या मन्त्रियों को हक है कि जब मन्त्री जी ने खुद पिरान-कलियर के सज्जादनशीन पर आरोप लगाया गया था और विरोध पक्ष मुकर्रर भी हो गया था उन्होंने हाई कोर्ट में कोशिश करके उनके हक में फैसला कराने की कोशिश की और अपने भाई को वहां का रिसीवर मुकर्रर किया। यही है क्या विधेयक को पेश करने की मंशा? माननीय सदस्यों को किस तरह से फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी ओर हाई कोर्ट में एडवोकेट चुने जाते थे। तो मैं नहीं समझता था कि उससे सरकार को कोई दिक्कत थी। अगर यहां भी विधायक अच्छे हो सकते हैं तो एडवोकेट भी आठ कर दिये जाते। उसमें सरकार को क्या आपत्ति थी। जिन लोगों की सम्पत्ति है जिन लोगों ने वक्फ दिया है और नियन्त्रण रहेगा विधायकों का। जिनकी सम्पत्ति है उनका कन्ट्रोल नहीं है। विधायक का कन्ट्रोल इसलिये आवश्यक है जैसा कि मेरे भाई ने कहा था कि लूटे जाओ, वोट दिये जाओ, शराब पिये जाओ और वोट देते जाओ, पैसा लिये जाओ, और वोट देते जाओ। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जनता से ही नहीं खास-तौर से मुसलमानों से जिनकी यह सम्पत्ति है अन्याय इतना किया गया है शायद उसके लिए हमारे रियासत भाई को उसका भुगतान करना पड़े और मन्त्री जी को भी उसका भुगतान करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक जामा मस्जिद है मुरादाबाद में चौदह वर्ष से वह काम कर रही है। १७ मार्च को बाइलाज बने कि किस तरह से वहां की समिति आइन्दा काम करेगी और उसमें हमारे एक विधायक रूलिंग कांग्रेस के थे। उन्होंने कन्ट्रोलर से कहा कि इसको रोक दो। जब आज रूलिंग कांग्रेस के विधायक का यह हाल है और जब मन्त्रियों का यह हाल है तो वहां हमारे विधायक जाकर क्या कर सकेंगे। जिन लोगों से चुनकर विधायक आते हैं उन्हीं की नुमाइन्दगी को रोकने के लिये आज यह संशोधन क्यों लाया गया है, हम बाहर के नहीं ले सकते। क्या विधायक सभी अच्छे हैं क्या किसी फरिश्ते की औलाद हैं और जो विधायक के अलावा लोग हैं वे किसी शैतान की औलाद हैं। किस लिये यह बात करने की कोशिश की गई है। इन्सान में फर्क आ गया है।

इसी प्रकार जो सन् ६७ में मुसलमान भाई चुनकर आ गये और जो ३१ थे और शायद दो ही विधान परिषद् में आयेंगे। चूंकि विधान परिषद् में ज्यादा विधायक सुन्नी आ सकेंगे। यह और बात है कि पार्लियामेंट में चुने जायं उसमें भी खास तौर से अपने को नामीनेट करायें। यह आपने चुना और उसको भी अपने हाथ में ले लें और अपोजीशन को बिल्कुल काट दें यह न्याय है या अन्याय यह तो सरकार को सोचना है और पब्लिक के सामने जवाब देना है कि किस तरीके से ईमानदारी से काम किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट में स्टे आ गया उसके बाद पिछले बोर्ड को काम करने क्यों नहीं दिया गया? अगर उसमें कोई बुराईयां आतीं तो मैं समझ सकता था कि बात सच है और हमें कुछ न कुछ करना चाहिये।

इसी असेम्बली में पिछले सत्र में ३-४ प्रश्न मेरे थे वक्फ से ताल्लुक रखने वाले। लेकिन हमेशा या तो मन्त्री गायब हैं या फलाने मंगलवार या बुधवार के लिये स्थगित किये गये। जब १६ आने इनका कन्ट्रोल है और विधायक की छाप वहां लगी तो क्या वक्फ की प्रापर्टी का सही मसरफ हो सकेगा? जिस तरह से मकानात बरबाद हो रहे हैं, यतीम बच्चे परेशान हो रहे हैं क्या हमारे विधायकगण उसको रोक सकेंगे? ये तो उसमें और मदद करने वाले होंगे। दुनियां में जितनी भी डकैती हो सकती हैं, बंगला देश में याहिया की फौजों ने जो कुछ किया है उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की वक्फ प्रापर्टी में ये करेंगे। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं और मन्त्री जी से इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिये प्रार्थना करूंगा। वक्फ बोर्ड्स का सही संचालन करने के लिये केन्द्रीय सरकार का

एक जनरल ऐक्ट लोक सभा के विचाराधीन है। उसके पास होने के बाद उसको देखते हुए एक कम्प्रिहेंसिव बिल यहां लायें। हमारे बिजनौर के माननीय मन्त्री जी ने खुद एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाने की कोशिश की थी, हमने उनसे बातचीत भी की थी मगर हमारे मौजूदा मन्त्रिगण ने अपोजीशन के किसी एम० एल० ए० से बातचीत भी नहीं की और अपने चारों तरफ चक्कर काटने वाले १८ विधायकों से दस्तखत करवा लिये। मैं जानना चाहता हूं कि उन १८ विधायकों के नाम बतायें और कहें कि उन्होंने वक्फ की कोई जानकारी हासिल की है जिसके बिना पर उनको रखा है।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी हमारी भावनाओं का ख्याल करें। कोई हर्ज नहीं हो जायगा अगर एक महीने का मौका हम दे दें और मई में इस बिल को पास कर दें। इस बीच में हमारी भी राय आ जायगी, पब्लिक की भी राय आ जायगी और सरकार की भी राय आ जायगी और सही तरीके से बिल बन सकेगा। इसलिये मैं प्रवर समिति में इस बिल को भेजने के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हरिनाथ तिवारी ने संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो काजी जलील अब्बासी साहब ने अपने भाषण में कहा मैं उसको बिल्कुल नहीं समझ पाया। उच्च न्यायालय में क्या मामला चल रहा है, उसमें क्या-क्या प्लीज ली गई है, उसमें कौन सी बातें चुनाव कराने में और बोर्ड का संगठन करने में बाधक हो गयी हैं इस बारे में उन्होंने एक अक्षर भी नहीं कहा। केवल यह कह दिया कि उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है इसलिये संशोधन लाये हैं। अगर उनसे सम्बद्ध मामला है तब तो यह संशोधन नल एंड वायड हो जायगा। जब तक वहां का मामला तय न हो जाय, इस संशोधन को लाने की जरूरत ही क्या है। माननीय मन्त्री जी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाये हैं कि किन कारणों से यह संशोधन यहां लाया गया है। अभी हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं हुआ और मान लीजिये फैसला इन्हीं के फेवर में हो जाता है तो यह संशोधन बेकार हो जायेगा और जो रीजनिंग उद्देश्य में दी गई है, वह साफ नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि इसको या तो वापिस ले लें या इसको प्रवर समिति के पास भेज दें और जहां अपनी पोजीशन को साफ करें कि इसलिये बिल लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायें, कोरम पूरा नहीं है।

(घंटी बजाई गई)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर आप कुछ टिप्पणी करें सरकार पर। यह तो बहुत खराब है। अभी-अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ४-५ मिनट पहले कहा था कि वे कोरम का ख्याल रखेंगे, लेकिन फिर भी कोरम पूरा नहीं है। आप लिनिएन्ट कब से हो गये, कुछ टिप्पणी करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि दो-एक दफा अगर ऐसा होगा तो मुझे लाचारी से आज के सदन का काम स्थगित करना पड़ेगा। लिहाजा आप ऐसे मजबूत आदमी बुलायें जो यहां बैठे रहें।

(कुछ देर बाद)

कोरम तो हो गया है लेकिन बिल्कुल मार्जिनल कोरम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर हमारे सामने इस प्रकार का संशोधन लाने की क्या जरूरत है, इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता है। माननीय रियासत हुसेन भाई बार-बार इस सदन में मांग कर रहे हैं कि इस बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन चेंज हो क्योंकि इसमें गोलमाल के लिये यहां पर कोई मंत्री उसका जवाबदेह नहीं होता है। इसीलिये आप ने सारे परिवर्तन किये हैं और पुरजोर लफ्जों में इसकी मांग की है। ५ की जगह पर ६ मेम्बर कर दिये और ११ की जगह पर १२ कर दिये। ऐसा करने से कौन सी जिम्मेदारी बोर्ड की बढ़ जायेगी। उन्होंने जो टूटी-फूटी दलीलें दीं उसको नहीं समझ पाया वे थोथी दलीलें थीं।

दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि एफेक्टिव हो जयगा। श्री जायसवाल जी ने उसका उत्तर दे दिया। अब जहां पर भ्रष्टाचार होता है और ये पहुंच जायेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा और इसीलिये कान्स्टीट्यूशन को बदल दिया गया है। मैं यही समझता हूं कि इसको अगर प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिसके लिये हाउस सक्षम है तब तो बात समझ में आती है क्योंकि इसमें कोई ऐसी धारा नहीं बढ़ाई गई है। आप कहते हैं कि कान्स्टीट्यूशन में परिवर्तन किया गया है जिससे कि यह एफेक्टिव हो जायगा और रिस्पान्सेबिल हो जायगा। संख्या बढ़ा देने से यह सभी गुण इसमें आ जायेंगे यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। हम जो सदन के सदस्य हैं वे ही चुनाव करेंगे और सारे ५४ जिलों में से कोई नहीं करेगा यह तो बड़ा भारी अन्याय है। आप क्या समझते हैं कि यहां पर जो लोग चुन कर आते हैं वे सभी दूध के धोये हैं और बाहर के आदमी सभी भ्रष्ट हैं। अभी परसों जो चुनाव हुआ है उसमें क्या हालत हुई है? आपने सदन से बाहर जिनको अधिकार है उसको छीना है यह ठीक नहीं है। मान लीजिये कि परिषद् में कोई शिया चुन कर नहीं आता है तो पोजीशन क्या होगी और उसका कैसे मुकाबिला करेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इसको प्रवर समिति में जाने दीजिये। बोर्ड के फंक्शन्स में कितनी परेशानी होती है यह तो आप सभी जानते हैं। आपका यह कहना कि वह हाईकोर्ट में पड़ा है यह चलने वाला नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। मैं फिर मंत्री जी से कहूंगा कि माननीय हरिनाथ तिवारी के संशोधन को कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर दे देगा। जब तीन साल में हम कुछ नहीं कर सके तो केवल २, ३ माह में ही हम क्या कर लेंगे।

इन शब्दों के साथ में माननीय हरिनाथ तिवारी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री सईद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं मंत्री जी से वक्फ बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। सन् १९३६ में यह कान्स्टीट्यूट हुआ था। सन् १९७१ तक इसमें ५, ६ तरमीमें हो चुकी हैं। इसमें ५ मेम्बर रखे गये हैं। १ काउन्सिल से बाकी एसेम्बली से। अब इसमें ६ कर दिये गये हैं। ५ मेम्बर अगर एसेम्बली से होंगे तो १ वह भी एसेम्बली का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। किसी समय यह भी तो हो सकता है कि किसी समय कोई मुस्लिम मेम्बर हो ही नहीं तो क्या उस समय आप फिर इसमें तब्दीली करेंगे, इसके कानून को आप फिर बदलेंगे। मेरा तो यही ख्याल है कि जो पहले था कि बाहर के भी मेम्बर इसमें रखे जाते थे और एसेम्बली के भी होते थे, यही होना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर आपको फिर इसके कानूनों को बदलना पड़े। ५ और ६ में कोई फर्क नहीं है। यह कहना कि ५ से ६ करने में मुकदमेबाजी खत्म हो जायेगी। यह कोई दलील की चीज नहीं है, यह कारामद दलील नहीं है। ५ ही काफी थे १ काउन्सिल का और ४ यहां से। एक वकील कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि यू० पी० के वकीलों में से एक को चुना जाय। पहले आप सूबे भर के एडवोकेटों की एक लिस्ट बनवायें। आपने इसमें यह भी नहीं दिया है कि एडवोकेट होगा या वकील होगा। यह नहीं है। इसमें ऐसा रखना चाहिए था कि एक हाईकोर्ट एक और एक अवध का एडवोकेट रखा जाय तो बेहतर होता। कौन इसमें इतनी दिलचस्पी लेगा, इतना खर्चा करेगा। तमाम यू० पी० के वकीलों को इकट्ठा करना कि वह यहां आकर वोट दें। ऐसा करने में आपका काफी खर्च पड़ेगा। साथ ही यह भी नहीं है कि बैलेट से होगा या कैसे होगा? यह सभी चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ मुलाहिजा फरमाना जरूरी था। उसकी यहां पर सफाई की जानी चाहिये थी।

आपने मुतवल्लियों में से बनाया। इसमें एक रखा है। मैं तो यह समझता हूं कि कम से कम दो मुतवल्ली रखे जायं। आपने एक जमीयतेउलमा का मौलवी रखा है। यह कैद नहीं होनी चाहिये। यह मेरी समझ में नहीं आया। जमीयतेउलमा का एक मौलवी क्यों होना चाहिये, कोई भी मौलवी हो सकता है। जमीयतेउलमा के लोग बहुत आलिम लोग हैं और दूसरे नहीं। इसमें दो तबके हैं इसलिये बड़ा झगड़ा हुआ करता है। आपने खासतौर से जमीयतेउलमा के लिये रखा है इसको आप हटा दें। मौलवियों में से कोई आ जाय। अगर ऐसा कर दें तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

मुतवल्ली में से भी कम से कम २ होने चाहिये। वही इससे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इन दोनों ही बातों पर गौर फरमायेंगे और इसको मन्जूर करेंगे।

*डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्त (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड के लिये जो विधेयक लाया जा रहा है इसकी बहस को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिये कि जब हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वह इस कानून के अन्तर्गत गया है जिसे सरकार ने बनाया है। अब ऐसी सिचुएशन निकली है तो जाहिर है कि सरकार ने कानून के खिलाफ काम किया है और जब पबलिक ने कानून की शरण ली तो कानून की बात लेकर यहां आये हैं। दूसरी परिस्थिति में ऐसा किया जाता तो समझ में आता लेकिन रोज-रोज ऐसा करना कानून का मखौल बनाने वाली बात होगी।

इसमें एक बात और कही गई कि हमारे जो विधायक हैं वह अगर वक्फ के मेम्बर्स रहेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे और ९ करोड़ जनता में से ईमानदार आदमी ढूंढा नहीं जा सकता है जो इस वक्फ की कार्यवाही ठीक से चला सके। यह दलील ठीक नहीं मालूम होती है। एक बात और है कि किसी भी बात को विधेयक बनाते समय यह देखना चाहिये कि आखिर यह कानून कितने दिनों के लिये बन रहा है। अगर जब तक हमारी पार्टी सरकार में है तब तक के लिये है तो चल जावेगा। इसको इतनी लापरवाही से बनाने की कोशिश की है कि ऐसा मालूम होता है कि जल्द ही बदला जावेगा। एक बात और सोची गई कि विधायकों को लिया जाय और जनता के नुमायन्दे खतम कर दिये जायं। लेकिन एडवोकेट्स के मामले में ऐसी बात की है कि हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के लिये जो सीमित था वह प्रदेश के सारे एडवोकेट्स में फैला दिया जाय लेकिन जनता के नुमायन्दों का रास्ता बन्द कर दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह जो विधेयक रक्खा गया है इस पर पार्टी के अन्दर भी चर्चा नहीं हुई है तो प्रवर समिति में भेज दिया जाता तो अच्छा होता। इस पर पार्टी का व्हिप आ जावेगा, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काजी जलील अब्बासी—

मुझे खेद है कि जब यह बात हुई थी तो यह सोचा गया कि यह बहुत सादा सा विधयक है और जल्दी से हो जाय, तो मैंने इस पर ज्यादा प्रकाश डालना उचित नहीं समझा। ख्याल यह था कि जिनको दिलचस्पी है वह सभी जानत हैं कि इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। मैंने अपने भाषण में समय के ख्याल से जो कटौती की वह ठीक नहीं हुई है। कुछ लोगों न जानकारी में और कुछ ने भ्रम में बहुत सी बातें कह डाली हैं। प्रकाश जी ने भ्रम में बात की है, समझन की कोशिश नहीं की।

मैं यहां पर यह बात बतला दूं कि यह जो मुकदमा चल रहा है वह किस बात पर चल रहा है। तीन वष हो गये हैं, रिट दायर की गई है। इलेक्शन हुए कि रिट दायर कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि वह इलक्शन अवैध हो गया और उसके बाद से हम कोई न कोई कन्ट्रोलर मुकर्रर करके काम चला रहे हैं। तीन साल हो गये हैं। कन्ट्रोलर काम कर रहा है। रोज शिकायतें आती हैं और जो प्रजातांत्रिक ढंग से लोग चुन कर आये थे उनसे काम नहीं ले सके हैं। हाई कोर्ट में मुकदमें को तीन वष हुये गये हैं और कुछ नहीं हुआ है। इसमें हमने कोई विशेष बात नहीं की है। दो आदमी एक अवध और एक इलाहाबाद से चुने जात थे अब पूरे प्रदेश से कर दिय हैं। तो यह ठीक किया है। इसी के आधार पर नया चुनाव करन वाल हैं ताकि मुकदमा इन्फ्रक्चुअस हो जावेगा। यह रास्ता ज्यादा प्रजातांत्रिक है इसलिये इसको किया गया है। जिस आधार पर पहल मुकदमा दायर किया गया था उसको खत्म करने के लिये हमने इसमें परिवर्तन किया है।

इसमें है कि दो आदमी अवध बार से चुने जायं और एक आदमी इलाहाबाद से चुना जाय। इसमें वकीलों के साथ न्याय नहीं किया गया, ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट का एडवोकेट बनने में केवल पांच सौ रुपये खर्च होते हैं। हमने एडवोकेट इसमें रखे हैं। सुन्नी एडवोकेट इसमें चुनकर आ सकते हैं। अब जिस मुतवल्ली की तीन हजार की आमदनी हो, वह खड़ा हो सकता है। हमने इसको और व्यापक कर दिया है। यह ज्यादा इफेक्टिव होगा। सईद मुर्तजा साहब ने कहा कि उलमाओं में दो तबके हैं और उनमें बहुत झगड़ा है। इसी झगड़े से बचने के लिये जमीयतुउलमा रखा गया है। अभी इसमें बहुत एतराज किया गया कि बाहर के आदमी के लिये रास्ता बन्द कर दिया गया है। हम विधायकों में से ही चुन लेंगे। और यह भी कहा गया कि क्या बाहर के लोग ईमानदार और अक्ल वाले नहीं और विधान सभा में चुनकर आये हुए सदस्य ही दूध के धोये हैं। लेकिन हमारी यह कतई मंशा नहीं है।

उसमें कहा गया है कि हम विधायक जो हैं अपने में से अपने नुमाइन्दे चुनें या बाहर का आदमी भी चुने। तो बाहर के लिये तो गुंजाइश दे दी गई है। लेकिन यहां विधायकों को वह अधिकार हैं कि वे अपने में से चुनें। तो अगर कोई चीज हितकर हो तो उसमें एतराज नहीं करना चाहिय। अगर बाहर क लोगों के लिये गुन्जाइश न होती तो एतराज हो सकते थे। किन्तु उसमें बाहर के लिय गुन्जाइश है। इसलिये इसमें बहुमत की राय है, और इसको मान लिया जाय। हमारे असरार अहमद साहब ने कुछ एतराज किये। उनकी बातें जायज हैं। हमको उनसे हमदर्दी है। लेकिन जहां प्रजातांत्रिक ढंग से हम कोई चीज लाना चाहते हैं तो हमें ये परिवर्तन करने पड़ते हैं। हमारे भाई तिवारी जी ने भी इस पर काफी प्रकाश डाला। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। इसमें थोड़े-बहुत अमेण्डमेन्ट है लेकिन ये प्रजातन्त्र के हित में है। मेरा ख्याल है कि इसमें अब किसी को खास एतराज नहीं बच रहते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कि इस बहस में भाग लिया। मैं माननीय मन्त्री जी का भी आभारी हूं जो उन्होंने कहा कि वे अभी इसको लागू नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि अभी कन्ट्रोलरशिप समाप्त नहीं हुई है। तो मेरा

निवदन है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भज जान का मौका दिया जाना चाहिय जो सारी बातों पर जो माननीय सदस्यों ने बताई हैं, विचार कर ल। जब हमारे रियासत भाई कहते हैं कि लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है तो उनकी बात तो मन्त्री जी को मान लेना चाहिय। सन् १९६० से मान्यवर, यहां भ्रष्टाचार चला आ रहा है। आपके यह संशोधन कर देने से कौन सा जादू हो जायगा ? क्या एक सदस्य के बढ़ जाने से सारा भ्रष्टाचार दूर हो जायगा ? जादू तो तब होगा जब आप इसके लिये बैठक कर सोच बिचार कर उचित नियम आदि बनायें। उसमें अच्छ व्यक्तियों को रखें। आप ऐसे नियम बनायें जिससे जनता क पसे का दुरुपयोग न हो सके।

श्री अध्यक्ष—

कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कायवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अब जो माननीय सदस्य आ गय हैं कृपया बैठ रहें ताकि कोरम बना रहे।

श्री हरिनाथ तिवारी—

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी बैठ कर सोच-विचार करके कोई अच्छे नियम बनायें ताकि जनता क पसे का दुरुपयोग न हो सके। उसमें कुछ विशेषज्ञों को भी रखिये, ईमानदार लोगों को रखिये, मैं यह नहीं कहता कि उसमें माननीय सदस्य जो हैं वे बेइमान हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि जीत कर किसी दल के टिकट से आते हैं, आकर दूसरे दल में चले जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं माननीय मन्त्री जी इस पर पुनः विचार कर लें, जल्दी में इसे पास न करायें। उसमें से अगर कोई न चुना जाए, यदि शिया कोई न आ सके तब उस सूरत में क्या होगा। एक चीज जो टेक्निकल हमने उठाई थी—हमारा सारा का सारा विधेयक गलत हो जायगा, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। दो फण्ड आपने दिये हैं, उनसे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, उससे कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। उस पर कोई हाईकोर्ट चला जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इस समय तो बहुमत से मदान्ध होकर आप उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं समझते हैं।

श्री काजी जलील अब्बासी—

श्रीमन्, इसे स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक १९७२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960 की धारा 11 का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ११ में, उपधारा (१) में—

(क) खण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) छः सदस्य, जिनमें से कम से कम एक राज्य विधान परिषद् का सदस्य होगा, जिनका निर्वाचन राज्य विधान मण्डल के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे।"

(ख) खण्ड (२) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) दो सदस्य जिनका निर्वाचन उत्तर प्रदेश के सुन्नी एडवोकेट्स अपने में से करेंगे";

(ग) खण्ड (५) में शब्द, 'दस' के स्थान पर शब्द 'ग्यारह' रख दिया जाय;

(घ) खण्ड (६) में शब्द 'ग्यारह' के स्थान पर शब्द 'बारह' रख दिया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि खंड २ के उपखंड (क) में प्रस्तावित खंड (१) में "परिषद" के स्थान पर "मण्डल" रख दिया जाय तथा "अपने में से" निकाल दिया जाय। पहले भी मैंने अपना विचार व्यक्त किया था मान लीजिये परिषद् में कोई सदस्य चुन कर न जाए, इसलिये मण्डल कर दिया जाए, तो उसमें से कोई न कोई तो रहेगा। मैं समझता हूं मन्त्री जी इसको मान लेंगे।

श्री काजी जलील अब्बास —

हमें यह स्वीकार नहीं है। उनका थोड़ा भ्रम है। परिषद् में कोई न रहे, अपने में से न चुना जाए, यही बात घुमा कर कही गई है। 'अपने में से' भी निकाला गया है, यह स्वीकार नहीं है। ५ तो रहेंगे ही सभा के।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

इसमें जो ज्ञापन दिया हुआ है, उसमें खास कर इसके संगठन पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। आप देखें—"उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० की धारा ११(१) में यह प्राविधान है कि विधान मण्डल के सुन्नी सदस्य बोर्ड के पांच सदस्य चुनेंगे और उनमें बाहर के लोग भी हो सकते हैं।" यह पहले व्यवस्था थी, लेकिन अब इसकी व्यवस्था और कर दी गई है। हाई कोर्ट ने किस आधार पर जो संगठन पहले बनाया था उसको गैरकानूनी घोषित किया, यह आपने बताया नहीं। उसी आधार पर फिर संगठन करने जा रहे हैं। इस बात की संभावना है कि आगे चल कर फिर हाई कोर्ट रोक देगी। इसलिए जो संशोधन आप पेश कर रहे हैं यह कारगर नहीं होगा। इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें। यह संगठन आगे फिर चैलेंज होगा और फिर से रोका जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उपखंड (क) में प्रस्तावित खंड (1) में "परिषद्" के स्थान पर "मंडल" रख दिया जाय तथा "अपने में से" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३—५

धारा 12 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में—

(1) उपधारा (1) में—

(क) प्रारम्भिक पैरा में शब्द "आमेलित किये जायेंगे" के पश्चात् शब्द "या नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे या पदेन होंगे" रख दिये जायें;

(ख) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(1) राज्य विधान मण्डल के समस्त शिया सदस्य;"

(ग) खण्ड (4) में, शब्द "उपर्युक्त सात सदस्यों" के स्थान पर शब्द "पूर्ववर्ती खण्डों में अभिदिष्ट सदस्यों" रख दिये जायें;

(2) उपधारा (2) निकाल दी जाय।

धारा 13 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द तथा अंक "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (1) और (3)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3)" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, 1972 का निरसन

5—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) से सम्बन्धित उपखंड (क) को निकाल दिया जाय। (क) इस तरह से है—(क) "प्रारम्भिक पैरा में शब्द 'अमेलित किये जायेंगे' के पश्चात् शब्द 'या नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे या पदेन होंगे' रख दिये जायें" हमारा विरोध इसलिये है कि पदेन की परिभाषा कहीं नहीं दी हुई है। यहां पर पदेन को परिभाषित करना चाहिये कि कौन लोग पदेन होंगे। अधिनियम में कहीं नहीं कहा है कि कौन लोग पदेन होंगे। इसलिए यह संशोधन दिया है। इससे मतलब सिद्ध हो सकता है। नहीं तो पदेन फिर कनफ्यूज करेगा। माननीय मंत्री और सदस्य जो इसका फायदा उठा रहे ह। वह यह चाहते हैं कि यह मसला इसी प्रकार लटका रहे और हमेशा के लिए चलता रहे। इस तरह का विधान ही बनाते जा रहे हैं ताकि फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिये जायं, फिर दस वर्ष लटका रहे। जो इस समय फायदा उठा रहे हैं सम्बन्धित अफसर या सदस्य वह चाहते ह कि इस तरह के विधेयक लायें ताकि हाई कोर्ट में चैलेंज होकर वर्षों-वर्षों के लिये इसी तरह से लटका रहे और धन का दुरुपयोग उसी तरह होता रहे।

श्री काजी जलील अब्बासी—

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) से सम्बन्धित उपखंड (क) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 1972

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4 और 5 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काजी जलील अब्बासी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२†

श्री अध्यक्ष--

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री।

(श्री बेनीसिंह के खड़े होने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार ने अपना डंडा भी ले जाने की इजाजत दे दी है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने इजाजत दी है, वहां डंडा ले कर मंत्री जी बैठे हैं। जरा देखिए।

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री को बदलने का भी अधिकार हो गया। स्वास्थ्य मंत्री कल दूसरे थे, आज दूसरे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

डंडे से यह बिल पास करवाएंगे। मना कीजिये इन लोगों को। मंत्री लोग ऐसा काम न करें।

श्री अध्यक्ष--

वह कमजोरी की वजह से लाये होंगे।

*खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मैं आज इस समय पेश कर रहा हूं उसकी वही हालत हो रही है जैसे आज ११ बजे इस सदन की हुई थी जब कि दो तीन मिनट तक श्रीमन् नहीं आये थे और एक वैकुअम क्रियेट हो गया था, ठीक उसी प्रकार एक वैकुअम क्रियेट होने पर मुझे यह पेश करना

---

†२९ मार्च, १९७२ को कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ रहा है। म्युनिसिपैलिटीज की जिन्दगी 5 वर्ष तक होती है और सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष तक एक्सटेंशन दे सकती है। कन्नौज की म्युनिसिपैलिटी सुपरसीड की गयी। चेयरमन अपील म चले गये और उनको स्टे मिल गया और चार्ज मिल गया। अपील सुनी गयी और खारिज हो गयी तो कलेक्टर ने फिर चार्ज ले लिया। चेयरमैन फिर स्पेशल अपील में चले गय और यहां से फिर स्टे मिल गया लेकिन स्टे मिला तब जब ७ वर्ष में एक दिन बाकी रह गया था। ऐसी हालत में कोई वार्ड नहीं रह गया था और न कलेक्टर और न ही चेयरमैन चार्ज ल सकता था। इस प्रकार वैकुअम क्रियेट हो गया। ऐसी हालत में कर्मचारियों का वतन दना तथा रोजमर्रा का काम ठप्प हो गया। ऐसे वैकुअम को ठीक करन के लिये एक अध्यादेश जारी करना पड़ा और उसक लिये यह विधेयक पेश किया जा रहा है ताकि वहां कर्मचारियों का वेतन मिल सके तथा रोजमर्रा का काम सचालित हो सके।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ को जनता की राय जानने हेतु ३ माह के लिये परिचालित किया जाय। माननीय मंत्री जी ने जितने सरल ढंग से बात को रखा है वास्तव में वह उतनी सरल नहीं है। इसमें एक मौलिक विरोध की बात है और वह यह है कि ज्यों-ज्यों इस सरकार को बहुमत मिलता जा रहा है त्यों-त्यों यह तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है। प्रजातंत्र के अन्दर सरकार प्रजा की है, प्रजा के द्वारा है और प्रजा के लिये है लेकिन यह सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के द्वारा है और कांग्रेस क लिये है। कोई भी काम उठा कर देख लीजिये यही बात आप पायेंगे। विरोधी पक्ष का अगर कोई बोर्ड है यह सरकार या तो उसे डिजाल्व करना चाहेगी अथवा सुपरसीड करना चाहेगी। जौनपुर का बोर्ड जनसंघ का बोर्ड था इसलिये उसे सुपरसीड कर दिया गया और यह उदाहरण परिचायक है इस सरकार की तानाशाही मनोवृत्ति का। आप इस बात से सहमत होंगे कि स्वायत्त शासन की जो छोटी इकाइयां होती हैं वही प्रजातंत्र की बुनियाद हैं।

जो छोटी इकाइयां ग्राम पंचायतें, जिला परिषदें, नगर पालिकायें और टाउन एरियाल हैं इन सब के अन्दर प्रजा के हाथ में किसी सीमा तक शासन रहता है और वे अपने काम, सुख सुविधा, पानी, बिजली रोशनी का इन्तजाम अपने हाथ से करते हैं। लेकिन सरकार ज्यों-ज्यों तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन ऐसे कदम उठाती है जिससे विरोधियों को रौंद देना चाहती है। श्रीमन्, इसका क्या कारण है। अगर किसी बोर्ड का सुपरसेशन हो जाय और उसका कार्यकाल इतना बढ़ा दिया जाय तो उस स्थिति में क्या होगा। मौलिक बात यह है कि जो अकर्मण्य का कार्य है वह सुपरसेशन का कार्य है, यह क्यों होता है। उदाहरण स्वरूप आप बंगला देश से सबक सीखिये।

बंगला देश के अन्दर चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथों में शासन देना चाहिए था किन्तु याहिया खां ने चुने हुये प्रतिनिधियों का गला घोंट दिया उनके ऊपर बन्दूक और राइफलों का प्रहार किया उसका नतीजा आप जानते हैं कि याहिया खां की क्या हालत हुई। जिससे माननीय मंत्री जी को सबक लेना चाहिए। यदि आप प्रजा तंत्र का गला घोंटेंगे, उसको आप नहीं चलने देंगे जनता के प्रतिनिधियों के हाथों से सत्ता छीनने की कोशिश करेंगे तो आपके भी वही हाल होंगे जो कि याहिया खां के हुये हैं और जो बंगला देश के अन्दर उसने किये। मंत्री जी यह न समझें कि मैं उसी ढांचे में इसे फिट कर रहा हूं क्योंकि इतना क्रूर तो मैं नहीं हो सकता किन्तु यह जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यहां पर मंत्री जी ने एक मुसीबत प्रकट की और कहा कि आज ये स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके लिये हमारे नियमों में पहले से ही तय है कि क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में।

आप इस विधेयक के दूसरे भाग के संशोधन में देखें उसमें आपने लिखा है कि प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड के, जिनका कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

पूर्व समाप्त हो चुका हो, प्रेसीडेंट तथा सदस्यों द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग का पालन इस प्रकार वैध समझा जायेगा मानों बोर्ड का कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तक बढ़ चुका हो इसमें एक दिक्कत माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की और मैं एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते उनकी कठिनाई को समझूं और उसकी प्रशंसा करूं मैं समझता हूं कि उन्होंने उत्तर स्वयं नहीं दिया। मान लीजिये एक ऐसा बोर्ड है जिसको आपने सुपरसीड कर दिया, वह तो आप करेंगे ही, उससे ज्यादा क्या करेंगे, और उसके बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और उस बीज में कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि यह जो आप ने सुपरसेशन, डिस्सोल्युशन, जो भी कार्यवाही की है वह गलत की है।

उसका सामान्य रूप से अर्थ यह होना चाहिए कि जिस स्थिति में आपने बोर्ड के साथ छेड़खानी की थी उसी स्थिति में बोर्ड को आ जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने आपके काम को उचित नहीं समझा। अब आपने इसमें बीच में खपच्ची यह लगा दी कि अगर निर्णय खिलाफ हो गया तो कार्यकाल तो समाप्त हो गया। अनुच्छेद ३ की उपधारा (२) मैंने पढ़कर सुनाई। ऐसा मान लिया जायगा कि जब तक नये चुनाव नहीं होंगे तब तक उस बोर्ड का कार्यकाल बढ़ गया। अगर बोर्ड को सुपरसीड सही किया था तो न्यायालय आपका पक्ष करेगा। गलत किया तो आपको न्यायालय की भावनाओं का आदर करना चाहिए और जिस स्थिति में बोर्ड था, उसके अध्यक्ष और सदस्य थे उस स्थिति में वे आ जायं और जब तक कार्यकाल बढ़ा हुआ मान लिया जायगा जब तक कि नयी व्यवस्था चुनाव की न हो जाय।

आप कहेंगे कि कार्य-काल कैसे बढ़ा दें। मैं कहता हूं कि धारा ३ (२) के अन्दर भी तो आप ने बढ़े हुए कार्य काल के बाद बढ़ा दिया है इसको आप मानेंगे। शायद एक मिनट और लग जाय मैं फिर कहता हूं। अगर कार्य-काल समाप्त हो जाय तो आप क्या करेंगे ? आप ने एक रास्ता निकाल लिया कि इस ऐक्ट के लागू होने से पहले किसी जगह का सुपरसेशन किया। सुपरसेशन कोर्ट ने खत्म कर दिया, कार्यकाल समाप्त हो गया। तो आपने इस संशोधन के द्वारा यह कह दिया कि ऐसी स्थिति आ जायगी तो जब तक यह ऐक्ट लागू नहीं होगा तब तक उस बोर्ड का कार्यकाल बढ़ा हुआ माना जायगा यानी प्रधान और सदस्य उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं ऐसा माना जायगा। तो जहां आप ७ साल से दो महीने आगे बढ़ सकते हैं, दो दिन आगे बढ़ सकते हैं दो घन्टे आगे बढ़ सकते हैं अगर सिद्धान्त रूप से इसको स्वीकार करते हैं तो जिस वक्त आपने सुपरसीड किया और कोर्ट ने आपके आर्डर को नकारात्मक कर दिया तो आप बोर्ड को वह सब अधिकार दे दें जो बोर्ड के पास थे, भले ही उसका कार्य-काल समाप्त हो गया हो। इतना ही अन्तर है।

अगर आप कानून विशारदों की राय लेना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। स्थगित करना चाहें तो कोई एतराज नहीं है लेकिन तर्क का उत्तर तर्क से चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से बतला दें कि कार्य काल बढ़ाने का अधिकार अगर नहीं है तो ३(२) के अन्दर कार्य-काल २ साल से कैसे बढ़ जायगा ? चाहे १० दिन बढ़े, १५ दिन बढ़े वह तो बढ़ेगा। तो मैं यही कहता हूं कि जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में बोर्ड को दे दें। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा कि ३ महीने के लिए इसको प्रचालित कर दिया जाय। कोई बड़ा समय नहीं है।

आप तो १०-१० साल तक चुनाव नहीं कराते, ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहता है, भ्रष्टाचार किया करता है। मेरे पास उदाहरण हैं। कितने ही ऐसे बोर्ड हैं जो सुपरसीडेड रहे। गाजियाबाद के अन्दर लगातार, भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी करती रही और जनता के प्रतिनिधि अपने अधिकारों से वंचित रहे। अगर १० साल तक अन्याय और अत्याचार कर सकते हैं, तो क्या कारण है कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में ३ महीने के लिए भी आप स्वीकार नहीं करते हैं ? जनता के हाथ में अगर शासन रहेगा तो क्या दिक्कत है ? अगर नहीं मानते तो मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम जनता की दुहाई देना बन्द कर दीजिये।

अब्बासी जी कह रहे थे कि हम प्रजातंत्र के हामी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लगातार तानाशाही की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई ऐसा कदम नहीं है जो जनता के हित में उठा रहे हैं, जनता का गला घोंटते चले जा रहे हैं, टैक्सेज बढ़ाते चले जा रहे हैं उसके अधिकारों का हनन करते चले जा रहे हैं और संविधान में एक बार नहीं २५-२६ बार संशोधन करते चले जा रहे हैं। इस तरह से सारी ताकत आपके हाथ में हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। जो कुछ भी हैं उसका मैं शासक हूं और सत्ता सम्पन्न हूं। इसको आप बदल दीजिये। इसके रहते हुये वह बात दूर नहीं है आप सब को मालूम है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। यह है "पुनः मुंशी भव"। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने यही प्रवृत्ति रखी, ऐसा ही खिलवाड़ किया तो आपको उधर से उठ कर इधर आने की भी नौबत नहीं आयेगी और आपको सदन में स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा न हो। आप इधर आयें और यहां बैठ कर तमाशा देखें। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा, मंत्री जी बड़े उदार हैं और मेरी बात उनकी समझ में आ गई है और वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे दे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

श्रीमन्, जिन तथ्यों पर यह विधेयक आधारित है और उनसे संबंधित कागजात को सरकार को सदन की मेज पर रखना चाहिये था ताकि सदस्यों को पढ़ कर मालूम हो सके कि यह कहां तक जस्टीफाइड हैं। ऐसा वह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको तर्क, तथ्यों का नहीं बल्कि संख्या का भरोसा है। इन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि कन्नौज जिला फर्रुखाबाद की म्युनिसपैलिटी के संबंध में ऐसी कठिनाई महसूस हुई। किन परिस्थितियों में कन्नौज म्युनिसपैलिटी को आपने अपने हाथ में लिया और प्रशासक नियुक्त किया। कौन सी ऐसी बात थी कि हाई कोर्ट में जो मुकदमा था उसमें स्टे को खारिज कर दिया गया। उन कारणों को न बता कर मंत्री जी ने फैसला किया और केवल यह कहा कि यह संशोधन विधेयक इसलिये लाये हैं कि वहां अवरोध पैदा हो गया है और हम स्टाफ को तनख्वाह देना चाहते हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन-कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिसमें आपने संशोधन करने की बात सोची कि ऐसा होना चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिये।

आगे आने वाली बात को सोचकर संशोधन करने की बात आपने सोची और कह दिया कि कन्नौज म्यूनिसिपैलिटी की बात है। अगर यह बात सही है जैसा कि सरकार का कहना है तो सारे तथ्य सामने आयें कि किन परिस्थितियों में सरकार ने इस म्युनिसिपैलिटी को अपने हाथ में लिया।

श्रीमन्, आप देखें कि जिस जिले से मैं आता हूं वहां एक ही म्यूनिसपैलिटी है, जिले भर में एक ही म्यूनिसिपैलिटी है। वह म्यूनिसिपैलिटी सरकार के कब्जे में है और लगातार सरकार के कब्जे में ही चली आ रही है। चुनाव कराने का भी वक्त आएगा और आएगा तो कब आएगा? अगर मान लीजिए कि उसको आपने कब्जे में कर लिया, मगर उसके चुनाव का भी तो कोई समय होना चाहिए। आप तो अनवरत गति से सारी म्युनिसिपैलिटीज को अपने कब्जे में जब चाहें तब, लेना चाहते हैं।

(इस समय ३ बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर कोई आदमी हाई कोर्ट से स्टे भी ले आए कि वह बोर्ड काम करेगा तो भी आप संशोधन के जरिए कह देंगे कि नहीं, यह नहीं होगा। कन्नौज म्युनिसिपैलिटी के केस में स्टे

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

किस को मिला और वह स्टे क्यों खारिज हुआ ? किस के हक में ? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों के हक में हुआ या किसी दूसरे के हक में हुआ ? कौन गया कहां ? आपने सारी बातें नहीं बताईं। इन तथ्यों के अभाव में अगर कोई विधाई कार्य होगा तो न तो मुनासिब होगा और न ही पूर्ण होगा।

इस सिलसिले में एक निवेदन और करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट ने शासनादेश को स्थगित कर दिया और साथ ही बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगर बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उसके कार्यकाल को बढ़ाने में आपको क्या दिक्कत थी ? क्यों आपने उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया? अगर हाई कोर्ट के जजमेंट को आपको आदर करना था तो आपको उसके कार्यकाल बढ़ाने में कठिनाई क्या थी ? आप तो अदालत के आदेश को भी विधायी शक्ति के द्वारा कुंठित कर रहे हैं। उसको किस मामले में कुंठित किया ? प्रशासन के मामले में नहीं, किसी कलेक्टर के मामले में नहीं, किसी डिप्टी कलेक्टर के मामले में नहीं, किसी बी० डी० ओ० या लेखपाल के मामले में नहीं, किसी सेक्रेटरी के मामले में नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के मामले ऐसा किया। अगर चुने हुए प्रतिनिधियों की याचिका पर, या उनके मुकदमे के सिलसिले में हाई कोर्ट अगर कोई आदेश दे और उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए यह सरकार इस प्रकार का विधेयक सदन में लाए तो इसको क्या कहा जाएगा ? मुख्य मंत्री कह रहे थे एक दिन कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को चारों तरफ तानाशाही, तानाशाही दिखाई देती है। अच्छा, मैं पूछता हूं इसको क्या कहेंगे—क्या यह लोक-शाही है ? इस बिल को क्या कहेंगे ? क्या यह लोकशाही का प्रतीक है ? कौन सी चीज है यह ? आप अदालत के आदेश को कुंठित करने के लिए, समाप्त करने के लिए विधायी शक्ति के जरिए ऐसा कर रहे हैं। यह काम तो कुछ अच्छा काम नहीं है।

आप जब अदालत में गये और आदेश के जरिये काम किया और दूसरा आदमी अदालत में गया और उसने उसकी जवाबदेही की और आप वहां से हार गये तो आप चले आवें यहां। यह क्या बात है ? अगर इस प्रकार की नीति आप अपनाते रहे तो यह एक निहायत गलत कदम होगा। श्रीमन्, इसमें आप देखें, यह कहा गया है कि 'अतः ऐसी परिस्थिति का निवारण करने के लिए उक्त ऐक्ट में तुरन्त प्राविधान करना आवश्यक हो गया और उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७२ प्रख्यापित किया गया। क्या किया ? चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने विधेयक की शक्ल में नहीं आया। पहले आपने अध्यादेश जारी किया और फिर अध्यादेश को आप ऐक्ट में बदलने के लिए यहां लाये हैं। यह अध्यादेश का जारी करना भी सरकार के किसी अच्छे कृत्य का उदाहरण नहीं है। ऐसे मामलों में सरकार को अगर विश्वास था तो उसको सीधे सीधे इस सदन के सामने आना चाहिए था।

फिर यह कहते हैं कि मजदूर भूख हड़ताल कर रहे थे। कितने दिन का पैसा बकाया था। अगर एक महीने का पैसा बकाया होगा तो हड़ताल नहीं करेगा। आपने यह नहीं बतलाया कि इतने दिन का पैसा बकाया था। इसलिए हड़ताल की। आपने ऐसी स्थिति पैदा क्यों की। आप अगर ठीक समझते थे कि विधायी शक्ति द्वारा इसका निवारण होना चाहिए तो आपको सदन बुलाना चाहिए था और अध्यादेश जारी करने के बाजय इस सदन में सीधे सीधे बिल ले आते। जो प्रक्रिया आज आपने अपनायी यह उसी समय अपनानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। इरादा तो इनका दूसरे प्रकार का है।

आप धारा १० (१) के पश्चात् एक धारा बढ़ा रहे हैं अगर उसको आप पढ़ें तो इसका मतलब यह है कि अब आगे किसी भी आदमी को अदालत में जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी अथवा उसको उसके इस अधिकार से वंचित किया जायेगा। कानूनी तौर पर कोई

रोक नहीं मालूम पड़ती शनैः शनैः इतना लम्बा खिंच जायेगा कि अदालत में जाना न जाना बराबर हो जायेगा। इस प्रकार हर तरह से ऐसी पेशबन्दी की गयी है कि इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य छिपा मालूम पड़ता है।

हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है और यह इससे साफ है जिस प्रकार से इस प्रदेश में चुने हुए जिला परिषद् के अध्यक्षों, सदस्यों को हटाया गया और कलेक्टर को बैठाया गया। हमारे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं वे कहेंगे कि नहीं, तब तो सरकार चौधरी साहब की थी। लेकिन, श्रीमन, यह सारी कार्यवाही तो आपकी ही थी। आपके ही मंत्री उस समय मंत्रिमंडल में ज्यादा थे। चौधरी साहब तो सिर्फ गवर्नमेंट के हैड थे, केवल मुख्य मंत्री थे। सही माने में सरकार तो आपके ही दल की थी। इन्हीं लोगों ने जिला परिषदों को समाप्त किया और इसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज को समाप्त करने का दूसरा ही तरीका निकाला। मुझे क्षमा कीजिये इस विभाग के मंत्री जी ही नहीं हैं। चूंकि मंत्री जी नहीं थे इसलिये आपने खड़े हो कर उनका प्रस्ताव पढ़ दिया और बिल के अनुसार चार शब्द भी बोल दिये।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आज सदन में कोरम ही नहीं हो रहा है। कई मर्तबा यह चीज हो गयी सदन को स्थगित ही कर दीजिये।

(सदन में कोरम होने के कारण)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

कोरम रहे या न रहे, क्या इस विषय में विरोधी पक्ष वालों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

भले ही विरोधी पक्ष वालों का भी उत्तरदायित्व हो लेकिन अगर कोरम नहीं है और उसके कारण आपका कोई बिल रह गया या कोई ग्रांट पास नहीं हो पायी तो उसका नुकसान तो शासकदल को ही होगा। इसलिये शासक दल को विरोधी पक्ष से अधिक सतर्क रहना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह बात तो गलत है कि वे यह कहें कि विरोधी पक्ष वालों का कर्त्तव्य है कोरम का रखना। अगर इस निरंकुश सरकार को गिराने के लिये विरोधी पक्ष इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अख्तियार करे तो क्या होगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अगर हमारे मित्र सही कहते कि वह ऐसी स्ट्रेटेजी बरत रहे हैं तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन कोरम तो सदन का होता है। न कि किसी सरकारी पार्टी का। इसलिये उसके लिए केवल सरकारी दल का उत्तरदायित्व नहीं है। उसका दुष्परिणाम भले ही सरकार के लिये हो सकता है लेकिन कोरम रखने के लिये सदन के सभी दलों का उत्तरदायित्व है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब सदन चल रहा है तो सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिये कोरम की अत्यन्त आवश्यकता है। कोरम के लिये सदस्यों की संख्या की अपेक्षा की गयी है, ऐसा नहीं है कि

[श्री उपाध्यक्ष]

उसमें दल के कितने सदस्य होंगे। इसलिये सदन के चलने की जो जिम्मेदारी है वह सब सदस्यों पर समान रूप से है इसलिये इस का बटवारा शासक और विरोधी पक्ष का नहीं होता बल्कि जब काम का नुकसान होता है तो शासन को उस काम के लिये दूसरा समय निकालना पड़ता है और कार्यमंत्रणा समिति को उस कार्य के लिये फिर बैठक बुलानी पड़ती है और उसमें दिक्कत होती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

हमारे मित्रों ने उधर से शब्द 'निरंकुशता' का बड़ा प्रचलन कर रखा है। यहां ऐसी कोई बात नहीं है मेरा निवेदन तो केवल इतना था कि कोरम की सबको बराबर की जिम्मेदारी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस शब्द 'निरंकुश' का प्रयोग ऐसी परिस्थिति में ही किया जाता है। आप उनके साथ जरा सख्ती बरतें तो उचित होगा, उन का कर्त्तव्य है कि वह कोरम सदन में बनाये रखें वह निरंकुश हैं उन के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, चार-चार बार कोरम का प्रश्न आता है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह सदन में कोरम रखें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य को। इसमें प्रशासक को हर तरह की सुविधा दी जा रही है। यहां तक इस में है कि नियुक्तियों का काम भी उसके सुपुर्द किया जा रहा है, लोगों की पदोन्नति का कार्य भी उस के सुपुर्द किया जा रहा है, तनुज्जमी का काम भी उसके सुपुर्द किया जा रहा है। कोई काम तो सरकार को ऐसा छोड़ना चाहिये था कि जो केवल चुने हुये लोग ही कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं रखा गया है। अगर किसी निर्णय पर जो उन की मरजी का हो और बोर्ड किसी दूसरी पार्टी का हो अगर किसी काम को न करे तो उस बोर्ड को सीधे सुपरसीड कर दिया जाय और उस काम को कराने के लिये यह अपना प्रशासक नियुक्त कर दें ताकि उनका मनमाना आदमी उसके हाथ से उस बीच में नियुक्त हो जाय। फुरसत फिर कौन बोलने वाला और कहने वाला रहेगा, कौन अपनी बात कह सकेगा ? उन्होंने इस खूबसूरती से यह हथियार अपने हाथ में लेने का फैसला लिया है जिसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी।

आप ने कन्नौज नगरपालिका का हवाला दिया, अगर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कन्नौज म्युनिसिपैलिटी के लिये यह संशोधन किया जाता तो बात समझ में आ सकती थी कि उन के मन में कोई दूसरा दुर्भावना नहीं है लेकिन यह सरकार तो दुर्भावना से प्रेरित है और इसी वास्ते इस सरकार ने सीधे सीधे एक बहाना ढूंढ़ निकाला और उसकी खोज कर यह इतना बड़ा अधिकार यह अपने हाथ न लेना चाहते हैं त्रिपाठी जी ने सही कहा कि निरंकुशता हर बात में बढ़ती जाती है और अगर आचार्य जी को निरंकुश शब्द से दिक्कत है तो यह लोकतांत्रिक है निरंकुशवाद है जिस में यह इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। लेकिन इससे बचने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी तो मजबूरी है बाकी मैं नहीं समझता कि लोग इससे सहमत होंगे। यह ठीक है मंत्री जी ने फर्जअदायगी के लिये यह विधेयक पेश कर दिया। लेकिन मैं आदरणीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को देखें और समझें और अगर हमारी जानकारी के लिये कोई ऐसे तथ्य ला सकें कि हम अपनी राय बदल सकें तो आपके आपकी सरकार के और आपके दल के सभी के आभारी होंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें २ बातें कही गयी हैं। एक तो १ महीने का समय दिया जाय और दूसरा अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाय और उसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वह अन्य बातों पर भी विचार कर सके।

इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं एक बात मान्यवर अवश्य कह देना जरूरी समझता हूं कि गत चुनाव से जब से सरकार शक्ति में मदान्ध हुयी है तब से यहां जो लोकतंत्र की प्रणाली अपनायी जा रही है, सदन में, वह बड़ी दुखदायी है। वैकुअम शब्द नित्य के प्रयोग का शब्द हो जायगा इस सदन में। कोरम नहीं रहता। विधायी कार्य में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है और जिस विधेयक से संबंधित मंत्री होता है, वह सदन में नहीं रहता है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी इसके पहले यहां पर वक्फ ऐक्ट आया था। उससे सम्बन्ध मंत्री यहां पर नहीं थे। या तो उसको विधेयक को सदन में पेश करने की फुरसत नहीं थी, या दिलचस्पी नहीं थी और या वे इस योग्य नहीं थे कि उसको पेश कर सकें। मंत्री इसलिये बनाये गये कि कहीं फिट करना था। ऐसे ही इस मामले में भी मुझे कहना है। अनिवार्य हो जाता है पेश करना।

हमारे माननीय अवस्थी जी बड़े ही अच्छे आदमी हैं पर मुझे बड़ा दुख है कि उन्हें यह काम सुपुर्द किया गया जो बहुत ही खराब काम है। कोई भला आदमी भी बुरी प्रवृत्ति लेकर हमारे सामने आये, इसकी मैं कल्पना भी उनसे नहीं कर सकता। किसी बास के कहने पर भी अगर कोई गलत काम हो तो उसे भी नहीं करना चाहिये। आज २३ वर्ष से वैकुअम है। यदि इस कानून में वैकुअम था तो २३ वर्षों से आपने इस वैकुअम को पूरा क्यों नहीं किया। जहां तक मुझे स्मरण है १९४७ के पहले इसमें १८ एमेंडमेन्टस् में हुयीं, उसकी भी आपकी जिम्मेदारी थी लेकिन उसके बाद भी ७ अमेंडमेंट्स हुए, स्वतंत्रता के बाद, लेकिन उस समय से आज तक बुद्धि कहां थी। कारण स्पष्ट है।

यह कानून बना था १९१६ में अंग्रेजों के जमाने में सन् १९१५ के ऐक्ट के आधीन और जो कुछ भी कानून अंग्रेजों के बनाये वह प्रशासन की दृष्टि से ही किये थे कि हमारा प्रशासन कैसे कड़ा रहे, हम कैसे ताकत में बने रहें। हम कैसे-कैसे रहें स्वायत्त शासन संस्थाओं को इसके लिये आपने एक कम्प्रिहेन्सिव बिल क्यों नहीं रखा है आज भी आप उसे पुराने ऐक्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, शक्ति में बने रहे के कारण।

आपका विधि विभाग कैसा है जो कानून लाने की आपको आवश्यकता पड़ी। एक और दलील पेश कर दी कि हाई कोर्ट ने उलट दिया, क्यों उलट दिया। आपने किस तरीके से सुपरसेशन किया, आप राजनीतिक दुष्प्रवृत्ति से भ्रमित हो गये हैं जिसके कारण हाई कोर्ट ने, जिसको आप अपने काबू में करने का स्वप्न देखते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड के प्रति न्याय किया आपके गैर कानून के मामले में रिट स्वीकार कर लिया। आपके विधि विभाग को भी सोच समझ कर पग उठाना चाहिये था लेकिन विधि विभाग के विशेषज्ञ भी तो आपके इशारे पर नाचते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि सुपरसेशन कर दीजिये। ये भी अपने मालिक को खुश करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर हाई कोर्ट में रिट फाइल हुयी तो कानून उलट गया। अब आप अपने कुकृत्यों को पूरा कराने के लिये अमेंडमेंट लाते हैं। इतनी बातों पर विचार करना अत्यन्तावश्यक है।

सेक्शन १० में नामीनेटेड मैम्बर्स का प्राविधान है कि मेम्बर्स को नामीनेटड करेंगे। म्युनिसिपल बोर्ड्स के बारे में नियम यह है कि चुने हुए सदस्यों से म्युनिसिपल बोर्ड बनेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

यह भी वह स्थानीय निकाय है जिसमें जनता के प्रतिनिधि शासन व कंट्रोल करेंगे। जब वह जनता के हाथ में ही रहेगा तो उसमें आपको दखल देने की क्या जरूरत है। आपने नामीनेटेड मेम्बर्स क्यों रक्खे। सुरक्षित सीट तो है ही। अगर हरिजन बन्धु चार वोट पाता है तो वह जीत जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो आप लाना चाहते हैं उसके लिये दरवाजा खुला है। उसमें चूंकि बीस मेम्बर होने वाले हैं और अगर उसमें आपके मेम्बर ९ ही आ पाते हैं, और चेयरमैन ग्यारह के मत से होना है तो इस तरह से यह नामीनेशन की बदनीयती रक्खी गई है। लानत है आपको इस प्रणाली के लिये। यह अंग्रेजों की प्रवृत्ति थी जिसको आप भी अपना रहे हैं और आप फिर लोकतंत्र की हामी भरते हैं।

आप कहते हैं कि आपको बहुमत मिला है। मैं एक जगह खड़ा था। ब्लैक मार्केटियर को एक कान्ज्यूमर पैसा दे रहा था। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे। ब्लैक मार्केटियर को कान्ज्यूमर कह रहा था कि तुम पैसा ज्यादा लेते हो और ब्लैक मार्केटियर कहता है कि तुम पैसा नहीं देते हो। दोनों ही एक ही शासन को रेप्रेजेन्ट करते हैं। आप कहते हैं कि हमें तो बहुमत मिला है। हिटलर को भी होलसेल वोट मिला था। विजय प्राप्त हुई थी। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। घमंड ने किस को नीचा नहीं दिखाया है। अपने पुराने ग्रंथों में पढ़िये, रामायण महाभारत और शास्त्रों में पढ़िये चाहे वह राजनैतिक अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे बुद्धि का अभिमान हो, निश्चित हो उसका पराभव होता है। मैं कहता हूं होगा। मैं नहीं कहता, कब होगा। मेरे कहने से क्या होगा। हर वक्त यही दुहाई दी जाती है कि हम बहुमत में हैं। किसी की आप हत्या करेंगे तो कहेंगे कि हम बहुमत में हैं। ब्लैक मार्केटियर से रुपया लेकर आप इलैक्शन लड़ेंगे तो आप कहेंगे कि हम बहुमत में हैं। और कुछ आप करेंगे तो कहेंगे कि हम तो बहुमत में हैं। आप बहुमत में हैं इसलिये आप अप्वाइन्टमेन्ट्स और ट्रांसफर्स अपनी मर्जी से करेंगे। आपको लज्जा आनी चाहिये। इन शब्दों का प्रयोग आपको छोड़ना चाहिये। बहुमत आपको मिला है यह कहने से नहीं होता। याद रखिये, मैं पुराने शास्त्रों की बात कह रहा हूं।

"केहि न राज-मद दीन्ह कलंकू"

कभी आपने यह कहा कि हम बहुमत में आये हैं तो जो उचित ही होगा वह हम करेंगे हमारे आचार्य जी खड़े हुये तो उन्होंने यही कहा कि विरोधी पक्ष का यही कर्त्तव्य है कि वे विरोध करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कभी कोई मिसाल है ऐसी कि विरोधी पक्ष की उचित बात को भी आपने मान लिया हो। मैं तो यही कहूंगा कि यथा राजा तथा प्रजा। आपको नामिनेटेड प्रणाली पर विचार करना है। कुछ सुधार लाइये। सैक्शन दस की आवश्यकता है जो बदली जाय जिसमें नामिनेटेड मेम्बर्स का प्राविधान है। इसके लिये आप काम्प्रिहेन्सिव बिल लाइये।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि आपने एक प्राविधान और रक्खा। उसके बारे में मैं मिसाल दूंगा लेकिन एक चतुर वकील की तरह आज उन्हें गायब कर दिया गया। यह कहने का मौका मिलेगा कि आज हमारे वकील साहब गैर हाजिर हैं। हम मानते हैं लेकिन एक गलत काम को छिपाने के लिये गलत काम किया गया है। कहने का मौका मिल गया। इस चालाकी से यह आज दूसरे मंत्री के सुपुर्द कर दिया गया है। यह भी मखौल है प्रजातंत्र का। अगर माननीय मंत्री जी किसी कारण से अनुपस्थित हों तब किसी दूसरे मंत्री को उपस्थित करना चाहिये, लेकिन आपको यह काम नहीं करना चाहिये। अब मैं उन मंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं। जब म्युनिसिपल बोर्ड में जनसंघ का बहुमत आया तो आपने नोटिफिकेशन नहीं होने दिया।

अगर नोटिफिकेशन अनिवार्य कर दिया जाय कि ५ दिन के अन्दर नोटिफिकेशन होगा, और मान्यवर कोई बईमान सरकार जिसकी नियत ठीक नहीं है, अगर किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं करती, तो ओटोमेटिक नोटिफिकेशन माना जाय। आपके बहुमत का परिणाम हम इतने दिनों तक भुगत चुके। इसका प्राविधान होना चाहिये।

मान्यवर सुपरसेशन की बात ले लीजिये। जौनपुर में म्युनिसिपल बोर्ड में जनसंघ का बहुमत था। वश्य जी पहुंचे और पहला कमाल यह कर दिखाया कि जौनपुर के म्युनिसिपल बोर्ड का सुपरसेशन कर दिया और पंडित जी ने बड़ी चालाकी से इसका रेफरेंस ही नहीं दिया। अगर कहूं तो यही उत्तर मिलेगा, मुझे मामला मालूम नहीं, वही आयेंगे जवाब देंगे, इसलिये हमें आपके उत्तर की आवश्यकता नहीं है। जब यह मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है। क्या यही सुपरसेशन है। यह नहीं हुआ कि वहां इलेक्शन करवा लेते। वहां भी आपकी नियत खराब हो गई। १२ वर्ष हो गये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत राज के इलेक्शन नहीं हुये, क्यों ? क्योंकि आप मौका देखते हैं कि कब मौका आये और हमारे मेम्बर सबसे ज्यादा हों। मुझसे तो यह बात कही गई कि यह पूछा जाता है कि वहां कितने जनसंघ हैं, कितने एस० एस० पी० के हैं और कितने कांग्रेस (ओ) के हैं। कांटा चुभता है उनकी आंखों में।

मैं अब जरा वहां के सेक्रेटरी की हालत बता दूं। मैंने टेलीफोन पर पूछा कि सेक्रेटरी है कि नहीं। जवाब मिला कि मैं देख लूं तब बताऊं। मुझसे कहा कि जहां उनका पी० ए० बैठता है वहीं सामने बैठते हैं, दिखाई देता होगा। मैंने कहा कि मैं सब समझता हूं वहां मुंह से देखा जाता है आंखों से नहीं। मैंने फिर पूछा कि है कि नहीं, तब उन्होंने कहा कि हैं। यह तो हालत हो गई है। मान्यवर, सुल्तानपुर के एक मेम्बर हैं, जिनका नाम है-श्री राम निवास। म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर हैं उनके खिलाफ चार्जेज हैं फूड एडलट्रेशन के। आज ढाई वर्ष हो गया, अभी प्रासीक्यूशन ही डिसकस हो रहा है। मैंने जब पूछा कि ढाई साल हो गये क्यों नहीं स्टेप्स लिया गया, तो उन्होंने कहा कि विधि विशेषज्ञ के पास से रिपोर्ट आयी नहीं है। ३१ मार्च के बाद देखूंगा। मान्यसर इसका कन्डेमनेशन होना चाहिये कि आज ढाई वर्ष हो गये फूड एडलट्रेशन के बार में अभी कोई चार्ज शीट नहीं दे पाये। मैं भी वकील हूं। मैं जानता हूं कि १५ मिनट का काम है। चुटकी बजाते काम होता है।

आपकी निगाह वह स्थानीय निकाय पर लगी हुयी है। आपको सूट करता है इसलिये आप उसको बदलते नहीं हैं। कुछ भी आ जाय लेकिन नियम लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक आधार पर होना चाहिये। उसकी आंख मिचौनी नहीं होनी चाहिये। यह दूसरा कारण है मान्यवर कि यह जो बिल सामने आया है उस पर विचार करने के लिये समय मिलना चाहिये। आपको १७ मार्च, १९७२ को इल्हाम हुआ कि २० मार्च, ७२ से सदन आन वाला है, झगड़ा होगा, आर्डिनेन्स पास करो और तथाकथित बहुमत प्राप्त है, उसके जरिये कुछ भी कर सकते हैं। बहुमत के कारण कोई न्याय नहीं हो सकता। इसलिये १७ तारीख को आर्डिनेंस जारी कर दिया। रुक नहीं सकते थे कि जन प्रतिनिधियों की बात सुन लें। लोकतंत्र का कांसेंस मिट गया है या काई आ गई है।

मुझे तकलीफ है कि पंडित जी जैसे सज्जन आदमी के यह सुपुर्द किया गया है। आप अपने दिल से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सही कहता हूं कि आप जानते हैं कि यह असत्य है। मंत्रणा समिति में बिल आता है और सीधे-सीधे विपक्ष से कहा जाता है कि बहुत छोटा है। हम बेवकूफ बन जाते हैं। तीन बिल एक दिन में आ जाते हैं, तो समय मिलना चाहिये। आज यह मखौल हुआ है। यह युग मखौल का शुरू हुआ है। यह मदान्ध सत्ता है और इनको बहुमत का वोट मिला है इसलिये जिस रास्ते पर जायें वही ठीक है। तो मैं पंडितजी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

से पुनः आग्रह करता हूं कि अगर आपका कांसेंस आप पर विजय प्राप्त कर सका, तो हमारा अमेंडमेंट आप स्वीकार करेंगे।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें आपने यह फरमाया है कि सात साल की अवधि पूरी हो चुकी थी, एक दिन बाकी रह गया था और उसके बाद कौन नगरपालिका का काम देखेगा इसका प्राविधान इस ऐक्ट में नहीं था, इसलिये यह विधेयक बनाया जा रहा है ताकि हम वहां कोई प्रशासक या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नियुक्त कर काम चलायें और उसके लिये बहाना यह लिया गया कि वहां के कर्मचारीगण ने भूख हड़ताल कर दी है और वेतन रुक सकता था, इसलिये यह आवश्यक हो गया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

अगर आप सचमुच जनतंत्र के हित में हैं तो जितना समय आपने इसके सुपरसेशन में दिया था, उसके बाद जो हाई कोर्ट में अपील हुई और जीत गये थे तो जितनी अवधि बच जाती थी, उसमें आगे टाइम दे देते तो मैं मानता कि जनतंत्र के हित में हैं और उसमें आस्था रखते हैं। लेकिन आपकी मनोवृत्ति दूसरी है। पांच साल के बाद म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हों, उसका प्राविधान है। उसके बाद किन्हीं कारण वश यदि चुनाव नहीं करा पाते हैं तो दो साल तक म्युनिसिपैलिटीज के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। तो फिर इस प्रकार ७ साल बाद का समय तो वैसे ही हो जाता है। जब प्राविधान है तो इस प्रकार के बिल की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा करके आप सरकार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। आप यही चाहते हैं कि सरकार के पास शक्ति रहे। आप इस विधेयक के माध्यम से कन्नौज की ही नहीं जितनी नगरपालिकायें सुपरसीड करेंगे, उनमें सरकार का अधिपत्य बना रहेगा। लेकिन जबसे आप हर चुनाव में जीत रहे हैं, और समाजवाद का नारा लगा कर आपकी विजय पर विजय होती जा रही है। इससे आपका घमंड और मद बढ़ता जा रहा है।

मुझे याद है कि जिला परिषदों के चुनाव के संबंध में १३ मार्च, ७०, १० मार्च, ७० और १७ मार्च, १९७० को उधर से यही कहा गया कि हम २ महीने में चुनाव करा सकते हैं। उस समय चौधरी चरणसिंह जी मुख्य मंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अब आप शासन में आये हैं और कितने महीने बीत गये हैं लेकिन अभी आप जिला परिषदों का चुनाव नहीं करा पाये हैं। उस दिन मैं इस बात पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता था। इसी प्रकार लोकल बाडीज के चुनाव में हुआ। चुनाव आप टालते रहे और यही चाहते रहे कि ६ महीने का मौका आपको और मिल जाय विधान परिषद् में। आप हमेशा अपने चंगुल को बराबर मजबूत करने के विषय में ही प्रयत्नशील रहे। लोकतंत्र और लोक हित का आपको कभी ध्यान नहीं रहा। आज जो विधेयक है, उससे यह स्पष्ट है कि सुपरसेशन करके स्टेट गवर्नमेंट का इम्प्लाई वहां बैठा कर म्युनिसिपैलिटीज को अपने कब्जे में रखने की बात सोचते हैं। हम आपकी इस मनोवृत्ति के सर्वदा खिलाफ हैं। बिल लाने का मतलब यही होता है कि यदि कानूनी कोई दिक्कत हो तो उसको ठीक कर दिया जाय ताकि जनहित में दिक्कत न हो। लेकिन अगर आप उसको अपने किसी स्वयंसिद्ध के लिये करेंगे तो वह निन्दनीय होगा। यह जो बिल आप लाये हैं, वह घोर निन्दनीय है। इसलिये मैं इसके प्रवर समिति में जाने का जोरदार समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, हमारे मित्र माननीय माधव प्रसाद जी ने बहुत से तर्क दिये और यह भी कहा कि वे वकील हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं, मैं उनसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कहा कि जिन मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश किया है वे अपने से अन्दर से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि माधव प्रसाद जी ही स्वयं अपने से अन्दर से लड़ रहे हैं। इस बिल का तात्पर्य बहुत सीधा है और इसमें केवल एक ही बात निहित है जिस पर माननीय माधव प्रसाद जी ने कतई ध्यान नहीं दिया। जो माननीय सदस्य सबसे पहले बोले हैं यदि उन्होंने भी उस पर ध्यान दिया होता तो सदन का बड़ा उपकार किया होता। इसमें प्रश्न केवल इतना ही है कि यदि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का सुपरसेशन हुआ हो और सुपरसेशन की आज्ञा निलम्बित हो गयी हो और उसी बीच म्युनिसिपल बोर्ड का कार्यकाल भी यदि समाप्त हो जाय तो उस परिस्थिति में क्या किया जाय। यह एक व्यावहारिक कठिनाई है जिस पर कतई माननीय मित्रों ने ध्यान नहीं दिया। कन्नौज की नगरपालिका का भी ऐसा ही केस हमारे सामने है। अब अगर म्युनिसिपल बोर्ड के समूचे ऐक्ट में ही त्रिपाठी जी कोई तरमीम चाहते हैं तो वह भी समय आने पर किया जा सकता है उसके लिये माननीय मित्र सुझाव दें, सरकार विचार करेगी। लेकिन प्रश्न इस समय तो यह है कि धारा १०-११ के अन्तर्गत क्या हो। सस्पेंशन के बीच अगर कार्यकाल समाप्त हो जाय तो कैसे उसका कार्य हो कैसे कर्मचारियों का वेतन दिया जाय, कैसे अन्य रोजमर्रा के कार्यों का निष्पादन हो। इस प्रकार माननीय मित्र यदि कुछ प्रकाश डालते तो समझ में आता।

मान्यवर, सुपरसेशन क्यों किया जाता है, किन कारणों से किया जाता है। मैं समझता हूं कि आज बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे हैं कि यदि माधव प्रसाद जी भी इस जगह पर हों तो वे उनको सुपरसीड करें। आज म्युनिसिपल बोर्डों की स्थिति यह है कि उनको जो ऋण दिया जाता है उसको वे वापस नहीं करते, जिस कार्य के लिये रुपया दिया जाता है उस कार्य में वह रुपया खर्च न करके उसे दूसरे कार्यों में लगा देते हैं। यही नहीं और अनेकों अनियमिततायें देखने में आयी हैं। तो जब यह सब होता रहे तो फिर क्या हो। हमारे मित्र क्षमा करें, आज हम सभी एक नाव में बैठे हैं। आज जब हम शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें विचार करना होगा आखिर जब ऐसी चीजें हों तो हम क्या करें? आज जो दुर्दशा म्युनिसिपल बोर्ड्स की है उससे सभी चिंतित हैं। माननीय सदस्य किसी भी दल से संबंध रखते हों।

मैं तो कहूंगा यदि हमारे मित्र माधव प्रसाद जी अगर इसका कोई उपाय ढूंढ सकें तो वे बतायें, जो कमी कानून में है उसे दूर करेंगे। मगर इस वक्त तो प्रश्न सामने यह है कि ऐसी स्थिति में जब कि बोर्ड सुपरसीड हुआ हो, हाई कोर्ट से उसका निलम्बन समाप्त हो जाय और इस बीच बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो जाय तो क्या किया जाय? फिर निलम्बन के बीच जो छोटे-मोटे कार्य बोर्ड को करने होते हैं वे कैसे किये जायं। या कोई कार्य चल रहा है तो बीच में ही उसे क्या रोक दिया जाय? इसका एक मात्र उपाय यह कि यदि उस बीच में वह उसका कार्यकाल समाप्त हो जाये या उस बीच में ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि कोई अधिकारी न रहे तो सरकार के पास इसके अतिरिक्त क्या उपाय है कि वह नित्य प्रति के कार्यों को सम्पादित कर सके।

मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र मुझसे सन्तुष्ट होंगे या नहीं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं हाईकोर्ट में कोई रिट हो, उसकी तहत में सस्पेंशन आर्डर है या उसका निष्पादित होना रोक दिया गया है या जो भी इस प्रकार की कार्यवाही होती है कि किसी भी प्रकार उस अधिकारी के कार्यकाल के समाप्ति के बाद उस अधिकारी को नियुक्त किया गया है तो वह उचित समझकर और आवश्यक समझ कर किया गया है। कृपा करके यह तो न कहें कि उसमें निरंकुशता की गन्ध है या बहुमत का आप बार-बार नाम न लें। क्योंकि

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

विशेष अधिकारी जो नियुक्त किया जायेगा उसका कार्य भी हाईकोर्ट से रोका जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि उसके कार्य को रोककर दूसरा विशेष अधिकारी वह नियुक्त न कर सके। जब कभी ऐसा कार्य आयेगा, समय आयेगा कि कार्यकाल समाप्त हुआ तथा विशेष अधिकारी की नियुक्ति हुई। वह कार्य करने लगा और वह भी हाईकोर्ट के सस्पेंशन आज्ञा के विरुद्ध हुआ, या उसकी सन्तुष्टि या परिधि के बाहर हुआ तो उनके कार्य को रोका जा सकता है। उसके लिये प्रत्येक न्यायपालिका पूर्ण रूप से सक्षम है। इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं होना चाहिये।

यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि यदि नगरपालिका या अन्य किसी स्वायत्तशासी संस्था का कोई अधिकारी नहीं है तो उसका कार्य चलाना असंभव हो जायेगा। मैं नम्र निवेदन अपने विरोधी सदस्यों से करूंगा कि वे कोई ठोस सुझाव दें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाये ? केवल सरकार की नियत पर वे हमला न करें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कितनी ही नगरपालिकायें ऐसी निकलेंगी जिनका सुपरसेशन लाजिमी तौर पर होना चाहिये, लेकिन किसी कारण से–लोकतंत्र की रक्षा के लिये उनका सुपरसेशन नहीं हो पाता है। इसमें बीसों कांसिडरेशन्स आते हैं। हम तो यह सोचते हैं कि ये जनता की संस्थायें हैं ये जनसेवा की भावना से कार्य करें और शक्ति का अधिक से अधिक विकेंद्रीयकरण हो, इसलिये जहां तक हो इन्हें चलने दिया जाये। साथीगण, इन सारी परिस्थितियों पर विचार करके इसको यहां पर पारित करें। इसके लिये वे आज्ञा प्रदान करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसके पहले मैं विधेयक पर बोलूं। मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा जो विधेयक आ रहा है ये विधान सभा में हमेशा आते हैं। यह विधेयक १९१६ का है। इसके पहले जो पारित हुये थे, वे अंग्रेजी में थे। अब सदन की भाषा हिन्दी हो गई है, यदि उनको वैसे ही चलने दिया जायेगा तो यह जोड़ मालूम पड़ेगा। इसलिये उन सबका हिन्दी करण होना चाहिये।

इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अंग्रेजी में हैं उनको हिन्दी में कराने का कष्ट करें, ताकि सदन को, जनता और सभी सदस्यों को सुविधा हो और हमारी भावनाओं का आदर हो। जैसा हमारे आचार्य जी ने कहा और मंत्री जी ने कहा ठीक है यह जो स्थिति कन्नौज वाली है, संक्रमण काल की स्थिति है और ऐसी स्थिति में यह विधेयक उपस्थित करने के लिये आपको बाध्य होना पड़ा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपैल्टी का सस्पेंशन नहीं हो रहा है। जिस हंडिया शासन पर बैठ कर आप जनतंत्र को जिता रहे हैं वहां पर जनतंत्र का ही सस्पेंशन हो रहा है। आपके लिये आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन हमारे जैसे लोगों को जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं जब विधेयक को पढ़ते-पढ़ते अन्त में जाते हैं तो बड़ी घबड़ाहट मालूम होती है।

अन्त में देखेंगे–"प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी मूल अधिनियम की धारा ११ में अभिदिष्ट प्रशासक ऐसे तात्पर्यित शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में किये गये किसी कार्य या लिये गये किसी निर्णय जिसके अन्तर्गत विशेषतया कोई निष्पादित संविदा अथवा बोर्ड के किसी सेवक की की गयी नियुक्ति, पदोन्नति या सेवोन्मुक्ति या उसे हटाये जाने या अन्य दंड दिये जाने का आदेश भी है, का पुनर्विलोकन कर सकता है"। आप सोचें, जनता का चुना हुआ बोर्ड होगा। उसने कोई नियुक्ति की हो, कोई संविदा किया हो या किसी को सेवा से मुक्त किया हो, प्रशासक उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। क्या यह जनतंत्र का उपहास नहीं है जो कार्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया हो, जो भी नियुक्ति की हो, किसी को हटाया हो आप जिस प्रशासक की नियुक्ति

करते है, वह जनप्रतिनिधियों के सारे कार्यों पर पानी फेर सकता है। निश्चित तरीके से मैं कहता हूं कि आपका रवैया जनतंत्र से तानाशाही की तरफ जा रहा है। सीमेंट निगम, परिवहन निगम सारे निगम कहां जा रहे हैं ? राज्य सरकार और उसके हाथ में जो विभाग हैं सारे विभाग आप किन के सुपुर्द करते चले जा रहे हैं ? चाहे स्वायत्त शासन के निकाय हों या जिला परिषद् या म्युनिसिपल बोर्ड हो, आप चाहते हैं कि प्रशासन नियुक्त करें, अपनी बिरादरी के लोगों को नियुक्त करें। उनके माध्यम से आपके आदेश का पालन होगा ? बुरा न मानें। मैं बलिया का एक उदाहरण देता हूं।

बलिया में एक एक्जिक्यूटिव अधिकारी की नियुक्ति हुई अवैधानिक तरीके से। २०-७-७१ को उनकी तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी। माननीय मंत्री जी ने अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैधानिक करार दे दिया लेकिन यह जो एक्जीक्यूटिव अधिकारी की नियुक्ति हुई थी उसे वैध रखा जब कि नियमावली के अनुसार २१ और २५ वर्ष के बीच की उम्र वाले व्यक्ति की ही नियुक्ति हो सकती थी और इन एक्जिक्यूटिव अधिकारी महोदय की उम्र २५ वर्ष से अधिक थी। इनका कार्यकाल ६ हफ्ते का था और वह ३०-८-७१ को समाप्त हो गया और उन्होंने इन एक्जिक्यूटिव अधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर दी यह कह कर कि यह नियमों के विरुद्ध थी, कार्यकारी अधिकारी महोदय योग्य भी नहीं थे, कार्य-कुशल भी नहीं थे। लेकिन १८ सितम्बर को यहां से आर्डर जाता है कि उनकी नियुक्ति वैध मान ली जाय और बीच की अवधि को जिन में वह हटा दिये गये थे अवकाश पर मान लिया जाय।

अगर हरिजन को अथवा अल्प संख्यक को यह २५ वर्ष से उम्र की छूट देने की और सुविधा देने की बात होती तो मैं मान लेता लेकिन वह महाशय हैं राजेन्द्र कुमार शुक्ला। मुख्य मंत्री के चरणों पर आकर वह गिरे और वहां यह कह कर नियुक्त की गयी कि जिलाधीश ने आदेश दे दिया है नियुक्त करने के लिये। अगर यह प्रशासन इसी प्रकार चलेगा कि जिसको चाहो मुअत्तल कर दो और जिसको चाहो नियुक्त कर दो यह प्रशासन कितने दिन तक चलेगा ? इसी तरह प्रशासन की अवधि का सवाल है। कहा जाता है कि 6 महीने से अधिक नहीं रहेगा लेकिन आप उस प्रशासक की अवधि बढ़ाते चले जाते हैं तो यह उचित नहीं है। नौकरशाही को बढ़ावा देने के लिये जिस चातुर्य के साथ यह विधेयक लाया गया है उसके लिये मेरा कड़ा विरोध है और इसी लिये कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन प्रस्ताव का मैं समर्थन कर रहा हूं।

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं और साथ ही साथ उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने हमें सत्य का ज्ञान तो नहीं कराया किन्तु जो उनको भ्रम था उस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की। श्रीमन्, बोर्ड सुपरसीड हुआ और उसकी अपील हुई...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप मुझे उत्तर का मौका नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने देखा कि अब कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हो रहा है तो मैंने उन्हें पुकारा...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, खड़ा इसलिये नहीं हुआ कि मैं समझता था कि आप स्वयं ही मेरा नाम पुकारेंगे। मुझे आशा है कि आप मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा आप बोल लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, माननीय आचार्य जी ने एक भ्रम की बात यहां पर कह दी, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं था इसलिये यह विधेयक लाना पड़ा। जिस समय मैं बोल रहा था उस समय आचार्य जी नहीं थे इसलिये उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्रीमन्, मैं इधर उधर की बात नहीं बोलता। बहुत सूक्ष्म में मैं अपनी उसी बात को दुहराऊंगा। पहली बात तो यह है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि जो सुपरशेसन का कायदा है, कम से कम विरोधी दलों के हाथ में जो नगरपालिकायें हैं और उस सम्बन्ध में जो ३० वीं धारा आपके विधेयक में है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं और यदि एक बार आपने दुरुपयोग कर भी दिया किन्तु आपने कहा कि मान लीजिये अगर कोई नगर-पालिका गलत काम कर भी रही है और हमने उसका सुपरशेसन कर दिया तो इसके आलावा और रास्ता ही क्या है।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि अगर गलत काम वह कर भी रही है तो हाई कोर्ट के आदेश आपके पक्ष में जाने चाहिये। किन्तु अगर हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है और यह कहता है कि आपने गलत सुपरशेसन किया तो मुझे क्या जवाब देंगे। श्रीमन्, जो यह सरकार चाहे और करे वह सब सही तो हो नहीं सकता। हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है किन्तु जब तक आदेश न हो। यह तो हमें मान्य है। आज आप एक स्टेटस्को लायें और जहां-जहां सुपरसेशन किया है उसको हटाकर उसे बहाल कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिये आपने ५ साल का कार्यकाल बढ़ाया है और उसके बाद २ साल और बढ़ा दिया. . . .

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यदि बीच में ही समाप्त हो गया तब क्या होगा ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

समाप्त हो गया तो धारा ३ का उप-खंड २ एक संक्रमणकालीन धारा है उसमें आपने लिखा है कि इस ऐक्ट के लागू होने के पहले यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस बीच का जो कार्यकाल है वह मान लिया जायेगा। जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं वे शासन नहीं रखेंगे। अगर बढ़े हुये कार्यकाल को इसके द्वारा बढ़ा दिया तो मैं कहता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अगर चुने हुये प्रतिनिधियों को आप शासन नहीं देते हैं तो आप तानाशाही ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही की ओर इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं।

आज हमारा प्रदेश त्रस्त है और इस अधिनियम के द्वारा आप फिर दुबारा ताकत को उन्हीं लोगों के हाथों में दे रहे हैं जो कि इसके जिम्मेदार हैं। इसलिये मंत्री जी हठधर्मी को छोड़ दे जिसकी प्रजातंत्र में गुंजायश नहीं है। प्रजातंत्र का हित किसमें है ? अगर इसमें समझते हैं तो जनता के दरबार में ३ महीने तक जाने दें, उसमें जनता की और नगरपालिका के सदस्य भी राय देंगे और फिर सब पर विचार करके सही रास्ते पर आयेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने संशोधन की पुष्टि करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया उसमें बहुत भाषण सुनने को मिले और अभी आचार्य जी ने कहा। हो सकता है कि हमारी सूचना गलत हो, लेकिन यह कन्नौज की म्यु-निसिपैलिटी तो दो तीन महीने सरकार ने सुपरसीड किया उसका मतलब क्या था क्यों यह स्थिति पैदा हुई, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिन बातों को मैंने जिक्र किया था, लेकिन अगर ऐसा होता—अगर ऐसा हो जाय—तो इस अगर-मगर का कौन जवाब दे। कोई निश्चित

तथ्य के सामने आया होता तो मैं फिर भी कह रहा हूं और सही मंत्री जी उत्तर दें कि इस म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? दूसरे ३–४ महीने के अन्दर जब सुपरसेशन हुआ तो उसके अन्तर्गत जो हाईकोर्ट ने आपके आवेदन-पत्र पर कोई फसला नहीं किया और स्थगन आदेश उन्होंने जारी कर दिया तो क्या वजह है ? सिर्फ एक कारण दिखाना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य और कारण में जिक्र किया है। मेरी समझ में वह कारण पर्याप्त नहीं है किसी म्युनिसिपैलिटी के सुपरसेशन का या इस अमेंडमेंट का, इसलिये मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि कम से कम पूरी स्थिति सदन के सामने रखें।

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मैं सदस्यगणों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पर विचार व्यक्त किया, लेकिन स्थिति समझने में भ्रम हुआ। बोर्ड सुपरसीड हुआ, उसके खिलाफ रिट हुआ, रिट खारिज हुई, यानी हाई कोर्ट ने हमारी बात मान ली। उसके खिलाफ एक विशेष अपील हुई, उसमें स्थगन आया और उस दिन आया जिस दिन ५ वर्ष और २ वर्ष मिलाकर ७ वर्ष समाप्त हो रहे थे। उस वक्त न कोई बोर्ड था, न कोई इन्तजाम था। जब पहले सुपरसेशन किया था, रिट खारिज हुई थी, उस वक्त कलेक्टर ने उसका चार्ज ले लिया था। न वह चेयरमैन रह गया था, न बोर्ड। उस स्थिति में फिर उन्होंने उसकी विशेष अपील की। तो हाईकोर्ट ने जो हमारी बात को मान लिया है कि हमने सही सुपरसेशन किया था, अब अपील के वक्त इतना वक्त नहीं मिला कि वैकेशन के लिये हमने दरख्वास्त भी दी, नहीं हो पायी तो उस वक्त क्या होगा ? न वहां कोई इंचार्ज है, न कोई बोर्ड है, कोई है ही नहीं।

जब कोई नहीं है तो हमें प्रबन्ध करना लाजमी था और इसी से अध्यादेश जारी करना पड़ा। मेम्बरों ने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन सिवाय अध्यादेश जारी करके काम चलाने के अलावा और चारा नहीं था। हम जनतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं। इस म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जून में होने वाला है। उसका नोटिस भी दे दिया है। तीसरी बात यह है कि इसके चेयरमैन पुराने कांग्रेसी हैं और हमारे साथी हैं। किसी को दबाने के लिये यह चीज नहीं की जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इससे पहले वे किस पार्टी के सदस्य थे जो मंत्री जी इस समय कह रहे हैं कि वे हमारे साथी हैं।

श्री बेनी सिंह—

वे आपके साथी नहीं हैं बल्कि हमारे साथी हैं। आपको मुगालता रहा है।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आज तक आपको मुगालता ही बना रहा।

श्री बेनी सिंह—

मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बैठ जाता हूं। मुझे कुछ जवाब नहीं देना है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ को जनता की राय जानने हेतु ३ माह के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक, १९७२ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे दे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, ४, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ में नयी धारा का बढ़ाया जाना

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १०-ए के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

"११—यदि धारा ३० के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का तात्पर्यित प्रयोग करके किसी बोर्ड का अतिक्रमण करने का आदेश दिया जाय, और बाद में ऐसा आदेश शून्य घोषित किया जाय या हो जाय, अथवा उसका प्रवर्तन किसी विधि न्यायालय के आदेश या निर्णय से अथवा उसके परिणाम स्वरूप या राज्य सरकार के किसी ऐसे पश्चातवर्ती आदेश से अथवा उसके परिणामस्वरूप जिसमें ऐसे बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाना तात्पर्यित हो, निलम्बित कर दिया जाय, और इसी बीच बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो जाय, तो जब तक कि नया बोर्ड सम्यक् रूप से संघटित न हो जाय :—

(ए) बोर्ड, उसके प्रेसीडेन्ट और समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा प्रयोग संपादित तथा निर्वहन किये जायंगे, और विधि में प्रशासक को, अवसर की अपेक्षानुसार, बोर्ड, प्रेसीडेन्ट या समिति समझा जायगा,

(बी) प्रशासक को ऐसा वेतन तथा भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, म्युनिसिपल निधि से दिया जायगा ।

(सी) राज्य सरकार समय-समय पर, गजट में अधिसूचना द्वारा मूल उपबन्ध पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे आनुसंगिक तथा प्रासंगिक उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो, कर सकती है ।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

३—(१) यदि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल मूल अधिनियम की धारा ११ में, जैसी कि इस अधिनियम की धारा २ द्वारा बढ़ायी गयी है उल्लिखित परिस्थितियों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो जाय तो उक्त धारा ११ के खण्ड (ए), (बी) तथा (सी) में उल्लिखित परिणाम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से प्रभावी होंगे ।

(२) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड के, जिसका कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो चुका हो, प्रेसीडेन्ट तथा सदस्यों द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायेगा मानों बोर्ड का कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक बढ़ चुका हो:

प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मूल अधिनियम की धारा ११ में अभिदिष्ट प्रशासक ऐसे तात्पर्यित शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में किये गये किसी कार्य या लिये गये किसी निर्णय जिसके अन्तर्गत, विशेषतया, कोई निष्पादित संविदा अथवा बोर्ड के किसी सवक की की गयी नियुक्ति, पदोन्नति या सेवनोमुक्ति या उसे हटाये जाने या अन्य दण्ड दिये जाने का आदेश भी है, का पुनर्विलोकन कर सकता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ६ का निरसन

४—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७२, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और इस लिये करता हूं कि सरकार ने जानबूझ कर ऐसी भावना से प्रेरित होकर म्युनिसिपैलिटी का सुपरसेड किया था और ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है जिससे वह शुद्ध राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

मैंने निवेदन किया था कि जो चेयरमैन थे वे इंडीकेट पार्टी में नहीं जा रहे थे। लेकिन जब म्युनिसिपैलिटी सुपरसीड हो गई तो उधर चले गये। वह २५ साल से इधर मौजूद रहे। जब सरकार आई तो मंशा राम जी चुनाव जीत गये थे और इस सरकार ने वोट देने से वंचित करने का हर सम्भव प्रयास किया। लेकिन जब मजबूर हो गये मंशाराम जी गये वे इस सदन के सदस्य थे। इस सदन में यह सारा मामला आया और जग जाहिर है कि यह सरकार किस प्रकार दल बदलुओं को प्रोत्साहन देने के लिये, लोगों को तंग करने के लिए और बदले की भावना से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो कर इस प्रकार के कानून लाती है। जब कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के सुधार के लिए कभी अध्यादेश और कभी इस प्रकार के बिल सदन के सामने लाए जाते हैं। इसलिए मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री बेनी सिंह---

कल्पनाथ सिंह जी का कहना सही नहीं है, वे कभी कल्पनाथ सिंह जी के साथ नहीं रहे। हमने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया है। यह कल्पनाथ सिंह जी की कल्पना हो सकती है। कल्पनाथ सिंह अगर कल्पना करें तो यह उनका काम था। इस बिल को पारित करने के लिये मैं आपसे सिफारिश करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम ५१ के अन्तर्गत कुल ५ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक सूचना तो समय के बाद आई, बाकी ४ रह गईं। चार में से माननीय गोविन्द सिंह नेगी की लखनऊ स्थित सूक्ष्म यन्त्रशाला कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में पूर्ण हड़ताल तथा माननीय शम्भूनाथ चौधरी की बलिया जनपद के डोबटीदियारे में बिहार राज्य के लोगों द्वारा दिन दहाड़े फसल को क्षति पहुंचाने के संबंध में है, स्वीकार की गई हैं।

एक सूचना माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की कानपुर में सार्वजनिक क्षेत्र की माडर्न बेकरी में हड़ताल के संबंध में है। यह केन्द्र का विषय है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं यह विषय बड़े महत्व का था और मैं इसको लेना चाहता था, लेकिन पता लगाने पर मालूम हुआ कि यह केन्द्र का विषय है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह हड़ताल सारे प्रदेश को प्रभावित करती है। कुछ करें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसे स्वीकार करने की स्थिति में हम नहीं हैं।

श्री मोहन लाल कपूर की नैनीताल जिला परिषद् के अध्यापकों को ६ महीने से वेतन न मिलने पर असन्तोष के विषय में सूचना है। इस पर सरकार की नीति कई बार स्पष्ट हो चुकी है, इसलिए इसको स्वीकृत नहीं किया गया है।

विदेशी शराब की दूकानों की नीलामी के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न के बारे में जानकारी

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय नित्यानन्द स्वामी जी--क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि आपको स्मरण होगा कि जिस समय बजट भाषण यहां पर किया गया था तो उसके अन्दर यह स्पष्ट घोषणा की गई थी कि विदेशी शराब की दुकानों का नीलाम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी सहायता के लिये मैं आपको बता दूं यह पृष्ठ ३२ पर है। कल तो बजट आयेगा ही, तभी उस पर बहस हो जाये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वह तो अलग बात हुई। मंत्रियों की ज्वाइंट रिस्पान्सिबिलिटी है। क्या सदन के बाहर यह कहा जा सकता है किसी मंत्री के द्वारा कि विदेशी शराब की दुकानों का नीलाम नहीं किया जाएगा ? यह सूचना नेशनल हेराल्ड के अन्दर फ्रन्ट पेज पर छपी है और उसके अन्दर मंत्री जी का हवाला दिया है। एक प्रवक्ता ने घोषणा की है। बजट के अन्दर तो जनरल बातें होंगी, मगर यह तो एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि सरकार की नीति संबंधित है। सारे प्रदेश की निगाह इस पर लगी हुई है कि विदेशी शराब की दुकानों का नीलाम होगा, लेकिन इसी बीच में दबाव पड़ गया और उस दबाव के कारण सरकार अपना निर्णय बदलने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी यह कैसे कहा जाए ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इसका खंडन भी तो किसी ने नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष---

मान लीजिये अपने भाषण में वित्त मंत्री जी कहें जैसे कि केन्द्र में केन्द्रीय वित्त मंत्री चौव्हान साहब ने कहा कि हम किरोसिन आयल पर ड्यूटी लगायेंगे बाद में उसे घटा भी सकते हैं। लेकिन मात्र बजट में रख देने से सरकार का अन्तिम निर्णय के रूप में स्वीकार करना कठिन है। आप सोच लें। गम्भीर चिन्तन का विषय है। इसी कर्तव्य के लिए आप विरोधी पक्ष में हैं। सरकार जो चाहती है उसमें कुछ न कुछ हेरफेर जो लोक हित में आप समझते हैं आप करा सकें यह आपका प्रयत्न रहता है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

नित्यानन्द जी को शायद यह नहीं मालूम कि विदेशी शराब के ठेकेदार वी० आर० मोहन जीत आये हैं तो दुकान जरूर खुलेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह जो दुरुस्ती कर रहे हैं, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप सरकार से स्पष्टीकरण तो करायें।

श्री उपाध्यक्ष---

बजट के समय आप उठायेंगे तो सम्बद्ध मंत्री से इसका उत्तर दिला देंगे।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

हाउस में यह आश्वासन दिया था कि अगले साल से विदेशी शराब का आक्शन होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप बजट में कहिये।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

सरकार की क्या नीति है, क्या सरकार अपने कथन से पीछे हट रही है....

श्री उपाध्यक्ष---

यह बजट भाषण है। आपको जो असहमति हो, विरोध हो उसको प्रतिपादित करने का अवसर बजट के दौरान मिलेगा। इसको अब स्वीकार करना ठीक नहीं है।

अब हम कल ११ बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ४ बज कर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३ अप्रैल, १९७२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८४ पर)

बकायादारों का नाम	बकाया की धनराशि	कब का बकाया है
१	२	३
१—सर्वश्री सेन्ट्रल स्टोरेज, कानपुर ..	६,६०,१५८.७४	१९६३–६४ से १९६५–६६ तक
२—ऊषा सेल्स प्राइवेट लि०, कानपुर	६,४०,५१३.८७	सदैव
३—म्योर मिल्स कम्पनी, कानपुर ..	६,४१,८४४.०५	१९५३–६४ से १९६९–७० तक
४—आर० एफ० सी, कानपुर	८,९७,३५८.६९	१९६२–६३ से १९६७–६८ तक
५—कन्हैयालाल राधा किशन धनकुट्टी, कानपुर ..	७,२२,०९३.७८	१९६०–६१ से १९६७–६८ तक
६—प्रीमियर मोटर्स, लखनऊ	५,१८,०४५.३२	१९६६–६७
७—धर्मपाल सिंह राम सिंह, प्रा० लि०, स्टेशन रोड, लखनऊ ..	४६,८७,८८३.८५	१९५७–५८ से १९६६–६७ तक
८—ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, लखनऊ	२६,९० ०००.००	१९६२–६३ से १९६४–६५ तक
९—बलवन्त मोटर्स, बरेली	१३,२६,५१०.००	१९६९–७० से १९७०–७१ तक
१०—गैरिसन इन्जीनियरिंग, मेरठ कैन्ट, मेरठ ..	५,४१,२८६.७७	१९६३–६४ से १९६६–६७ तक
११—रामचरन गिरधारीलाल झांसी।	१०,००,०००.००	१९५७–५८
१२—गौरीशंकर लाल राधेश्याम, झांसी ..	२१,८७,५००.००	,,
१३—मो० इस्माइल एंड संस, इलाहाबाद ..	५,६२,५००.००	१९५७–५८ से १९५८–५९ तक
१४—आर० एफ० सी० गोरखपुर ..	८,६८,९२९.३९	१९६५–६६ से १९६६–६७ तक
१५—जनरल मैनेजर एन० ई० आर०, गोरखपुर ..	१४,९८,५८१.८०	१९६३–६४ से १९६६–६७ तक
१६—जयनरायन टीकाराम, बुलन्दशहर ..	७,४२,२९६.५६	१९५६–५७ से १९५८–५९ तक
१७—अग्रवाल क्लाथ मर्चेन्ट, बुलन्दशहर ..	५,७३,४५५.६३	१९५६–५७ से १९५८–५९ तक

१	२	३
१८—एल० एन० पोद्दार, वाराणसी ..	१३,१८,२४०.००	१९५९–६० से १९६२–६३ तक
१९—ठाकुरदास सरे का आयरन फै०, वाराणसी ..	७,४६,५१३.००	१९६४–६५ से १९६६–६७ तक
२०—हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन लक्शा, वाराणसी ..	८,५८,८०३.००	१९५७–५८ से १९६१–६२ तक
२१—न्यू सेन्ट्रल जूट मिल वाराणसी ..	६,४३,८२७.४४	१९६०–६१ से १९६३–६४ तक
२२—मेटल गुड्स मैन्यू–कं० प्र० लि०, वाराणसी ..	१३,१५,१६१.३२	१९६१–६२ से १९७०–७१ तक
२३—गनेश फ्लावर मिल्स, गाजियाबाद ..	२१,३४,९४१.६२	१९६८–६९ से १९७०–७१ तक
२४—पोइशा इन्डस्ट्रियल कं० लि०, गाजियाबाद ..	९,११,९३५.९६	१९६८–६९ से १९७०–७१ तक
कुल योग ..	२,८६,९६,३९०.७९	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८४ पर ।)

सूची

व्यक्ति का नाम	कारण
(१) श्री छतर सिंह (२) श्री राजवीर सिंह	.. भारतीय दण्ड विधान की धारा ४५७/५११ के अन्तर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर सेवा नियमानुसार इन कर्मचारियों की सेवाएं गिरफ्तारी के दिनांक अर्थात् २६ जून, १९७१ से समाप्त कर दी गई थी जिसके आदेश ७ अगस्त, १९७१ में किए गए हैं ।
(३) श्री गेंदा लाल (४) श्री उदयवीर	.. लगभग डेढ़ माह तक बिना किसी छुट्टी या अनुमति के अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण जून, १९७१ से इनकी सेवाएं समाप्त की गईं जिसके आदेश माह अगस्त, १९७१ में किए गए।
(५) श्री वेशराज सिंह (लेजर मुंशी) ..	इस कर्मचारी की सेवाएं गैर कानूनी, समाज विरोधी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लिप्त होने के कारण समाप्त की गई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८८ पर ।)

कारागार मंत्री ने जिला जेल, सुल्तानपुर का दिनांक ६ जुलाई, १९७१ को निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उनको बंदियों के भोजन, गल्ला, कपड़ा गोदामों में तथा चिकित्सालय एवं जेल के कार्यालय में अनियमिततायें मिलीं--

१--भोजन में रोटियां अच्छी तरह सिकी न थीं।

२--शाम के भोजन के मसाले में नमक व तेल कम पाया गया।

३--गल्ला एवं कपड़ा गोदाम के स्टाक रजिस्टर ठीक ढंग से नहीं रखे गये थे।

४--चिकित्सालय में इंजेक्शन का हिसाब ठीक नहीं था।

५--जेल कार्यालय में लालटेन, नल की टोटी, पाइप का हिसाब ठीक से नहीं रखा गया था।

६--फिनायल बाजार से अधिक दर पर खरीदी गई।

७--जेलर के पास निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रोकड़ था।

८--वार्डरों की गैर कानूनी ढंग से अधीक्षक के बंगले पर ड्यूटी लगायी गयी थी।

९--अधीक्षक के बंगले पर ४ किलो जेल गायों का दूध जाता था।

२--उपर्युक्त अनियमितताओं की जांच उप कारागार महा निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये जेल अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९ पर।)

आबकारी मंत्री जी द्वारा ७ जनवरी, १९७२ को सिम्भौली डिस्टिलरी, जिला मेरठ तथा उसके एफ० एल० अनुभाग के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं की सूची।

(क) डिस्टिलरी में पाई गई अनियमिततायें—

१—रेक्टीफाइड स्प्रिट के स्टाक में	१०५२.२	अल्कोहल लिटर
डिनेचर्ड स्प्रिट के स्टाक में	५६.३	" "
मेथिलीटेड स्प्रिट के स्टाक में	७६.६	" "
तथा रश के स्टाक में	२८६.६	" "

लेखानुसार स्टाक से अधिक मिला।

२—गोदाम संख्या २ में लीटर के नपनों में क्रमशः ७ वल्क लिटर तथा ४ वल्क लिटर रेक्टीफाइड स्प्रिट भरी रखी पाई गई जो नियमों के प्रतिकूल है और सन्देहात्मक मानी जा सकती है।

३—डिस्टिलरी में लाइन को आरम्भिक तथा अन्तिम ग्रेविटी लेने के लिए कोई सेकरोमीटर नहीं था।

४—पी० डी० ८ तथा पी० डी० ९ में भी एन्ट्री त्रुटिपूर्ण थी तथा पी० डी० ९ रजिस्टर ४ जनवरी, १९७२ के बाद नहीं भरा गया था।

५—डिनेचुरेन्ट रखने की टंकियां गेज नहीं की गई तथा रसायनिक परीक्षण के लिए ड्रमों के नमूने नहीं भेजे गये थे।

६—डिस्टिलरी के स्प्रिट, आदि से जाने वाले पाइप निर्धारित रंगों से नहीं रंगे गये थे।

७—लाइन बनाने के लिए शीरे की मात्रा को तौलने का कोई प्रबन्ध नहीं था।

८—शीरे की टंकियों का कोई माप-चार्ट डिस्टिलरी के पास नहीं है और इसका स्टाक फर्जी तरह से ही रखा जाता है।

९—शीरे का वास्तविक स्टाक लेखानुसार स्टाक से १२७०५.९९ क्विन्टल अधिक पाया गया।

१०—पी० डी० ८ तथा पी० डी० ९ में डिस्टिलरी द्वारा दी गई घोषणा में भारी पोल पाई गई।

११—डिनेचर्ड स्प्रिट रूप में एक टंकी में रेक्टीफाइड स्प्रिट भी पाई गई जो नियम विरुद्ध एवं सन्देहजनक है।

(ख) एफ० एल० ३ अनुभाग में पाई गई अनियमिततायें—

१२—मिलिट्री रम की टंकी के डिप में तथा तेजी से लेखानुसार डिप व तेजी से अन्तर पाया गया तथा खाली पेटियों के बीच ४१ बोतलें बक्सों में छुपी पाई गईं जिनका कोई उल्लेख लेखों में नहीं था।

१३--भारत निर्मित विदेशी मदिरा की टंकी का ढिप ५२.३ ले० मी० पाया गया जबकि ढिप बुक में ५१.८ से० मी० था। ब्रान्डी की टंकी का डिप ७.८ से० मी० पाया गया जबकि डिप बुक में ८.४ लिखा था इसकी तीव्रता भी निर्धारित तीव्रता ४२.७५ से कम मिली। बोतलों के स्टाक में भी। अध्धा अधिक तथा ३७ पौवे कम मिले। इसके एक खाली बक्सों के कमरे से ८ बक्से रम के भरे मिले जिसमें ७ बक्सों में प्रत्येक में १२.१२ बोतलें थी और एक में २४ अद्धे थे।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८ एल० ए०—१९७२—८४५।